CHRI 2006

सूचना का अधिकार

अधिनियम २००५

के उपयोग हेतु

मार्गदर्शिका

www.humanrightsinitiati

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशिएटिव

कॉमनवेल्थ देशों में मानवाधिकारों को व्यावहारिक रूप देने के लिए कार्यरत

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशिएटिव

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइटस इनिशिएटिव (सीएचआरआई) एक स्वतंत्र, गैर–राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका कार्यादेश कॉमनवेल्थ के देशों में मानवाधिकारों को व्यावहारिक धरातल पर साकार रूप देना है। 1987 में कॉमनवेल्थ के कई संघों ने मिल कर सीएचआरआई की स्थापना की थी। उनकी मान्यता थी कि जहां कॉमनवेल्थ ने सदस्यों देशों को काम करने के लिए साझा मूल्य संहिता और कानूनी सिद्धांत और मानवाधिकारों को प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच प्रदान किया, वहीं दूसरी ओर कॉमनवेल्थ के भीतर मानवाधिकार से संबंधित मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं रहा है।

कॉमनवेल्थ के हरारे सिद्धांतों, सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणापत्र तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मानवाधिकार दस्तावेजों के साथ–साथ कॉमनवेल्थ के सदस्य राज्यों में मानवाधिकारों को समर्थन देने वाले घरेलू दस्तावेजों के प्रति जागरुकता तथा पालना को बढ़ाना सीएचआरआई के उद्देश्य हैं।

अपने प्रतिवेदनों तथा नियतकालिक जांचों के जरिए सीएचआरआई कॉमनवेल्थ देशों में मानवाधिकारों की प्रगति और उन के उल्लंघनों की ओर निरंतर ध्यान आकर्षित करता है। मानवाधिकारों के उल्लंघनों की रोकथाम करने के लिए पद्धतियों और उपायों हेतु पैरवी करते हुए सीएचआरआई कॉमनवेल्थ सचिवालय, सदस्य सरकारों तथा नागरिक समाज के संघों को संबोधित करता है। अपने जन शिक्षण कार्यक्रमों, नीतिगत संवादों, तुलनात्मक अध्ययन, पैरवी और नेटवर्किंग के जरिए सीएचआरआई का समूचा रुख अपनी प्राथमिकता के मुद्दों के गिर्द एक उत्प्रेरक के रूप में काम करने का है।

सीएचआरआई के प्रायोजक संगठनों * की प्राकृति इसे अपनी राष्ट्रीय उपस्थिति बनाने और एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के रूप में काम करने में समर्थ बनाती है। ये पेशेवर संगठन स्वयं अपने काम में मानवाधिकार मानदंडों का समावेश कर सार्वजनिक नीति को भी दिशा दे सकते हैं और मानवाधिकारों संबंधी सूचनाओं, मानदंडों और व्यवहारों के प्रसार के वाहकों के रूप में काम कर सकते हैं। ये समूह अपने साथ स्थानीय ज्ञान भी लाते हैं, नीति निर्माताओं तक पहुंच बना सकते हैं, मुद्दों को उभार सकते हैं और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए साथ मिल कर काम कर सकते हैं।

सीएचआरआई नई दिल्ली, भारत में स्थित है और लंदन, यूके, आक्रा, घाना में इसके कार्यालय हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति : सैम ओकुडजेटो – अध्यक्ष, सदस्यः यूनिस ब्रूकमैन–अमीसाह्, मरे बर्ट, ज्यां कॉर्स्टोन, माया दारूवाला, एलिसन डक्सबरी, निहाल जयविकम, बी. जी. वर्गीस, ज़ोहरा यूसुफ, बर्नडेट गनिलाऊ।

कार्यकारी समिति : बी. जी. वर्गीस – अध्यक्ष; माया दारूवाला – निदेशक। सदस्यः के. एस. ढ़िल्लों, आर. वी. पिल्लै, अनु आगा, डॉ. बी. के. चन्द्रशेखर, भगवान दास, हरिवंश, संजय हजारिका, पूनम मुट्टरेजा, प्रो. मूलचंद शर्मा, जस्टिस रूमा पाल, नितिन देसाई।

न्यासी समिति : निहाल जयविक्रमा – अध्यक्ष, सदस्यः मीनाक्षी धर, ऑस्टिन डेविस, डेरेक इंग्राम, नेविल लिंटन, कॉलिन निकोलस, लिंडसे रॉस, पीटर स्लिन, एलिज़ाबेथ स्मिथ।

* कॉमनवेल्थ पत्रकार संघ, कॉमनवेल्थ अधिवक्ता संघ, कॉमनवेल्थ विधिक शिक्षा संघ, कॉमनवेल्थ संसदीय संघ, कॉमनवेल्थ प्रेस यूनियन और ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन।

डिजाइन, लेआउट व आभार: रंजन कुमार सिंह, रश्मि जलोटा, सीएचआरआई ; **रेखांकन:** सुरेश कुमार; **मुद्रक:** प्रिन्ट वर्ल्ड, नई दिल्ली

ISBN: 81–88205–23–0

कॉपिराईट © सी.एच.आर.आई, नई दिल्ली, सितम्बर 2006
इस रपट की सामग्री को स्रोत का उल्लेख करते हुए इस्तेमाल किया जा सकता है।

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनीशिएटिव

सीएचआरआई मुख्यालय
बी–117, प्रथम तल
सर्वोदय एन्क्लेव,
नई दिल्ली – 110 017, भारत
फोनः +91–11–2685–0523, 2686–4678
फैक्सः +91–11–2686–4688
ईमेलः chriall@nda.vsnl.net.in

सीएचआरआई लंदन कार्यालय
c/o इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमनवेल्थ स्टडीज
28, रसेल स्क्वेयर
लंदन WC1B 5DS, UK
फोनः +44–020–7–862–8857
फैक्सः +44–020–7–862–8820
ईमेलः chri@sas.ac.uk

सीएचआरआई अफ्रीका कार्यालय
मकान नं. 9, सामोरा मिशैल मार्ग,
बेवरली हिल्स् होटल के सामने,
नज़दीक ट्रस्ट टावर्स, असाय्लम डाऊन,
फोनः+233–21–683068,69,70
फैक्सः +233–21–683062
ईमेलः chriafrica1@yahoo.com

वेबसाइटः **www.humanrightsinitiative.org**

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उपयोग हेतु मार्गदर्शिका

लेखन (मूल अंग्रेज़ी संस्करण)
मंदाकिनी देवेशर

अनुवाद
ललित कार्तिकेय

संपादन (मूल अंग्रेज़ी संस्करण)
शार्मेन रॉड्रिग्स

योगदान व संपादन
वेंकटेश नायक

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशिएटिव

सितम्बर 2006

उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका और इससे संबंधित शोध व प्रसार
कार्य ब्रिटिश उच्चायोग, नई दिल्ली के वित्तीय सहयोग से
संभव हो पाया है।

विषयवस्तु

भूमिका 1
भाग 1 : ''सूचना का अधिकार'' क्या है? 3
भाग 2 : सूचना का अधिकार मेरी मदद कैसे कर सकता है? 4
भाग 3 : मैं किससे सूचनाएँ ले सकती / सकता हूं? 6
अधिनियम के दायरे में कौन सी संस्थाएँ आती हैं? 6
मैं संस्था में किससे संपर्क करूं जिसके पास सूचनाएँ हों? 7
भाग 4 : मैं कौन सी सूचनाएँ हासिल कर सकती / सकता हूं? 9
कौन सी सूचनाएँ सुलभ हैं? 9
क्या ऐसी भी सूचनाएँ हैं जो आम तौर पर नहीं मिलेंगी? 10
भाग 5 : कौन सी सूचनाओं को स्वैच्छिक रूप से प्रकाशित करना जरूरी है? 12
वे सूचनाएँ जो भागीदारी और निगरानी को बढ़ावा दें 12
वे सूचनाएँ जो जवाबदेह निर्णय प्रक्रिया को बढ़ावा दें 13
भाग 6 : मैं सूचनाओं के लिए आवेदन / निवेदन कैसे करूं? 15
चरण 1: उस लोक प्राधिकरण की पहचान करें जिसके पास सूचना है 15
चरण 2: लोक प्राधिकरण में उस अधिकारी की पहचान करें जिसे सूचना के लिए आवेदन सौंपा जाना है 15
चरण 3: वांछित सूचना के बारे में एक सुस्पष्ट आवेदन तैयार करें 16
चरण 4: अपना आवेदन जमा करें 17
चरण 5: आवेदन पर फैसले का इंतजार करें 19
भाग 7 : मेरे आवेदन पर फैसला कैसे किया जाएगा? 20
अगर लोक सूचना अधिकारी मेरे आवेदन को मंजूर करे तो? 21
अगर लोक सूचना अधिकारी मेरे आवेदन को रद्द कर दे, तो क्या करना होगा? 23
फ्लो चार्ट 1 : आवेदन प्रक्रिया 24
भाग 8 : अगर मुझे निवेदित सूचना नहीं मिलती, तो क्या करूं? 25
विकल्प 1 – अपील करें 25
पहली अपील, अपील प्राधिकारी से 26
सूचना आयोग को दूसरी अपील 28
विकल्प 2 – शिकायत करें 30
विकल्प 3 – अदालत में अपील करें 32
फ्लो चार्ट 2 : अपील प्रक्रिया 33
भाग 9 : मैं सूचना के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती / सकता हूँ? 34
परिशिष्ट
परिशिष्ट 1 : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 – हिन्दी पाठ 38
परिशिष्ट 2 : शुल्क नियम – तुलनात्मक तालिका 66
परिशिष्ट 3 : अपील के नियम 76
परिशिष्ट 4 : सूचना आयोग – संपर्क विवरण 77
परिशिष्ट 5 : संसाधन तथा संपर्क–सूत्र 80

सूचना का अधिकार – सत्ता जनता को वापस लौटाना!

गुजरात में बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करना[1]

गुजरात के पंचमहल जिले के कालोल तालुका में एक निजी न्यास द्वारा चलाए जा रहे स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उनके अध्यापक फीस देने के लिए मजबूर कर रहे थे, हालांकि स्कूल को गुजरात सरकार से वित्तीय सहायता मिल रही थी और कायदे से उन्हें विद्यार्थियों से कोई फीस नहीं लेनी चाहिए थी। कालोल तालुक के एक निवासी असलम भाई ने स्कूल के प्रधानाचार्य से सरकारी आदेशों के उन सर्कुलरों की प्रति प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम का इस्तेमाल किया जो स्कूल को फीस लेने की इजाज़त देते थे। सूचना के अधिकार का आवेदन पाने के बाद प्रधानाचार्य ने लिखित में माना कि स्कूल को कोई फीस लेने का अधिकार नहीं था, कंप्यूटर की उन कक्षाओं के अलावा जिन्हें न्यास ने स्वयं अपने पैसों से शुरु किया था। अब, स्कूल के विद्यार्थी प्रसन्न हैं क्योंकि अब उनके अध्यापक उनसे कोई फीस नहीं मांगते।

प. बंगाल में सांसदों द्वारा सरकारी कोष से किए भारी खर्च से पर्दा हटा[2]

भारतीय जनता पार्टी के राज्य अध्यक्ष श्री तथागत रॉय ने प. बंगाल की सरकार से सूचना के अधिकार के एक आवेदन के ज़रिए सांसदों की विदेश यात्राओं पर खर्च की गई सरकारी धनराशियों के बारे में सूचना मांगी। उनके आवेदन का जवाब देते हुए राज्य सरकार ने खुलासा किया कि सांसदों की विदेश यात्राओं पर सरकारी कोष से विशाल धनराशियां खर्च की जा रही थीं। उदाहरण के लिए, 1987–2000 के बीच सरकार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री की विदेश यात्राओं पर 18,25,600 रु. और 2001–20005 के बीच मुख्यमंत्री की विदेश यात्राओं पर 4,60,722 रु. खर्च किए। सूचना का अधिकार अधिनियम निर्वाचित प्रतिनिधियों को सार्वजनिक धन के व्यय के मामले में जवाबदेह ठहराने का एक ताकतवर औज़ार है।

सूचना के अधिकार ने चंडीगढ़ में किया कार पंजीकरण के फर्जीवाड़े का भंडाफोड़[3]

एक बीमा जांचकर्ता कैप्टन ए. एन. चोपड़ा (सेवानिवृत्त) ने सूचना के अधिकार का उपयोग करते हुए यह साबित करने के लिए सबूत जुटाए कि पंजीकरण व लाइसेंस प्राधिकरण और चंडीगढ़ में पुरानी कारों के विक्रेताओं द्वारा कारों के बीमों में फर्जीवाड़ा चलाया जा रहा था। श्री चोपड़ा की जांच उस वक्त शुरु हुई जब एक कार दुर्घटना के लिए बीमे के दावे का एक मामला उनकी मेज़ पर आया। बीमे का दावेदार श्री नटवर जब अपनी पुरानी कार के साथ उनके यहां आए, तो श्री चोपड़ा ने पाया कि उनके द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र और मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र अलग–अलग हैं। सूचना अधिकार अधिनियम का इस्तेमाल करते हुए श्री चोपड़ा ने पंजीकरण व लाइसेंस प्राधिकरण से इस मामले की पूरी फाइल पाने के लिए आवेदन किया। प्राधिकरण से प्राप्त तथ्यों से पता लगा कि कार के पंजीकरण प्रमाणपत्र में कार के निर्माण के वर्ष को 1996 से बदल कर 2000 कर दिया गया था और इस तरह कार विक्रेता और पंजीकरण व लाइसेंस प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों ने श्री नटवर से 50,000 रु. ज्यादा वसूल अपनी जेबें गर्म की थीं।

---

[1] वेंकटेश नायक (2006) ''फ्रीइंग स्कूल एजूकेशन फॉर चिल्ड्रन'', सीएचआरआई अप्रकाशित।

[2] कार्यालय संवाददाता (2006) ''ज्योति बसु 14 फॉरेन ट्रिप्स कोस्ट स्टेट रुपीज 18 लाख ऑनली'', द स्टेट्समैन, 27 जनवरी।

[3] रोहित मलिक (2005) ''इंश्योरेंस मैन गैट्स इनटू एक्ट, एक्सपोजिज रैकेट'', इंडियन एक्सप्रेस – चंडीगढ़ न्यूजलाइन, 12 दिसंबर: http://cities.expressindia.com/fullstory.php?newsid=161082, 20 मार्च 2006

भूमिका

शासन में भागीदारी किसी भी सफल लोकतंत्र का मूलमंत्र है। नागरिकों के रूप में हमें केवल चुनावों के वक्त ही नहीं, बल्कि नीतिगत निर्णयों, कानून और योजनाएं बनाए जाने के वक्त और परियोजनाओं तथा गतिविधियों का कार्यान्वयन करते समय भी दैनिक आधार पर भागीदारी करने की जरूरत होती है। जन सहभागिता न केवल शासन की गुणवत्ता में वृद्धि करती है, वह सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ावा देती है। पर हकीकत में नागरिक शासन में भागीदारी कैसे कर सकते हैं? जनता कैसे समझ सकती है कि फैसले कैसे किए जा रहे हैं? साधारण लोग कैसे जानें कि कर (टैक्स) से आए पैसे को कैसे खर्च किया जा रहा है या सार्वजनिक योजनाएं सही तरीके से चलाई जा रही हैं या नहीं या फैसले लेते समय सरकार ईमानदार और निष्पक्षता से काम कर रही है या नहीं? सरकारी अधिकारियों का काम जनता की सेवा करना है, पर इन अधिकारियों को जनता के प्रति जवाबदेह कैसे बनाया जाए?

भागीदारी करने का एक तरीका यह है कि नागरिक उन संस्थाओं से सूचनाएँ मांगने के लिए अपने सूचना के अधिकार का उपयोग करें जो सार्वजनिक धन से चल रही हैं या जो सार्वजनिक सेवाएं प्रदान कर रही हैं। मई 2006 में सूचना का अधिकार अधिनियम के लागू हो जाने के बाद भारत के सभी नागरिकों को सूचनाएँ मांगने / पाने का अधिकार है। यह अधिनियम इस बात को मान्यता देता है कि भारत जैसे लोकतंत्र में सरकार के पास मौजूद सभी सूचनाएँ अंततः जनता के लिए एकत्रित की गई सूचनाएँ हैं। नागरिकों को सूचनाएँ उपलब्ध कराना सरकार के कामकाज का एक सामान्य अंग भर है क्योंकि जनता को जानने का अधिकार है कि सार्वजनिक अधिकारी उनके पैसे से और उनके नाम पर क्या करते हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम इस बात को स्वीकार करता है कि सरकार द्वारा नागरिकों के साथ सूचनाएँ बांटना लोकतंत्र के संचालन के लिए स्वास्थ्यकर और लाभदायक है। गोपनीयता को अब बीते जमाने की बात हो जाना चाहिए। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अब किसी भी नागरिक को उन सूचनाओं को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है जिन्हें विधायकों और सांसदों जैसे निर्वाचित जन प्रतिनिधियों द्वारा सरकार से सदन में हासिल किया जा सकता हैं। नए कानून के दायरे में न केवल केन्द्र, बल्कि राज्यों[4] के भी सभी सार्वजनिक संस्थान और पंचायत तथा नगरपालिका जैसी स्थानीय स्वशासन संस्थाएं भी आती हैं। इसका अर्थ है कि अब आप समूचे भारत में हर गांव, जिले, कस्बे और शहर में नागरिक सार्वजनिक संस्थाओं के पास मौजूद सूचनाओं तक पहुंच की मांग कर सकते हैं।

भारत में अभी तक गोपनीयता सभी सरकारी संस्थाओं के कामकाज में व्याप्त रही है, लेकिन सूचना का अधिकार अधिनियम के साथ ही पासा पलटने लगा है। जहां शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 में सूचना को सार्वजनिक करने को एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया था, वहीं सूचना का अधिकार अधिनियम अब सरकार में खुलेपन की मांग करता है। पहले सरकार के पास मौजूद सूचनाओं को जनता को उपलब्ध कराना एक दुर्लभ अपवाद हुआ करता था जो आम तौर पर किसी लोक प्राधिकरण के अधिकारियों की इच्छाओं पर निर्भर करता था, लेकिन अब सूचना का अधिकार अधिनियम ने सभी नागरिकों को शासन और विकास के अपने जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर सवाल पूछने और जवाब की मांग करने का अधिकार दे दिया है। अधिनियम अधिकारियों के द्वारा अपने भ्रष्ट तौर–तरीकों पर पर्दा डालने को ज़्यादा मुश्किल बना देता है। सूचनाओं तक पहुंच के कारण खराब नीति–निर्माण प्रक्रिया को उजागर करने में मदद मिलेगी और इससे भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में नवजीवन का संचार होगा।

---

[4] अपने विशेष दर्जे के कारण जम्मू–कश्मीर में यह कानून लागू नहीं होगा। जम्मू–कश्मीर का अपना राज्य सूचना अधिकार अधिनियम 2004 है जो पहले के राष्ट्रीय सूचना स्वतंत्रता अधिनियम 2002 पर आधारित है। जम्मू–कश्मीर के लोग राज्य के अधिनियम के तहत राज्य सरकार से सूचनाएं मांग सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद, वे केन्द्र सरकार के सार्वजनिक प्राधिकरणों के संबंध में केन्द्र सरकार से सूचनाएं मांगने के लिए सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का इस्तेमाल कर सकते हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम का उचित कार्यान्वयन हो और यह सरकार को अधिक तत्पर और संवेदनशील बनाने के अपने प्रयोजन को सिद्ध करे, इसे सुनिश्चित करने का सबसे अधिक विश्वसनीय तरीका यही है कि हम सब इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और

सूचना के अधिकार के लिए अभियान

तृणमूल स्तर के संगठनों और नागरिक समाज के समूहों द्वारा एक प्रभावी राष्ट्रीय सूचना कानून के लिए 1990 के दशक से अभियान चलाया जा रहा है। केन्द्र सरकार ने 2002 में सूचना स्वतंत्रता अधिनियम 2002 पारित कर इस दिशा में कदम बढ़ाया। दुर्भाग्यवश, अधिनियम कभी प्रभाव में ही नहीं आ पाया और इस नए कानून के तहत लोग कभी अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर सके। लेकिन, 2004 में नव–निर्वाचित संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने सूचना के अधिकार को अधिक ''प्रगतिशील, सहभागीता आधारित और सार्थक'' बनाने का वायदा किया। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के वायदों पर निगाह रखने के लिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया और इसमें राष्ट्रीय सूचना अधिकार जन अभियान के मुख्य समर्थकों को शामिल किया गया।

राष्ट्रीय सूचना अधिकार जन अभियान, सीएचआरआई और नागरिक समाज के अन्य समूहों की प्रस्तुतियों के आधार पर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने अगस्त 2004 में सूचना स्वतंत्रता अधिनियम में संशोधनों की सिफारिशें सरकार को सौंपीं। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सिफारिशों को बहुत हद तक शामिल करते हुए दिसंबर 2004 में सरकार ने संसद में सूचना अधिकार विधेयक पेश किया। अंततः लोकसभा ने 11 मई 2005 को इस विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद 12 मई 2005 को राज्य सभा द्वारा इसे पारित किया गया। सूचना अधिकार अधिनियम को 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई। नागरिकों को सूचनाओं तक पहुंच प्रदान करने की एक राष्ट्रव्यापी व्यवस्था स्थापित करने संबंधी कुछ प्रावधान तत्काल प्रभाव में आ गए। 12 अक्टूबर 2005 से देश भर में सूचना अधिकार अधिनियम पूरी तरह लागू हो गया है।

वह भी जिम्मेदारी के साथ और असरदार तरीके से। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सीएचआरआई ने यह मार्गदर्शिका तैयार की है। मार्गदर्शिका निम्न बातों को समझाने का लक्ष्य रखती है :

(क) इस अधिनियम के दायरे में कौन सी संस्थाएँ आती हैं;
(ख) इस अधिनियम के तहत किन सूचनाओं को पा सकते हैं;
(ग) व्यवहार में सूचनाओं तक पहुंच कैसे बनाई जाए;
(घ) अगर लोगों को अपने द्वारा मांगी गई सूचना हासिल नहीं होती, तो उन्हें कौन से विकल्प उपलब्ध हैं; और
(ङ) सरकार को अधिक जवाबदेह, कार्य–कुशल और जनता के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए अधिनियम को क्रियान्वित करने में लोग कैसे शामिल हो सकते हैं।

भाग 1 : "सूचना का अधिकार" क्या है?

सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो विभिन्न अधिकारों तथा दायित्वों से अस्तित्व में आता है। वे हैं:

- हर व्यक्ति का सरकार – बल्कि कुछ मामलों में निजी संस्थाओं तक – से सूचनाएँ मांगने का निवेदन करने का अधिकार;
- सरकार का निवेदित सूचनाओं को उपलब्ध कराने का कर्तव्य, बशर्ते उन सूचनाओं को सार्वजनिक न करने वाली सूचनाओं की श्रेणी में न रखा गया हो; और
- नागरिकों द्वारा निवेदन किए बिना ही सामान्य जनहित की सूचनाओं को स्वयं अपनी पहल पर सार्वजनिक करने का सरकार का कर्तव्य।

भारतीय संविधान विशिष्ट रूप से सूचना के अधिकार का उल्लेख नहीं करता, लेकिन सर्वोच्च न्यायलय ने काफी पहले इसे एक ऐसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दे दी थी जो लोकतांत्रिक कार्य संचालन के लिए ज़रूरी है। विशिष्ट रूप से कहें तो सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) द्वारा गारंटीप्राप्त बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अभिन्न अंग और अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीप्राप्त जीवन के अधिकार के एक आवश्यक अंग[5] के रूप में मान्यता दी है।

सूचना तक पहुंच बनाने का अधिकार वस्तुतः इस तथ्य को दर्शाता है कि सूचनाएँ जनता की धरोहर होती हैं, न कि उस सरकारी संस्था की जिसके पास ये मौजूद होती हैं। सूचना पर किसी विभाग या तत्कालीन सरकार का 'स्वामित्व' नहीं होता। सूचनाओं को जन सेवकों द्वारा जनता के पैसे से एकत्रित किया जाता है, उनके लिए सार्वजनिक कोष से पैसा अदा किया जाता है और उन्हें जनता के लिए उन की धरोहर के रूप में संभाल कर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि आपको सरकारी कार्रवाइयों, निर्णयों, नीतियों, निर्णय प्रक्रियाओं और यहां तक कि कुछ मामलों में निजी संस्थानों व व्यक्तियों के पास उपलब्ध सूचनाएँ मांगने/पाने का अधिकार है।

सूचना का अधिकार एक असीम अधिकार नहीं है। जहां सूचनाओं को उपलब्ध कराए जाने से जन हित को नुकसान पहुंच सकता है, वहां कुछ सूचनाओं को गुप्त रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, युद्ध के दौरान सैनिकों की तैनाती या आने वाले साल में कर की दरों में बढ़ौतरी या कटौती से संबंधित जानकारी तब तक नहीं बतायी जानी चाहिए जब तक ऐसे खुलासे का फायदा गलत तत्वों को होने की अधिक संभावना रहे। इसके बावजूद, मुख्य सवाल हमेशा एक ही रहेगा: क्या सूचना को सार्वजनिक हित में उजागर करना जन हित में है या उसे गुप्त रखना?

[5] बेनेट कॉलमैन एंड कं बनाम भारतीय संघ, एआईआर 1973 एससी 783, न्यायमूर्ति केके मैथ्यू का असहमतिपूर्ण निर्णय; उ. प्र. राज्य बनाम राज नारायण, एआईआर 1975 एससी 865; एस. पी. गुप्ता बनाम भारतीय संघ, एआईआर 1982 एससी 149; इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बांबे) प्रा. लि. बनाम भारत (1985) 1 एससीसी 641; डी. के. बासु बनाम प. बंगाल राज्य (1997) 1 एससीसी 216; रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लि. बनाम इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बांबे) प्रा. लि. के स्वामी, एआईआर 1989 एससी 190

भाग 2 : सूचना का अधिकार मेरी मदद किस तरह कर सकता है?

आप यह सुनिश्चित करने में सूचना का अधिकार अधिनियम का उपयोग करने की पहल कर सकते हैं कि सरकार आपको वे सेवाएँ प्रदान करे जिनके आप हकदार हैं और वे अधिकार तथा लाभ आपको दे जो भारत का नागरिक होने के नाते आपको मिलने चाहिए। लेकिन, सूचना का अधिकार अधिनियम अपने आप में कोई समाधान नहीं है। यह उस दिशा में पहला कदम है। उदाहरण के लिए, सूचना का अधिकार अधिनियम का इस्तेमाल करने से आपको बिजली या पानी के मीटर का नया कनेक्शन नहीं मिल सकता, लेकिन यह आपको इस बात का पता लगाने में मददगार हो सकता है कि आपके आवेदन पर कार्रवाई करने की ज़िम्मेदारी किसकी है, कार्रवाई में क्या प्रगति हुई है, संबंधित विभाग के सेवा मानदंडों के अनुसार आपको कब तक कनेक्शन मिल जाना चाहिए था और आपके मामले में कार्रवाई में देरी क्यों हुई है।

बहुत से मामलों में सूचना के अधिकार के उपयोग ने कमाल कर दिखाया है। महीनों से लटकाए जा रहे कनेक्शन एक सप्ताह से भी कम

जन सुनवाई लाती है 'पारदर्शिता'

2002 में दिल्ली स्थित एक गैर–सरकारी संगठन परिवर्तन ने पूर्वी दिल्ली की दो पुनर्वास बस्तियों में सार्वजनिक कार्यों के ठेकों की प्रतियां पाने के लिए सूचना अधिकार अधिनियम 2001 का इस्तेमाल किया। इन प्रतियों को उन्होंने 68 सार्वजनिक कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करने के लिए प्रयोग किया और इसके चौंकाने वाले नतीजे निकले। सामाजिक अंकेक्षण ने व्यापक भ्रष्टाचार उजागर किया। ज्यादातर सार्वजनिक कार्य हकीकत में नहीं, बस कागजों में हुए थे। उदाहरण के लिए, 10 ठेकों के तहत बिजली की मोटरों सहित 29 हैंडपम्प लगाए जाने थे, लेकिन इलाके के निवासियों ने बताया कि केवल 14 हैंडपम्प लगाए गए थे। गलियों की नालियों पर 253 लोहे की जालियां लगाने के लिए भुगतान किया गया था, लेकिन वास्तव में केवल 30 जालियां ही लगाई गई थीं। परिवर्तन ने 1.3 करोड़ रु. के 68 सार्वजनिक कार्यों की जांच की और पाया कि 70 लाख रु. का सामान गायब था।

इन सूचनाओं के साथ परिवर्तन दिल्ली की मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, सचिव (प्रशासनिक सुधार) दिल्ली, दिल्ली नगर निगम आयुक्त से मिला और मांग की कि दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। मई 2004 में परिवर्तन द्वारा दायर एक याचिका पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए कहा। जवाब में सीमापुरी क्षेत्र के निगम पार्षद परिवर्तन के पास इस प्रस्ताव के साथ पहुंचे की इलाके में किए गए सभी सार्वजनिक कामों में संपूर्ण पारदर्शिता बरती जाएगी। कार्यकारी अभियंता को कोई भी काम करने से पहले अनुमानित लागतों तथा खाकों की प्रतियां उपलब्ध कराने और काम पूरा हो जाने के बाद उनका निरीक्षण करने देने के निर्देश दिए गए। पार्षद ने प्रस्ताव रखा कि परिवर्तन और जनता कामों में दोष निकाले और कहा कि जब तक लोगों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निपटारा नहीं हो जाता, अदायगी नहीं की जाएंगी।

वक्त में लगा दिए गए; घटिया तरीके से बनाई गई सड़कों पर दस दिनों के भीतर खड़ंजा डाला गया है; महीनों तक साफ न किया जाने वाला कूड़ा हर सुबह हटाया गया है। और भी बहुत कुछ हुआ है। नागरिकों के सवालों का जवाब देने के खयाल तक ने बहुत से

[6] परिवर्तन (2002) "परिवर्तन कंडक्ट्स फर्स्ट अर्बन जन सुनवाई : http://www.parivartan.com/jansunwais.asp#Parivartan%20conducts%20first%20Urban%20Jansunwai, 20 मार्च 2006

सरकारी अधिकारियों के दिमागों में कानून का भय पैदा किया है। सूचना के अधिकार के बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग से बहुत सारी समस्याओं को सुलझाया जा रहा है। उदाहरण के लिए:

- राशनकार्डधारी राशन डीलरों और खाद्य विभाग के स्टॉक व बिक्री रजिस्टरों का निरीक्षण कर सुनिश्चित कर सकते हैं कि उन्हें राशन उचित मात्रा में मिल रहा है और उनके नाम पर राशन की चोरी नहीं की जा रही है;
- सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों से अभिभावक अनुदानों संबंधी ब्योरे मांग सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि धनराशियों को सही तरीके से खर्च किया जा रहा है या जांच कर सकते हैं कि स्कूल में प्रवेशों के लिए रिश्वत तो नहीं दी जा रही या शिक्षा के लिए प्राप्त राशियों को किन्हीं और कामों के लिए तो खर्च नहीं किया जा रहा;
- छोटे व्यावसायों के मालिक सरकार द्वारा लाइसेंस और/ या कर रियायतें तथा सब्सिडी दिए जाने के आधारों को तथा उनके हितग्राहियों को जान सकते हैं। वे इस बात की भी जांच कर सकते हैं कि सरकार सही कसौटियों के आधार पर ही लाइसेंस और/ या कर रियायतें तथा सब्सिडी दे रही है;
- बेरोज़गार लोग सरकारी नौकरियों के लिए मानदंडों के बारे में या प्रतीक्षा सूची में अपने आवेदन की स्थिति के बारे में पूछ सकते हैं;
- लोग सरकारी सेवाओं के लिए दिए गए अपने आवेदनों के मामले में हुई प्रगति की जांच कर सकते हैं, जैसे बिजली या पानी के कनेक्शन के लिए किए गए अपने आवेदन की स्थिति के बारे में जांच के द्वारा और साथ ही इस इस बात की जानकारी पाने के जरिए कि किन अधिकारियों ने उस फाइल पर कार्रवाई की, कितने समय में और क्या कार्रवाई की।

सामुदायिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील व्यक्ति के रूप में हो सकता है कि आप सार्वजनिक महत्व के मुद्दों के बारे में सूचनाओं का पता लगाना चाहें और कोशिश करें कि सरकार समस्याओं को संबोधित करे। उदाहरण के लिए, आप पता लगा सकते हैं :

- किस सरकारी हस्पताल में कितनी मौतें हुई हैं और किस कारण से या स्वीकृत कर्मियों की तुलना में कितने चिकित्सकों और नर्सों की कमी है;
- सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की दैनिक उपस्थिति क्या है;
- स्थानीय जेलों में स्वीकृत कैदी संख्या के मुकाबले कितने कैदियों को रखा जा रहा है;
- निरीक्षक यह जांचने के लिए कितनी बार फैक्ट्रियों और विनिर्माण इकाइयों में जाते हैं कि वे गैर–कानूनी तरीके से पर्यावरण को जोखिम भरी सामग्रियां छोड़ कर प्रदूषित तो नहीं कर रहे;
- नगरपालिका अधिकारियों ने कितने ठेकेदारों को काली सूची में डाला है और इस सूची में में होने के बावजूद उन्हें लोक निर्माण कार्यों के ठेके दिए गए हैं।

भाग 3 : मैं किससे सूचनाएँ ले सकती/सकता हूँ?

सूचना का अधिकार अधिनियम समूचे देश में सभी राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों (जम्मू–कश्मीर के अलावा, जो संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत प्राप्त विशेष दर्जे के कारण इस अधिनियम के दायरे में नहीं आता)[7] पर लागू होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम विशिष्ट रूप से उन सरकारी संस्थाओं का उल्लेख करता है जिनसे आप सूचनाएँ पा सकते हैं। साथ ही यह मांग भी करता है कि इसके दायरे में आने वाली संस्थाएँ आपके आवेदनों को प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी अदा करने के लिए अलग से अधिकारियों को मनोनीत करें।

अधिनियम के दायरे में कौन सी संस्थाएँ आती हैं?

सूचना का अधिकार अधिनियम आपको 'लोक प्राधिकरणों' के पास मौजूद सूचनाओं तक पहुंच बनाने का अधिकार देता है।[8] सार्वजनिक प्राधिकरणों में वे संस्थाएँ शामिल हैं जो :

- संविधान द्वारा स्थापित या गठित हैं;
- संसद या किसी राज्य विधायिका के कानून द्वारा स्थापित या गठित हैं;
- केन्द्र या राज्य सरकार की किसी अधिसूचना या आदेश के द्वारा स्थापित या गठित हैं; और
- राज्य व केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाली, उनके द्वारा नियंत्रित या पर्याप्त मात्रा में सरकारी धनराशियां पाने वाले निकाय
- सभी गैर सरकारी संगठनों व निजी क्षेत्र के निकायों जो सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित हैं।

''लोक प्राधिकरण'' की परिभाषा जानबूझ कर व्यापक रखी गई है क्योंकि कानून के दायरे में अधिकतम संभव संस्थाओं को लाना ज़रूरी है। परिणामस्वरूप, सरकार के सभी प्रशासनिक स्तर इसके दायरे में आ जाते हैं। इसका अर्थ है कि लोग किसी भी और सभी पंचायतों – जिला परिषदों, समितियों/ मंडल/ जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों – नगरपालिकाओं/ निगमों, ब्लॉक विकास अधिकारियों, उप–प्रभाग अधिकारियों, जिला आयुक्त/ उपायुक्त कार्यालयों, सचिवालय स्तर पर सभी सरकारी विभागों, सशस्त्र बलों, सरकार द्वारा स्थापित, संचालित या वित्तपोषित सभी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, हस्पतालों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से सूचनाएँ मांग सकते हैं।

अधिनियम की एक उल्लेखनीय विशिष्टता यह है कि इसके दायरे में वे सभी गैर–सरकारी संगठन आते हैं जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी धनराशियां प्राप्त होती हैं। इसका अर्थ है कि जिन निजी संस्थाओं को सार्वजनिक धन दिया जाता है, वे जन निरीक्षण के लिए खुली होनी चाहिएं। व्यवहार में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, कॉलेजों, हस्पतालों या मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जैसी सरकारी योजनाओं को कार्यान्वित कर रहे किसी भी खैराती संगठन के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचनाओं को सार्वजनिक करना आवश्यक है।

---

[7] देखें टिप्पणी 4

[8] धारा 2(एच), सूचना अधिकार अधिनियम 2005 (अगर आगे अलग से उल्लेख नहीं किया गया है, तो सभी धाराएँ सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की हैं)।

कुछ संगठन अधिनियम के दायरे में नहीं आते [9]

दुर्भाग्यवश, अभी भी कुछ ऐसे संगठन/ संस्थाएँ हैं जो पूरी तरह सूचना अधिकार अधिनियम के दायरे में नहीं आए हैं। अधिनियम विशिष्ट रूप से उन 18 केन्द्रीय सुरक्षा तथा गुप्तचर संगठनों को सूचीबद्ध करता है जिन्हें सूचनाएँ प्रदान करने की ज़रूरत नहीं है। राज्यों को अपने नियंत्रण वाली ऐसी ही संस्थाओं को इस दायरे से बाहर रखने की शक्तियां प्रदान करता है। लेकिन, अधिनियम कम से कम इन एजेंसियों से वे सूचनाएँ देने की मांग करता है जो भ्रष्टाचार तथा मानवाधिकारों के हनन के आरोपों के मामलों से संबंधित की गई हैं। मानवाधिकारों के हनन के आरोपों के बारे में सूचनाएँ आवेदन की प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर केवल संबंधित सूचना आयोग के अनुमोदन से ही प्रदान की जाएंगी।

मैं संस्था में किससे संपर्क करूं जिसके पास सूचनाएँ हों?

आदर्श रूप से किसी भी लोक प्राधिकरण में काम कर रहे अधिकारी को आपको अपना आवेदन जमा कराने में मदद देनी चाहिए। लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोगों द्वारा संपर्क करने के लिए कोई तय संपर्क बिंदु हो, सूचना का अधिकार अधिनियम लोक प्राधिकरणों में सूचना के आवेदनों से निपटने के लिए दो तरह के अधिकारियों को मनोनीत करता है : लोक सूचना अधिकारी और सहायक लोक सूचना अधिकारी।

- **लोक सूचना अधिकारी:** केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर सभी प्रशासनिक इकाइयों या कार्यालयों में लोकसूचना अधिकारियों को मनोनीत किया जाना चाहिए। ये अधिकारी आवेदनों को प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए ज़िम्मेदार हैं।[10] आवेदन करने में कठिनाई का सामना कर रहे निवेदकों की सहायता करना भी इन अधिकारियों का कर्तव्य है। सभी कार्यालयों के सूचना पटलों और उनके वेबसाइट पर लोक सूचना अधिकारियों के नाम तथा पदनाम व पता प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

- **सहायक लोक सूचना अधिकारी:** अधिनियम यह भी मांग करता है कि उप जिला या उप मंडल स्तर पर लोक प्राधिकरण सहायक लोक सूचना अधिकारियों को भी मनोनीत करें। इनका काम आवेदनों को उच्च स्तरों के संबंधित लोक सूचना अधिकारियों को आगे प्रेषित करना होगा। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि सीमांत इलाकों में सरकारी मुख्यालयों से दूर रहने वाले लोगों को अपने आवेदनों को जमा कराने और उन पर कार्रवाई की प्रगति जानने में कम कठिनाई हो। आवेदन की प्राप्ति के पांच दिनों के भीतर आवेदनों को लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित कर देना सहायक लोक सूचना अधिकारी का दायित्व है। वास्तव में आपको सूचना देने की ज़िम्मेदारी सहायक लोक सूचना अधिकारी की नहीं है। वह प्राथमिक रूप से लोक सूचना अधिकारी का दायित्व है।[11] लेकिन, अगर सूचना आसानी से सुलभ है, तो उन्हें आपके आवेदन पर कार्रवाई कर जितना जल्द संभव है सूचना प्रदान करनी चाहिए।

---

[9] धारा 24
[10] धारा 5(1)
[11] धारा 5(2)

लोक सूचना अधिकारी को आपको अपना आवेदन जमा कराने के लिए इधर से उधर भटकाना नहीं चाहिए

कुछ सरकारी मंत्रालयों/ विभागों में आवेदनों को प्राप्त व उन पर कार्रवाई करने के लिए कई लोक सूचना अधिकारियों को मनोनीत किया गया है। यह स्थिति निवेदकों को बहुत उलझन में डालने वाली रही है क्योंकि लोक सूचना अधिकारियों ने उन्हें तब तक एक से दूसरे सूचना अधिकारी के पास भटकाया है जब तक उन्हें ''सही'' लोक सूचना अधिकारी नहीं मिल गया। उदाहरण के लिए, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने 40 के आसपास लोक सूचना अधिकारी मनोनीत किए हैं और उनमें से हर एक को एक विशिष्ट विषय/ अधिकार क्षेत्र सौंपा है। परिणाम स्वरूप, अगर निवेदित सूचना एक से ज़्यादा लोक सूचना अधिकारियों के क्षेत्र से संबंधित है तो आवेदकों को कई आवेदन सौंपने या अतिरिक्त शुल्क अदा करने के लिए मजबूर किया गया है। अधिनियम के तहत ऐसा करने की स्वीकृति नहीं है। हाल ही के एक मामले में, केन्द्रीय सूचना आयोग ने इस बात की पुष्टि की कि यह गलत तरीका है और उसने डीडीए को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करे कि उसके लोक सूचना अधिकारी सभी आवेदनों को स्वीकार करें, भले ही वे उन्हें सौंपे गए खास विषय/ क्षेत्र के दायरे में आते हों या नहीं।[12] आर्दश रूप से लोक प्राधिकरण आवेदनों के लिए 'एकल खिड़की' की व्यवस्था विकसित कर सकते हैं जहां कार्यालय के आगे के हिस्से में एक सहायक लोक सूचना अधिकारी सभी आवेदनों को प्राप्त करें, भले ही बाद में उन पर कार्रवाई करने का काम कई लोक सूचना अधिकारियों द्वारा किया जाए।

केन्द्र सरकार ने केन्द्र सरकार के मामलों से संबंधित सभी आवेदनों को आगे विभिन्न विभागों के संबंधित लोक सूचना अधिकारियों को प्रेषित करने के लिए देश भर में कई डाक विभाग कार्यालयों में सहायक लोक सूचना अधिकारियों को मनोनीत किया है। डाक विभाग में केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारियों की पूरी सूची के लिए आधिकारिक सूचना का अधिकार वेबसाइट (http://rti.gov.in) देखी जा सकती है।

[12] केन्द्रीय सूचना आयोग (2006) अपील सं. 10/ 1/ 2005–सीआईसी, 25 फरवरीः http://cic.nic.in, 20 मार्च 2006

भाग 4 : मैं कौन सी सूचनाएँ हासिल कर सकती/सकता हूँ?

सूचना का अधिकार अधिनियम सूचनाओं को अधिकतम रूप से सार्वजनिक किए जाने को बढ़ावा देता है। व्यवहार में इसका अर्थ है कि आप लोक प्राधिकरणों के पास मौजूद अधिकांश सूचनाओं को हासिल कर सकते हैं। इसमें कुछ अपवाद भी हैं जो ऐसी संवेदनशील सूचना की रक्षा करने के लिए बनाए गए हैं जिनके सार्वजनिक किए जाने पर सार्वजनिक कल्याण से कहीं ज़्यादा नुकसान होगा।

कौन सी सूचनाएँ सुलभ हैं?

सूचना का अधिकार अधिनियम आपको लोक प्राधिकरणों के पास विभिन्न रूपों में मौजूद व्यापक किस्म की सूचनाओं तक पहुंच की इजाज़त देता है। उदाहरण के लिए, आप इस अधिनियम का इस्तेमाल अभिलेखों, पांडुलिपियों, फाइलों, फाइलों पर लिखी गई टिप्पणियो, माइक्रोफिल्मों, माइक्रोफीश, दस्तावेजों, मीमो, ईमेल, मतों, परामर्शों, प्रेस विज्ञप्तियों, सर्कुलरों, आदेशों, लॉगबुकों, अनुबंधों, प्रतिवेदनों, पेपरों, नमूनों, मॉडलों, इलेक्ट्रॉनिक डाटा, कंप्यूटर या किसी अन्य यंत्र से तैयार की गई सामग्री को हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी अन्य मौजूदा कानून के तहत एक लोक प्राधिकरण किसी निजी संस्थान से जो सूचनाएँ ले सकता है, उन्हें आप भी उस लोक प्राधिकरण द्वारा हासिल कर सकते हैं।[13]

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आपको:

अभिलेखों या कार्यों का निरीक्षण करने का अधिकार है

आप निजी तौर पर किसी कार्य, दस्तावेज़ या अभिलेख का निरीक्षण करने की मांग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप निजी तौर पर किसी पुल के निर्माण या किसी हैंडपम्प के लगाए जाने का निरीक्षण कर सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि काम उचित सेवा मानदंडों के अनुसार किया जा रहा है। या आप सरकारी फाइलों का निरीक्षण कर सकते हैं और फिर फैसला कर सकते हैं कि आपको उनमें से कौन से कागजों की प्रतियां चाहिएं;[14]

प्रमाणित प्रतियां हासिल करने का अधिकार है

आप दस्तावेजों और अभिलेखों या उनके अंशों की प्रमाणित प्रतियां हासिल कर सकते हैं और किन्हीं दस्तावेजों या अभिलेखों से नोट भी ले सकते हैं;[15]

नमूने या मॉडल हासिल करने का अधिकार है

आप सामग्री के प्रमाणित नमूनों या मॉडलों की मांग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने घर के सामने बनाई जा रही सड़क के रेत, टार या सीमेंट के नमूने की मांग कर सकते हैं ताकि आप जांच सकें कि अनुबंध के अनुसार सही सामग्रियों का इस्तेमाल किया जा रहा है;[16]

---

[13] धारा 2(एफ) और 2(1)
[14] धारा 2(जे)(1)
[15] धारा 2(जे)(2)
[16] धारा 2(जे)(3)

इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना हासिल करने का अधिकार है

आपको डिस्केट्स, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में या प्रिंट आउट के ज़रिए सूचनाएँ हासिल करने का अधिकार है। अधिनियम को इतने व्यापक रूप में तैयार किया गया है कि प्रौद्योगिकी के नए रूपों में भंडारित सूचनाएँ भी इसके दायरे में आ जाएंगी।[17]

आप लोक प्राधिकरणों से निजी कंपनियों के बारे में सूचनाएँ हासिल कर सकते हैं

अधिनियम के तहत लोक प्राधिकरणों से सूचनाएँ हासिल करने के अलावा, आप किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी भी सूचनाएँ मांग सकते हैं जो किसी निजी संस्थान से संबंधित हों, बशर्ते वह लोक प्राधिकरण किसी भी अन्य मौजूदा कानून के अंतर्गत उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए सक्षम है। उदाहरण के लिए, पर्यावरण व वन मंत्रालय की शर्त के अनुसार उद्योगों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण निगमों को ''पर्यावरणीय विवरण'' देने होते हैं। इन विवरणों को उद्योगों द्वारा प्रदूषण को न्यूनतम करने और संसाधनों का संरक्षण करने के प्रयासों को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप सूचना अधिकार अधिनियम का उपयोग करते हुए इन विवरणों तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। इस प्रावधान के पीछे का प्रयोजन यह है कि लोक प्राधिकरणों को मात्र इसलिए आपके आवेदनों को रद्द नहीं कर देना चाहिए कि उन्होंने कानून के तहत जानकारी एकत्रित करने के अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है। अगर उन्हें कानून के अनुसार सूचनाएं एकत्रित करनी चाहिए थीं तो सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अब आपके आवेदन पर उन्हें उन सूचनाओं को प्राप्त कर आपको उपलब्ध कराना होगा। आर्दश रूप में, वे जो सूचनाएँ एकत्रित करते हैं, उन्हें उन पर कार्रवाई भी करनी चाहिए।

क्या ऐसी भी सूचनाएँ हैं जो आम तौर पर नहीं मिलेंगी?

हालांकि सूचना का अधिकार अधिनियम आपको व्यापक किस्म की सूचनाओं को मांगने/पाने का अधिकार देता है, लेकिन इसके बावजूद ऐसी भी स्थितियां होती हैं जिनमें आप कुछ सूचना नहीं मांग/पा सकते हैं क्योंकि वे बहुत संवेदनशील हैं। ऐसी सूचनाओं को सरकार द्वारा आपकी पहुंच से बाहर रखा जाता है। इसका आधार यह होता है कि इन सूचनाओं को सार्वजनिक करने से सार्वजनिक कल्याण की जगह नुकसान होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम उन विशिष्ट मामलों का उल्लेख करता है जिनमें वैध रूप से आपको सूचनाएँ देने से इंकार किया जा सकता है।[18] वे स्थितियां हैं:

(क) जहां सूचना का खुलासा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, इसके वैज्ञानिक या आर्थिक हितों या किसी विदेशी राज्य से इसके संबंधों को नुकसान पहुंचाए या किसी अपराध के लिए उकसाए;

(ख) जहां किसी अदालत या न्यायाधिकरण ने किसी सूचना को प्रकाशित करने पर रोक लगाई हो या सूचना को सार्वजनिक करने से अदालत की अवमानना होती हो;

(ग) सूचना के खुलासे से संसद या राज्य विधायिका के विशेषाधिकार का उल्लंघन होता हो;

(घ) सूचना गोपनीय व्यावसायिक सूचना, व्यापारिक भेद या बौद्धिक संपदा हो या उसे देने से किसी तीसरे पक्ष (जैसे वह कंपनी जिसने सूचना को लोक प्राधिकरण को उपलब्ध कराया हो) की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान पहुंचता हो;

(च) सूचना किसी व्यक्ति को इसलिए उपलब्ध हो कि उसका किसी अन्य व्यक्ति से विश्वास का संबंध हो (जैसे चिकित्सक/ रोगी, वकील/ क्लाइंट संबंध);

(छ) सूचना विश्वास में किसी विदेशी सरकार द्वारा दी गई हो;

[17] धारा 2(जे)(4)

[18] धारा 8(1) और 9

(ज) सूचना का खुलासा करने से किसी व्यक्ति का जीवन या शारीरिक सुरक्षा खतरे में पड़ती हो;

(झ) सूचना के खुलासे से अपराध की जांच में बाधा आए या बाधा उत्पन्न होने की आशंका हो या अपराधियों के अभियोजन में रुकावट आती हो;

(ट) मंत्रिमंडल, सचिवों और अन्य अधिकारियों की अंदरूनी चर्चा संबंधी अभिलेखों सहित मंत्रिमंडल के कागज़ात, हालांकि निर्णय हो जाने के बाद सूचनाओं को सार्वजनिक कर दिया जाना चाहिए;

(ठ) निवेदिन सूचना निजी सूचना हो जिसका खुलासा करने का किसी सार्वजनिक गतिविधि से कोई संबंध न हो या जिससे किसी व्यक्ति के एकांत पर अनावश्यक हमला होता हो; और

(ड) सूचना का खुलासा करने से राज्य के अलावा किसी संस्था या व्यक्ति के कॉपीराइट का अतिक्रमण होता हो।

लेकिन छूटों की ये श्रेणियां असीम नहीं हैं। भले ही आपके द्वारा निवेदित सूचना छूट की श्रेणी में आती हो, अगर सूचना को गोपनीय रखने के मुकाबले उसे सार्वजनिक करने से अधिक जन कल्याण होता हो, तो छूट की श्रेणी में आने के बावजूद उसे सार्वजनिक कर दिया जाना चाहिए। इसे ''जन हित की सर्वोच्चता'' सिद्वांत कहा जाता है और यह छूट की सभी श्रेणियों पर लागू होती है।[19] उदाहरण के लिए, अतीत में देश के राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा कारणों का हवाला देकर भारत सरकार तथा विदेशी कंपनियों के बीच हुए रक्षा अनुबंधों की प्रतियों तक पहुंच नहीं बनाने दी जाती थी। लेकिन अगर इन अनुबंधों को हासिल करने के लिए दलाली देने या किसी मध्यस्थ द्वारा दबाव डालने के आरोप हों, तो अनुबंधों के विवरण जानने से अधिक जन हित होगा। करदाताओं को जानने का हक है कि क्या खर्च किए गए पैसे के बराबर मूल्य मिला या नहीं, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाले उपकरण चुने गए या नहीं और क्या निर्णय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण लोगों को रिश्वत दी गई। अधिनियम के सुरक्षा और सामरिक हितों के प्रावधानों का इस्तेमाल कर इन सूचनाओं को देने से इंकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इन्हें सार्वजनिक करने में ही जनता का हित अधिक है।

जो सूचनाएँ संसद हासिल कर सकती है, आप भी कर सकते हैं

सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचनाओं तक पहुंच को निर्धारित करने का मार्गदर्शक सिद्धांत यह है कि कोई भी ऐसी सूचना जिसे संसद या किसी राज्य की विधायिका को देने से इंकार नहीं किया जा सकता, उसे आपको देने से भी इंकार नहीं किया जा सकता।[20] इसलिए भले ही कोई सूचना छूट की श्रेणी में आती हो, लेकिन अगर उसे संसद या राज्य विधायिका को देना ज़रूरी है, तो फिर उसे आपको देना भी ज़रूरी है।

किसी भी स्थिति में, जैसे ज़्यादातर चीज़ों के उपयोग करने की एक अवधि होती है, उसी तरह छूट की श्रेणी में रखी गई सूचनाओं को भी 'सुरक्षित' या गोपनीय रखने की एक अवधि होती है, और यह छूट हमेशा नहीं बनी रह सकती। कभी–कभी कुछ समय गुज़र जाने के बाद सूचना को सार्वजनिक करने से किसी तरह के नुकसान की आशंका नहीं होती। उदाहरण के लिए, आज जो राष्ट्रीय आर्थिक सूचनाएँ सार्वजनिक किए जाने पर भारत की अंतर्राष्ट्रीय हैसियत को प्रभावित कर सकती हैं, बहुत संभव है कि 10 या 20 साल बाद वे इतनी संवेदनशील न रह जाएं। सूचना का अधिकार अधिनियम आपको किसी घटना या विषय के बारे में 20 वर्ष बाद सूचनाओं का निवेदन करने की इजाज़त देता है, भले ही समय के किसी दौर में वे छूट की एक या अधिक श्रेणियों के दायरे में आई हों।[21] लेकिन ऊपर बताए गए (क), (ग) और (ट) की श्रेणी वाले सूचनाएँ 20 साल बाद भी गोपनीय रखी जाएंगी।

[19] धारा 8(2)
[20] धारा 8(1)
[21] धारा 8(3)

भाग 5 : कौन सी सूचनाओं को स्वैच्छिक रूप से प्रकाशित करना ज़रूरी है?

सूचना का अधिकार अधिनियम अपने दायरे में आने वाले सभी लोक प्राधिकरणों से व्यापक किस्म की सूचनाओं को स्वयं स्वैच्छिक रूप से (जिसे अंग्रेजी में 'स्यूओ मोटो' कहा जाता है) प्रकाशित करने की मांग करता है, भले ही किसी ने विशिष्ट तौर पर उन सूचनाओं के लिए निवेदन न किया हो। यह एक प्रमुख प्रावधान है क्योंकि यह मानता है कि कुछ सूचनाएँ सामान्य समुदाय के लिए इतनी उपयोगी और महत्वपूर्ण होती हैं कि उन्हें किसी व्यक्ति के विशिष्ट निवेदन के बिना ही नियमित रूप से लोगों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अधिक व्यापक अर्थों में कहें तो यह प्रावधान स्वीकार करता है कि पारदर्शिता सामान्यतः जन हित में होती है और इसलिए लोक प्राधिकरणों को जितना अधिक संभव है, उतनी सूचनाओं को सार्वजनिक करने का भरसक प्रयास करना चाहिए।

वे सूचनाएँ जो भागीदारी और निगरानी को बढ़ावा दें

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(b) सभी लोक प्राधिकरणों से सूचनाओं की 17 श्रेणियों[22] को नियमित रूप से सार्वजनिक करने और उन्हें नियमित रूप से अपडेट बनाने की मांग करता है।[23] इससे सुनिश्चित हो जाता है कि नागरिकों की प्रामाणिक, उपयोगी तथा प्रासंगिक सूचनाओं तक हमेशा पहुंच रहेगी। प्रकाशित की जाने वाली सूचनाएँ निम्न सामान्य क्षेत्रों के दायरों में आती हैं:

सरकारी दफ्तर/विभाग की संरचना – इसके कार्य और कर्तव्य, इसके अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य, इसके कर्मियों की एक डायरेक्ट्री तथा हर कर्मी द्वारा पाया जाने वाला मासिक पारिश्रमिक।

> उदाहरण के लिए : विभाग/दफ्तर का सांगठनिक चार्ट, विभागों के प्रभारी अधिकारियों के नाम, हर अधिकारी के कार्य और शक्तियां और उन्हें प्राप्त होने वाला वेतन।

कार्य–संचालन की प्रक्रिया – निर्णय प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली कार्य प्रणालियां, मानदंड, नियम, लोक प्राधिकरण के पास मौजूद दस्तावेजों की श्रेणियां।

> उदाहरण के लिए : राशन कार्ड कैसे जारी किए जाते हैं, वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं कैसे चलाई जाती हैं या वीजा कैसे प्रदान किए जाते हैं – से संबंधित सरकारी नियम। हकीकत में ठीक वही कानून, नियम, आंतरिक आदेश, मीमो और सर्कुलर जो लोक प्राधिकरण के रोज़मर्रा के कामकाज में दिशानिर्देशों का काम करते हैं।

संगठन से संबंधित वित्तीय विवरण और योजनाएं – सभी प्राधिकरणों के बजट (उन योजनाओं और गतिविधियों सहित जिनका वे प्राधिकरण प्रबंधन करते हैं और साथ ही उनके कार्यान्वयन से संबंधित प्रतिवेदनों सहित), सब्सिडी कार्यक्रमों (ऐसे कार्यक्रमों को आवंटित धनराशियों और उनके हितग्राहियों के विवरणों सहित) के कार्यान्वयन के तरीके तथा कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सभी छूटों, परमिटों या अनमोदनों के प्राप्तकर्ताओं के विवरण।

> उदाहरण के लिए : व्ययों के अनुमान, लोक प्राधिकरणों द्वारा प्राप्त किए गए अनुदानों और धनराशियों के विवरण, गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोगों की सूचियां, ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रशासन पर नियमित अपडेट, रोजगार गारंटी योजना के हितग्राहियों के विवरण, औद्योगिक लाइसेंसों के प्राप्तिकर्ता और पंचायत के लिए बजट दस्तावेज।

[22] धारा 4(1)
[23] धारा 4(2)

परामर्श व्यवस्थाओं के विवरण – लोगों के लिए नीतियों के निर्माण या उनके कार्यान्वयन में सहभागिता के अवसर और साथ ही सरकारी निगमों, समितियों, परिषदों और परामर्शदाता समूहों के विवरण।

> उदाहरण के लिए : विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करने वाली पंचायतों और नगरपालिकाओं की समितियां, संसदीय समितियां, जांच बोर्ड, विभागीय खरीद समितियां, विभागीय प्रोत्साहन समितियां या तकनीकी परामर्शदाता संस्थाएं

सूचनाओं तक पहुंच से संबंधित विवरण – किसी कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों की सभी श्रेणियों की सूची, इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई/ उपलब्ध सूचनाओं के विवरण, सूचनाओं तक पहुंच बनाने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएं और लोक सूचना अधिकारियों के नाम और पद।

> उदाहरण के लिए : वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने के दिन एवं समय, पुस्तकालयों और वचानालयों के समय, सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित कार्यों को करने वाले सभी अधिकारियों के नाम और संपर्क विवरण।

केन्द्रीय व राज्य स्तर के अनेकों लोक प्राधिकरण धारा 4(1)(b) के तहत आने वाली सूचनाओं को पहले ही अपने वेबसाइटों पर प्रस्तुत कर व दूसरे विभिन्न तरीकों से प्रकाशित कर चुके हैं। आप भारत सरकार द्वारा विकसित सूचना का अधिकार पोर्टलः http://rti.gov.in. पर देख कर केन्द्र और राज्य सरकारों के तहत आने वाले मंत्रालयों/ विभागों द्वारा अपनी पहल पर सार्वजनिक की गई सूचना पा सकते हैं।

लोक प्राधिकरणों को सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि धारा 4(1)(b) के तहत आने वाली सूचनाओं को व्यापक रूप से प्रसारित किया जाए। उन्हें एकत्रित कर फाइल में रख देना भर काफी नहीं है। इन्हें व्यापक रूप से और ऐसे रूपों में प्रकाशित करने की ज़रूरत है जिससे ये साधारण लोगों के लिए सुलभ हों – उदाहरण के लिए, सूचनाओं को कार्यालय सूचना पटलों पर लगा कर, उन्हें समाचार पत्रों में प्रकाशित कर, इसे सरकारी वेबसाइटो पर उपलब्ध करा कर, सार्वजनिक घोषणाएं (मुनादियां) करा कर और उन्हें इलाके की क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित कर।[24] हर लोक सूचना अधिकारी को कमसे कम एक दस्तावेज़ या एक कंप्यूटर में यह सूचनाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिएं ताकि वह उन्हें फौरन निरीक्षण के लिए हाज़िर कर सके या अगर उन्हें प्रिंट आउट या फोटोकॉपी के रूप में मांगा गया है, तो फौरन उन्हें मुहैया करा सके।[25]

वे सूचनाएँ जो जवाबदेह निर्णय प्रक्रिया को बढ़ावा दें

सरकार नियमित रूप से ऐसी नीतियां, परियोजनाएँ तथा योजनाएं विकसित करती है जो जनता को प्रभावित करती हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम मांग करता है कि सभी लोक प्राधिकरण नीतियां बनाते और निर्णयों की घोषणा करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों को प्रकाशित करें। इसका अर्थ है कि नागरिक नीति प्रक्रिया में अधिक सक्रियता से सहभागी हो सकते हैं और इस बात की अधिक प्रभावी तरीके से जांच कर सकते हैं कि निर्णय सुदृढ़ आधारों पर किए गए हैं।[26] इसमें, उदाहरण के लिए, बांध या ऊर्जा परियोजनाएं निर्मित करने के लिए निजी भूमियों के अधिग्रहण से संबंधित योजनाओं के विवरणों या नई गरीबी निवारण नीतियों तथा योजनाओं के विकास से संबंधित तथ्यों को प्रकाशित करना शामिल होगा।

---

[24] धारा 4(2), (3) और (4)

[25] धारा 4(4)

[26] धारा 4(1)(सी)

अब लोक प्राधिकरणों को अपने निर्णयों के कारण उन लोगों को बताने होंगे जो उन निर्णयों से प्रभावित होंगे।[27] उदाहरण के लिए, अगर किसी कल्याणकारी योजना के तहत किसी नागरिक को प्रदान किए गए लाभों को वापस लिया गया है, तो फैसला लेने वाले लोक प्राधिकरण को विशिष्ट तौर पर प्रभावित व्यक्ति को लिखित में ऐसा करने के कारण समझाने होंगे। निर्णयों को हर स्थिति में प्रकाशित किया जाना चाहिए ताकि जनता के सभी सदस्य इस बात की जांच कर सकें कि निर्णय ठीक ढ़ंग से लिए गए हैं।

धारा 4(1)(बी) के तहत आने वाली सूचनाओं के लिए आपको न कोई आवेदन शुल्क देना है और न ही लंबी इंतजार करनी है!

सूचना का अधिकार अधिनियम में परिकल्पना की गई है कि अपनी पहल पर सार्वजनिक की गई सूचनाओं को निःशुल्क व्यापक स्तर पर प्रकाशित किया जाएगा। इसके लिए न किसी विशिष्ट आवेदन की ज़रूरत है और न ही आवेदन शुल्क अदा करने की। इसके लिए क्योंकि आवेदन करने की ज़रूरत नहीं, सो सूचना पाने के लिए 30 दिन इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। सूचनाएँ आपको तुरंत दी जानी चाहिए। अधिक से अधिक आपसे आपके द्वारा मांगी गई प्रति का शुल्क लिया जा सकता है, लेकिन निरीक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। अगर कोई सार्वजनिक प्राधिकरण आपको शुल्क के साथ आवेदन करने के लिए कहता है, तो आप उसे केन्द्र या राज्य सूचना आयोग से इस बारे में पूछने के लिए कहें। आयोग निश्चित रूप से इस बात की पुष्टि करेंगे कि आपको आवेदन देने की ज़रूरत नहीं है।

[27] धारा 4(1)(डी)

भाग 6 : मैं सूचनाओं के लिए आवेदन कैसे करूं?

अगर आप कोई ऐसी विशिष्ट सूचना चाहते हैं जिसे सरकार द्वारा स्वैच्छिक रूप से सार्वजनिक नहीं किया जाता – उदाहरण के लिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका सांसद किस तरह सांसद विकास निधि को खर्च कर रहा है, आपके मोहल्ले की सड़कों और नालियों की मरम्मत के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया है या आप किसी मंत्रालय के कार्यालयों की साज–सज्जा के खर्चे से संबंधित दस्तावेजों को देखना चाहते हैं, तो सूचना का अधिकार अधिनियम आपको संबंधित लोक प्राधिकरण को एक लिखित आवेदन करने का अधिकार देता है।[28]

चरण 1 : उस लोक प्राधिकरण की पहचान करें जिसके पास सूचना है

इस दिशा में पहला कदम उस लोक प्राधिकरण की पहचान करने का है जिसके पास आप द्वारा चाही गई सूचना है। अगर आपको उस प्राधिकरण के बारे में निश्चित रूप से नहीं मालूम तो उन संभावित प्राधिकरणों की एक सूची तैयार करें जिनके पास आपके अनुसार आपकी वांछित सूचना हो सकती है। उनमें से किसी एक लोक प्राधिकरण को अपना आवेदन पत्र भेजिए अथवा उसके कार्यालय में जमा करवाइए। इस बात को लेकर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि आपका आवेदन पत्र गलत कार्यालय में न चला गया हो क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुसार आपने जिस कार्यालय को अपना आवेदन सौंपा है, भले ही उसके पास आप के द्वारा मांगी गई सूचना न हो, उन्हें आपके आवेदन को लौटाना नहीं चाहिए, बल्कि पांच दिनों के भीतर आपको आवेदन को संबंधित लोक प्राधिकरण को हस्तांतरित कर देना चाहिए।[29] अगर आपका आवेदन हस्तांतरित कर दिया गया है तो पहले प्राधिकरण को लिखित में आपको इस बात की सूचना देनी चाहिए। अब 30 दिनों की मूल अवधि के भीतर आपके द्वारा निवेदित सूचना को आपको उपलब्ध कराना दूसरे लोक प्राधिकरण की ज़िम्मेदारी है।

उदाहरण के लिए : अगर आप जानना चाहते हैं आपकी कॉलोनी / पड़ोस में सड़क के निर्माण के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया था, तो आपको अपने इलाके में सड़कों और सार्वजनिक कार्यों के लिए ज़िम्मेदार स्थानीय नगर निगम को आवेदन करना होगा। या यदि आप बिजली के नए कनेक्शन के लिए दिए गए अपने आवेदन पर हुई प्रगति के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको बिजली विभाग को आवेदन करना होगा। या अगर आप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको अपना आवेदन स्वास्थ्य विभाग को सौंपना होगा।

चरण 2 : लोक प्राधिकरण में उस अधिकारी की पहचान करें जिसे सूचना के लिए आवेदन सौंपा जाना है

यह जान लेने के बाद कि आप द्वारा वांछित सूचना किस लोक प्राधिकरण के पास है, आपको यह फैसला करना होगा कि प्राधिकरण में आप अपना आवेदन किस अधिकारी को सौंपे। आपको संबंधित विभाग के वेबसाइट पर हर विभाग में मनोनीत लोक सूचना अधिकारियों या सहायक लोक सूचना अधिकारियों की सूची मिल जानी चाहिए या आप सीधे संबंधित विभाग से संपर्क कर उससे मार्गदर्शन ले

[28] धारा 6(1)
[29] धारा 6(3)

सकते हैं।[30] सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत हर विभाग के लिए अपने लोक सूचना अधिकारियों और सहायक लोक सूचना अधिकारियों की सूची इलेक्ट्रॉनिक या मुद्रित रूप में रखना अनिवार्य है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपने अपना आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी को सौंपा है तो विभाग द्वारा आपके आवेदन का जवाब देने की अवधि 30 की बजाय 35 दिन हो जाएगी।

हालांकि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आने वाले हर लोक प्राधिकरण का कर्तव्य है कि वह आवेदनों को प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए एक लोक सूचना अधिकारी को मनोनीत करें। लेकिन सूचनाओं के अनुसार कुछ लोक प्राधिकरणों ने अभी तक लोक सूचना अधिकारी मनोनीत नहीं किए हैं और इस आधार पर वे सूचनाओं के निवेदनों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो आप केन्द्रीय सूचना आयोग (केन्द्र सरकार के कार्यालयों के लिए) या राज्य सूचना आयोग (राज्य सरकार या स्थानीय शासन के कार्यालयों के लिए) को सीधे शिकायत कर सकते हैं और लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की मांग कर सकते हैं (अधिक विस्तृत विवरणों के लिए देखें भाग 8)। सूचना आयोगों के पास केन्द्रीय या राज्य लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति के लिए निर्देश देने की शक्ति है।[31]

चरण 3 : वांछित सूचना के बारे में एक सुस्पष्ट आवेदन तैयार करें

आप अंग्रेजी, हिंदी या अपने क्षेत्र की राज भाषा में लिखित या इलेक्ट्रॉनिक आवेदन तैयार कर सकते हैं।[32] अपना आवेदन लिखते वक्त यह ज़रूरी है कि आप उसे स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में लिखें। बहुत ज़रुरी है कि आपका आवेदन जितना संभव हो विनिर्दिष्ट विषय पर केन्द्रित हो ताकि आपको ऐसे ढ़ेरों दस्तावेजों की बजाय जो आपने नहीं चाहे (इनके लिए आपको शुल्क भी देना पड़ेगा), आपको वही सूचना मिले जो आप चाहते हैं। जरूरी है कि आप अपने आवेदन को अपनी चाही विनिर्दिष्ट सूचना पर ही केन्द्रित करें ताकि लोक सूचना अधिकारी इस आधार पर उसे लौटा न सके कि आवेदन अस्पष्ट है या उसे समझने में कठिनाई आ रही है।

आपको यह बताने की ज़रूरत नहीं कि आपको सूचना किस लिए चाहिए

अधिनियम इस बात को बहुत स्पष्ट कर देता है कि आपको इसके कारण बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि आप को सूचना क्यों चाहिए या आप उस जानकारी का उपयोग किस प्रकार से करने वाले हैं।[33] आप अपने आवेदन में कारण या उद्देश्य बताए बिना ही किसी भी प्रकार की सूचना के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह तथ्य इस बात को प्रदर्शित करता है कि सूचना का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है और आपको अपने आवेदन के बारे में लोक सूचना अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है।

अधिनियम ने आवेदन करने के लिए कोई विशिष्ट फार्म निर्धारित नहीं किया है, हालांकि कुछ राज्य सरकारें इसकी मांग करती जान पड़ती हैं। गौरतलब है कि केन्द्र सरकार का सूचना का अधिकार (शुल्क व लागतों का नियमन) नियम 2005 आवेदनों के लिए किसी खास रूपरेखा का निर्धारण नहीं करता। साथ ही, कुछ राज्य सरकारों ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि आवेदनों की एक खास रूपरेखा तो होगी, लेकिन उसके लिए कोई विशिष्ट फार्म ज़रूरी नहीं है।[34] एक ऐतिहासिक फैसले में केन्द्रीय सूचना आयोग ने नियम तय किया

[30] या फिर आप केन्द्र और राज्यों में नामित लोक सूचना अधिकारियों व सहायक लोक सूचना अधिकारियों की सूचियों के संपर्क सूत्रों के लिए भारत सरकार की सूचना अधिकार पोर्टल पर लॉग ऑन करें: http://www.rti.gov.in/

[31] धारा 19(8)(ए)(ii)

[32] धारा 6(1)

[33] धारा 6(2)

[34] गुजरात और महाराष्ट्र के सूचना आवेदन शुल्क नियम साधारण कागज पर आवेदन करने की इजाजत देते हैं, बशर्ते उस पर वे सभी विवरण हों जो मुद्रित फार्म में मांगे गए हैं।

है कि साधारण कागज़ के पन्ने पर किए गए आवेदन के साथ भी एक औपचारिक आवेदन जैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। सरकारी विभाग प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए खास तरह के फार्म निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन इसके कारण साधारण कागज़ या फार्म की फोटोकॉपी पर किए गए आवेदनों को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।[35]

चरण 4 : अपना आवेदन जमा करें

आवेदन तैयार कर लेने के बाद, आपको इसे निम्न को भेजने की ज़रुरत है:

- उस लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को जिसके पास आप द्वारा वांछित सूचना है; या
- अपने निकट स्थित उप–ज़िला या उप–मंडल स्तर के सहायक लोक सूचना अधिकारी को। संबंधित लोक सूचना अधिकारी को आपका आवेदन आगे पहुंचाना उसका कर्तव्य है।

आप स्वयं जाकर अपना आवेदन जमा करा सकते हैं, उसे डाक, फैक्स या ई–मेल द्वारा भेज सकते हैं। अगर आप डाक से अपना आवेदन भेज रहे हैं तो पंजीकृत डाक (Registered post-RPAD) से या डाक प्रमाणपत्र (Under Posting Certificate - UPC) से भेजें ताकि आपके पास उसे भेजने का प्रमाण रहे और लोक सूचना अधिकारी यह न कह सके कि उसे आपका आवेदन कभी मिला ही नहीं। अगर आप व्यक्तिगत रूप से अपना आवेदन जमा कराने जाएँगे हैं तो उसकी पावती मांगना न भूलें। पावती पर आवेदन को प्राप्त करने का समय और तिथि, स्थान और प्राप्त करने वाले के नाम का उल्लेख होना चाहिए। कई राज्य सरकारों ने शुल्क के नियमों के साथ पावती के नमूनों को भी अधिसूचित किया है जो हर लोक सूचना अधिकारी और सहायक लोक सूचना अधिकारी के पास होना ज़रूरी है।

अधिनियम के अनुसार आवेदन के साथ आवेदन शुल्क भी जमा करना ज़रूरी है। केन्द्र और राज्यों ने अलग–अलग शुल्क निर्धारित किए हैं (विवरणों के लिए देखें परिशिष्ट 2)। अगर आप व्यक्तिगत रूप से अपना आवेदन जमा करा रहे हैं तो लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी को आपको उसी समय एक पावती देनी चाहिए जिस पर इस बात का उल्लेख हो कि उसे आपका आवेदन किस तिथि को प्राप्त हुआ। साथ ही इस बात का भी उल्लेख होना चाहिए कि आपने आवेदन शुल्क अदा कर दिया है। कुछ विभागों में हो सकता है कि लोक सूचना अधिकारी स्वयं शुल्क स्वीकार न करे, बल्कि आपको उस अनुभाग में भेजे जिसे नकद शुल्क लेने का काम सौंपा गया है। स्थिति जैसी भी हो, आपको अपने द्वारा अदा किए गए शुल्क की रसीद ज़रूर लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपना आवेदन डाक से भेज रहे हैं, तो आप डिमांड ड्राफ्ट, बैंक के चैक या पोस्टल आर्डर (केन्द्र सरकार के कार्यालयों के लिए) से

"गरीबी रेखा से नीचे के लोग" कोई शुल्क अदा नहीं करेंगे[36]

गरीबी रेखा से नीचे के आवेदकों को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कोई शुल्क अदा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आवेदकों को सूचना के लिए आवेदन करते समय अपने राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड या बीपीएल सूची के उस अंश की प्रति आवेदन के साथ लगानी चाहिए जिसमें उनका नाम हो या किसी सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कोई ऐसा ही प्रमाण लगाना चाहिए। अगर आवेदक स्वयं आवेदन जमा कराने गई/ गया है, तो बीपीएल आवेदकों को अधिकार है कि वे लोक सूचना अधिकारी /सहायक लोक सूचना अधिकारी से अपने आवेदन पर प्रमाण के तौर पर अपने बीपीएल दर्ज़े का उल्लेख करने के लिए कहें।

[35] एनडीटीवी (2006) "स्लमड्वेलर विन्स राइट टू इंफोर्मेशन", एनडीटीवी.कॉम, 8 फरवरी : http://www.ndtv.com/morenews/showmorestory.asp?category=National&slug=Slum+dweller+%27wins%27+right+to+information&id=84602, 20 मार्च 2006

[36] धारा 7(5)

सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना के आवेदनों के लिए एक प्रस्तावित रूपरेखा*

यह ज़रूरी है कि अपना आवेदन लिखते समय आप अपने प्रश्न को संक्षेप में लिखें ताकि बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि आप कौन सी सूचना चाहते हैं। कमसे कम आपके आवेदन में इतनी सूचनाएँ अवश्य होनी चाहिएं कि लोक सूचना अधिकारी आपको वांछित सूचना प्रदान करने में समर्थ हो सके। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत किए जाने वाले आवेदन कुछ इस तरह होंगेः

प्रतिः लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी
(विभाग / कार्यालय का नाम)
(डाक कार्यालय पता)

1. आवेदक का पूरा नामः सुश्री साक्षी श्रीवास्तव
2. पताः 105, सुंदर नगर, दूसरा तल, नई दिल्ली– 110003
3. फोन नंबरः (011) 2436 7489
4. आवेदन जमा कराने की तिथिः 10 अगस्त 2006
5. विभाग का नामः केन्द्रिय लोक निर्माण विभाग
6. निवेदित सूचना के विवरणः "मैं जानना चाहती हूं कि मेरे घर के सामने की सड़क ठीक क्यों नहीं की गई" जैसे सामान्य प्रश्न न लिखें। निम्न प्रश्नों के मुकाबले तब आपको अस्पष्ट जवाब मिलने की संभावना अधिक हैः
   (क) पिछले दो सालों में आईआईटी फ्लाईऑवर और अधचीनी के बीच अरविंदो मार्ग की मरम्मत के लिए कितना पैसा आवंटित हुआ है?
   (ख) सड़क को ठीक करने में वास्तव में कितना पैसा खर्च किया गया औरः
   (1) संबंधित ठेके / ठेका किसे दिया गया;
   (2) टेंडर के विशिष्ट विवरण क्या थे;
   (3) काम कब पूरा हुआ;
   (4) उस अधिकारी का नाम और पद क्या है जिसने काम पूरा होने के बाद ठेके की विशिष्ट शर्तों के आधार पर काम की पुष्टि की।
7. जिस अवधि के लिए सूचना मांगी जा रही हैः जनवरी 2005 से आज की तिथि तक
8. निवेदित सूचना का रूप : प्रति / कार्यों का निरीक्षण / अभिलेखों का निरीक्षण / प्रमाणित प्रति / प्रमाणित नमूना।
   (किसी एक को चिह्नित करें)
9. अदा किए गए शुल्क के विवरण : पावती संख्या xxxxx, तिथिः 10 मार्च 2006
10. क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आती हैः हां / नहीं
    (अगर हाँ तो सबूत संलग्न करें)

.....
आवेदक के हस्ताक्षर

* यह आवेदनों के लिए केवल एक नमूना है। सीएचआरआई का सुझाव है कि आप जिस लोक सूचना अधिकारी से सूचना मांग रहे हैं, उससे पूछ लें कि आवेदन में किन विवरणों को शामिल करना आवश्यक है।

अपना शुल्क भेज सकती/ सकते हैं। लेकिन अगर आप नकद शुल्क दे रहे हैं, तो आपको भुगतान की पावती की एक प्रति आवेदक के साथ भेजनी होगी। डाक के द्वारा शुल्क नकद के रूप में भी भेजा जा सकता है बशर्ते आप अपने लिफाफे की बीमा डाकखाने में कराई हो।

सूचना का अधिकार अधिनियम विशिष्ट तौर पर शुल्क भुगतान कि किसी पद्धति का उल्लेख नहीं करता। भुगतान की पद्धतियां केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए शुल्क नियमों में निर्धारित की गई हैं (विवरणों के लिए देखें परिशिष्ट 2)। कुछ राज्यों ने अदायगी के डिमांड ड्राफ्ट, बैंक के चैक या नकद अदायगी जैसे कुछ सीमित विकल्प रखे हैं। लेकिन आदर्श स्थिति यह होनी चाहिए कि आप गैर–न्यायिक स्टांप और पोस्टल ऑर्डर सहित व्यापक विकल्पों में से किसी एक को चुन सकें। अगर आपको शुल्क अदायगी के तरीके को लेकर कोई संदेह हैं, तो आपको सरकार द्वारा निर्धारित नियमों को देखना चाहिए और/ या लोक सूचना अधिकारी या अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए ज़िम्मेदार नोडल एजेंसी से संपर्क करना चाहिए। वे आपकी मदद करेंगे।

चरण 5 : आवेदन पर फैसले का इंतज़ार करें

लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन शुल्क के साथ आपके आवेदन को प्राप्त करने के बाद उसका कर्तव्य है कि वह जितना जल्दी संभव है आपके आवेदन पर कार्रवाई करे। लेकिन ऐसा करने में उसे आवेदन प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों से अधिक समय नहीं लेना चाहिए।[37] अगर आपके आवेदन को उस तक सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा भेजा गया है, तो इस समयावधि में पांच दिन और जुड़ जाते हैं।[38] लेकिन जहां निवेदित सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में निर्णायक है, वहां फैसला 48 घंटों के भीतर किया जाना चाहिए।[39] उदाहरण के लिए, अगर पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के वारंट या मीमो के बिना ही उठा लिया है, तो उसका परिवार, मित्र, बल्कि कोई अन्य तीसरा संबंधित व्यक्ति भी पुलिस विभाग के लोक सूचना अधिकारी से उसके अते–पते के बारे में पूछ सकता है और इसके जवाब में कार्रवाई दो दिनों के भीतर हो जानी चाहिए। ऐसा आवेदन करते समय अच्छा होगा अगर आवेदन में यह बताया गया हो कि आपके अनुसार आपका आवेदन ''जीवन या स्वत्रंतता'' से संबंधित है ताकि लोक सूचना अधिकारी आपके आवेदन का आकलन करने में देरी न करे।

[37] धारा 7(1)
[38] धारा 5(2)
[39] धारा 7(1)

भाग 7: मेरे आवेदन पर फैसला कैसे किया जाएगा?

आपके आवेदन पर कार्रवाई करते हुए लोक सूचना अधिकारी को फौरन यह तय करने की ज़रूरत होगी कि क्या आपके द्वारा निवेदित सूचनाः

(क) कार्यालय में उपलब्ध है, और अगर नहीं, तो उसे आपका आवेदन संबंधित लोक प्राधिकरण को हस्तांतरित करना होगा और आपको लिखित में इसकी सूचना देनी होगी;

(ख) तीसरे पक्ष की गोपनीय सूचना की श्रेणी में आती है और कोई फैसला करने से पहले तीसरे पक्ष से विचार–विमर्श करने की ज़रूरत है; और

(ग) छूट प्राप्त सूचनाओं की श्रेणी में आती है और क्या उस सूचना को सार्वजनिक करने में कोई जन हित है।

अगर सूचना किसी "तीसरे पक्ष" से संबंधित है, तो?

आम तौर पर लोग ऐसी सूचनाओं के लिए आवेदन करते हैं जो आवेदन प्राप्त करने वाले लोक प्राधिकरण से संबंधित सरकार द्वारा निर्मित की गई सूचना होती है। ऐसे मामलों में निवेदन प्रक्रिया में केवल दो पक्ष शामिल होते हैं– आवेदक और लोक प्राधिकरण। लेकिन, कभी–कभी आवेदक कोई ऐसी सूचना भी मांगेंगे जो किसी तीसरे पक्ष को भी प्रभावित करती होगी। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी प्रतिद्वंद्वी कंपनी द्वारा जमा कराए गए टेंडर या अपने सहकर्मी द्वारा आपके सांसद को लिखे गए पत्र को देखना चाहते हैं, तो कंपनी और आपका सहकर्मी ''तीसरा पक्ष'' हैं।

कभी–कभी, लेकिन हमेशा नहीं, सूचना का अधिकार अधिनियम माँग करता है कि आवेदनों के बारे में तीसरे पक्ष से विचार–विमर्श किया जाए। तीसरे पक्ष से विचार–विमर्श करने की आवश्यकता केवल तब है, जबः

- लोक सूचना अधिकारी आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने के पक्ष में हो; और
- सूचना तीसरे पक्ष से संबंधित हो या तीसरे पक्ष द्वारा ''विश्वास'' में सार्वजनिक प्राधिकरण को दी गई हो; और
- तीसरे पक्ष ने उस सूचना को गोपनीय माना हो।

तीसरे पक्ष से विचार–विमर्श करने की ज़रूरत को तय करने में अंतिम बिन्दू महत्वपूर्ण है। बहुत सारी सूचनाएं तीसरे पक्षों से संबंधित हो सकती हैं, लेकिन ऐसी सूचनाएं बहुत ही कम होंगी जिन्हें तीसरे पक्ष ने गोपनीय माना हो। अनुदानों या परमिटों के प्राप्तिकर्ताओं की सूची, समितियों को सौंपे गए ज्ञापन या सरकारी अनुबंध जैसी सूचनाओं में हालांकि तीसरे पक्ष शामिल होते हैं, लेकिन इसमें सूचना तीसरे पक्ष द्वारा गोपनीय की श्रेणी में नहीं मानी जाती और इसलिए तीसरे पक्ष से विचार–विमर्श करने की ज़रूरत नहीं होती।

जहां उपरोक्त तीन शर्तें पूरी होती हों, वहां तीसरे पक्ष को अधिकार है कि सूचना को जारी करने का फैसला लेने में उससे विचार–विमर्श किया जाए। लोक सूचना अधिकारी को तीसरे पक्ष को पांच दिनों के भीतर नोटिस भेजना होगा कि तीसरा पक्ष सूचना के खुलासे के बारे में अपना पक्ष प्रस्तुत करे।[40]

[40] धारा 11(1)

तीसरे पक्ष के पास अपनी राय प्रस्तुत करने के लिए नोटिस प्राप्त होने की तिथि से दस दिनों का समय होता है।[41] भले ही तीसरे पक्ष का जवाब मिले या न मिले, लोक सूचना अधिकारी को आवेदन की प्राप्ति की तिथि के 40 दिनों के भीतर फैसला लेना होता है कि सूचना को दे दिया जाए या नहीं।[42] फैसला लेने से पहले लोक सूचना अधिकारी तीसरे पक्ष के निवेदन पर भी विचार करेगा। लेकिन, भले ही तीसरा पक्ष आपत्ति करे, अगर सूचना छूट की श्रेणी में नहीं आती तो लोक सूचना अधिकारी को खुलासे का आदेश देना होगा। ऐसे मामले में, तीसरा पक्ष विभाग के अपील प्राधिकारी और / या सूचना आयोग में अपील कर सकता है (अधिक विवरणों के लिए देखें भाग 8)।

अगर लोक सूचना अधिकारी मेरे आवेदन को मंजूर करे तो?

अगर लोक सूचना अधिकारी आपको सूचना देने का फैसला कर लेता है, तो वह आपको तीस दिनों के भीतर अपने निर्णय का नोटिस भेजेगा। नोटिस में कई बातें शामिल होंगी जैसेः आपने जिस सूचना के लिए निवेदन किया है, उसे उपलब्ध करने के लिए, कितना अतिरिक्त शुल्क आपको देना आवश्यक है, और उस निर्णय के विरुद्ध आप कहां और कितने दिनों में अपील कर सकते हैं या फिर जिस रूप में सूचना देने के लिए लोक सूचना अधिकारी ने निर्णय लिया है उस निर्णय के विरुद्ध आप कहाँ अपील कर सकते है; साथ ही अपीलीय प्राधिकरण के विवरण व पता और अपिल के लिए शुल्क की मात्रा (अगर अपील के नियमों में उल्लिखित है)[43] ध्यान रखें कि अगर लोक सूचना अधिकारी अधिनियम द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर जवाब नहीं दे पाता, तो आपको सूचना निःशुल्क मिलना चाहिए।[44]

सूचना उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र व सभी राज्य सरकारों ने अलग–अलग शुल्क निर्धारित किए हैं (विवरणों के लिए देखें परिशिष्ट 2)। लोक सूचना अधिकारी द्वारा भेजे गए नोटिस में इस बात को भी बताया जाना चाहिए कि शुल्क की गणना किस प्रकार की गई है।[45] उदाहरण के लिए, अगर आपने कोई ऐसी सूचना मांगी है जो ए4 आकार के 1,000 पृष्ठों में है और संबंधित सरकार के शुल्क के नियमों में ए4 आकार का एक पृष्ठ उपलब्ध कराने की लागत 2 रु. प्रति पृष्ठ तय की गई है, तो लोक सूचना अधिकारी को दर्शाना होगा कि कुल लागत होगीः $1,000 \text{ X } 2 = 2,000$ रु.। अगर संबंधित सरकार के शुल्क के नियमों में पहले से उल्लिखित नहीं है तो लोक सूचना अधिकारी के पास सूचना को खोजने, एकत्रित करने या प्रोसेस करने के लिए आपसे अतिरिक्त शुल्क लेने की शक्ति नहीं होगी।

आपको भेजे गए निर्णय के नोटिस में लोक सूचना अधिकारी आपसे निर्धारित शुल्क अदा करने के लिए कहेगा ताकि सूचना आपको भेजी जा सके। महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में डाक द्वारा सूचना भेजे जाने की लागत को हिसाब लगा कर शुल्क में ही शामिल कर लिया जाता है।[46] लेकिन, अगर आपके लिए स्वयं जा कर सूचना लेना संभव है, तो ऐसा करने के कोई भी कानूनी बाधा नहीं है। याद रखें की किसी दस्तावेज़ की प्रतियां हासिल करने से पहले, आपको शुल्क देकर (केन्द्र सरकार के शुल्क नियमों[47] के अनुसार 5 रु. प्रति घंटा) सूचना का निरीक्षण करने का भी अधिकार है। दस्तावेज़ों का निरीक्षण कर आप सूचना पाने की लागत घटा सकते हैं क्योंकि निरीक्षण के दौरान आप तय कर सकते हैं कि आपको वास्तव में कौन से दस्तावेज़ की ज़रूरत है। नोटिस भेजे जाने और अतिरिक्त शुल्क के भुगतान के बीच के समय को सूचना प्रदान करने के लिए तय 30 दिनों की अवधि से निकाल दिया जाता है।[48]

---

[41] धारा 11(2)
[42] धारा 11(3)
[43] धारा 7(3)
[44] धारा 7(6)
[45] धारा 7(3)(ए)
[46] धारा 4, महाराष्ट्र के सूचना अधिकार नियम 2005
[47] धारा 2, केन्द्रीय सूचना अधिकार (शुल्क व लागत नियमन) (संशोधन) नियम 2005
[48] धारा 7(3)(ए)

दुर्भाग्यवश, कुछ राज्य सरकारों ने भारी–भरकम अतिरिक्त शुल्क लगा दिए हैं। अगर आपको लगता है कि सूचना के लिए मांगा जा रहा अतिरिक्त शुल्क बहुत ज़्यादा है, तो आप विभाग के अपील प्राधिकरण या संबंधित सूचना आयोग से शिकायत कर सकते हैं (विस्तृत विवरणों के लिए देखें भाग 8)। अगर आपके द्वारा अपने गरीबी रेखा से नीचे होने का प्रमाण देने के बावजूद लोक सूचना अधिकारी आपसे सूचना प्रदान करने के लिए पैसा लेता है, तो आपको संबंधित सूचना आयोग के पास शिकायत भेजने का अधिकार है।

वांछित रूप में सूचना पाने का अधिकार[49]

सूचना अधिकार अधिनियम में विशिष्ट रूप से कहा गया है कि आपको सूचना उसी रूप में प्रदान की जाएगी जिस रूप में आपने उसे पाने का निवेदन किया है, बशर्ते उससे लोक प्राधिकरण के संसाधनों का बहुत ज़्यादा मात्रा में व्यय न होता हो या उससे अभिलेख के नष्ट होने की आशंका न हो।[50] दुर्भाग्यवश, कुछ विभाग इस प्रावधान का इस्तेमाल नागरिकों को सूचनाएं प्रदान करने से इंकार करने के लिए कर रहे हैं। इस बारे में केन्द्रीय सूचना आयोग में एक शिकायत की गई थी। श्री सरबजीत रॉय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से दिल्ली के मास्टर प्लान में संशोधन से संबंधित सूचना पाने के लिए आवेदन किया था। उन्होंने विशेषकर निगम द्वारा मास्टर प्लान पर प्राप्त की गई जन प्रतिक्रियाओं के दस्तावेज़ों की प्रतियाँ माँगी थी। डीडीए ने कई आधारों पर सूचना देने से इंकार कर दिया। इसमें यह कारण भी शामिल था कि सूचना देने में डीडीए के संसाधनों का बड़ी मात्रा में व्यय होगा। श्री रॉय और डीडीए के पक्ष को सुनने के बाद केन्द्रीय सूचना आयोग ने कहा कि अधिनियम किसी लोक प्राधिकरण को यह अधिकार नहीं देता कि वह सूचना के भारी–भरकम होने के कारण देने से इंकार कर दे। अधिनियम प्राधिकरण को मात्र इस बात की इज़ाज़त देता है कि वह सूचना को किसी अन्य आसान और कम खर्चीले रूप में उपलब्ध कराए। केन्द्रीय सूचना आयोग ने डीडीए को निर्देश दिया है कि वह श्री रॉय को जन प्रतिक्रियाओं के दस्तावेज़ों का निरीक्षण करने का अवसर दे तथा उनके द्वारा पहचानी गई प्रतिक्रियाओं की प्रतियां उन्हें उपलब्ध कराए।

छूट प्राप्त सूचनाओं पर 'जन हित की सर्वोच्चता' का सिद्धांत लागू करना

अधिनियम की धारा 8(2) प्रावधान कहती है कि भले ही मांगी गयी सूचना छूटों के दायरे में आती हो तब भी कोई लोक प्राधिकरण सूचना का खुलासा कर सकता है अगर उसे गोपनीय रखने के मुकाबले उसे प्रकट करना ज्यादा जन हित में हो। अधिनियम में 'जन हित' को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है और यह सही भी है क्योंकि जन हित की परिभाषा समय के साथ बदलने वाली है और साथ ही यह अलग–अलग मामलों के विशिष्ट हालात/ संदर्भ पर निर्भर करेगी। इस कारण लोक प्राधिकरणों – विशेषकर लोक सूचना अधिकारियों व विभाग के अपील प्राधिकरण – और साथ ही सूचना आयोगों को भी इसे हर मामले के गुण–दोष के आधार पर तय करने की ज़रूरत होगी। उन्हें तय करना होगा कि क्या छूट लागू होती है और अगर हां, तो क्या उस मामले में जन हित अधिक महत्वपूर्ण है, जैसे सार्वजनिक जवाबदेही को बढ़ावा देने की ज़रूरत, मानवाधिकारों की रक्षा करने की अनिवार्यता, या यह तथ्य कि सूचना के खुलासे से कोई पर्यावरणीय या स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम सामने आएगा।

[49] केन्द्रीय सूचना आयोग (2006) अपील नं. 10/1/2005 सीआईसी, 25 फरवरी www.cic.gov.in मार्च 20, 2006
[50] धारा 7(9)

अगर लोक सूचना अधिकारी मेरे आवेदन को रद्द कर दे, तो क्या करना होगा?

लोक सूचना अधिकारी केवल तब आपके आवेदन को रद्द कर सकता है जब आपके द्वारा निवेदित सूचना अधिनियम के द्वारा छूट प्राप्त श्रेणी के तहत आती हो (विवरणों के लिए देखें भाग 4) और साथ ही लोक सूचना अधिकारी यह फैसला करे कि उस सूचना को जारी करने में जन हित की सर्वोच्चता का प्रश्न प्रासंगिक नहीं है। इसके अलावा अधिनियम में किसी सूचना को देने से इंकार करने का कोई अन्य औचित्य नहीं है। उदाहरण के लिए, यह कहना भर काफी नहीं है कि सूचना से सरकार या किसी अधिकारी को परेशानी होगी या आपने सूचना चाहने के लिए कोई पर्याप्त सही कारण नहीं बताया है। अब आपके पास सूचना पाने का कानूनी अधिकार है और वस्तुतः गोपनीयता का औचित्य साबित करना उस लोक प्राधिकरण की जिम्मेदारी है।

लोक सूचना अधिकारी को 30 दिन की समयावधि के भीतर आपके आवेदन को रद्द करने के फैसले का लिखित नोटिस आपको देना होगा।[51] फैसले के नोटिस में निम्न बातें बताना ज़रूरी है:

(क) आवेदन को रद्द किए जाने के कारण, जिनमें छूट की जिस श्रेणी को आधार बनाया जा रहा है, उसके बारे में सूचना तथा लोक सूचना अधिकारी ने फैसला करते वक्त जिन तथ्यों को प्रासंगिक माना, उनके बारे में जानकारी शामिल हैं;
(ख) वह समयावधि जिसके भीतर आप अपील कर सकते हैं; और
(ग) उस अपील प्राधिकरण का नाम/पता और अन्य संपर्क विवरण जिसके यहां आप अपील कर सकते हैं।

अगर लोक सूचना अधिकारी आपको निर्णय का नोटिस नहीं देता, तो उसे आपके आवेदन को रद्द मानना यानी ''डीम्ड रेफ्यूजल'' कहा जाएगा।[52] तब आप विभाग के अपील प्राधिकरण में अपील कर सकते हैं या संबंधित सूचना आयोग को शिकायत भेज सकते हैं (विवरणों के लिए देखें भाग 8)।

आपको ''आंशिक'' सूचना भी मिल सकती है[53]

कभी–कभी किसी दस्तावेज़ में दोनों तरह की सूचनाएं हो सकती हैं– वे संवेदनशील सूचनाए भी जो छूट की श्रेणी में आती हों और वे भी जिन्हें किसी को नुकसान पहुंचाए बिना ही सार्वजनिक किया जा सकता है। ऐसे मामलों में आपको उन सूचनाओं तक पहुंच प्रदान की जा सकती है जो संवेदनशील नहीं हैं। इसे 'आंशिक खुलासा' कहते हैं। व्यवहार में, इसका अर्थ है कि लोक सूचना अधिकारी किसी दस्तावेज़ के कुछ हिस्सों – कुछ पंक्तियों या पैराओं – को काला कर देगा या निवेदित दस्तावेज़ों मे से कुछ पन्नें को उपलब्ध कराएगा और बाकी हिस्सों को गोपनीय रखेगा। अगर कोई लोक सूचना अधिकारी सूचनाओं का आंशिक खुलासा करने का फैसला लेता है, तो वह आपको अधिसूचित करेगा कि आप द्वारा मांगी गई सूचना का केवल आंशिक खुलासा ही किया जा सकता है, निर्णय के कारण बताएगा, जिस अधिकारी ने निर्णय लिया उसका विवरण देगा, आपके द्वारा अदा किए जाने वाले शुल्क तथा फैसले की समीक्षा कराने के आपके अधिकार की सूचना देगा। साथ ही अपीलिय प्राधिकरण के विवरण व पता भी सूचित करेगा।

[51] धारा 7(8)
[52] धारा 7(2)
[53] धारा 10

फ्लो चार्ट 1 : आवेदन प्रक्रिया

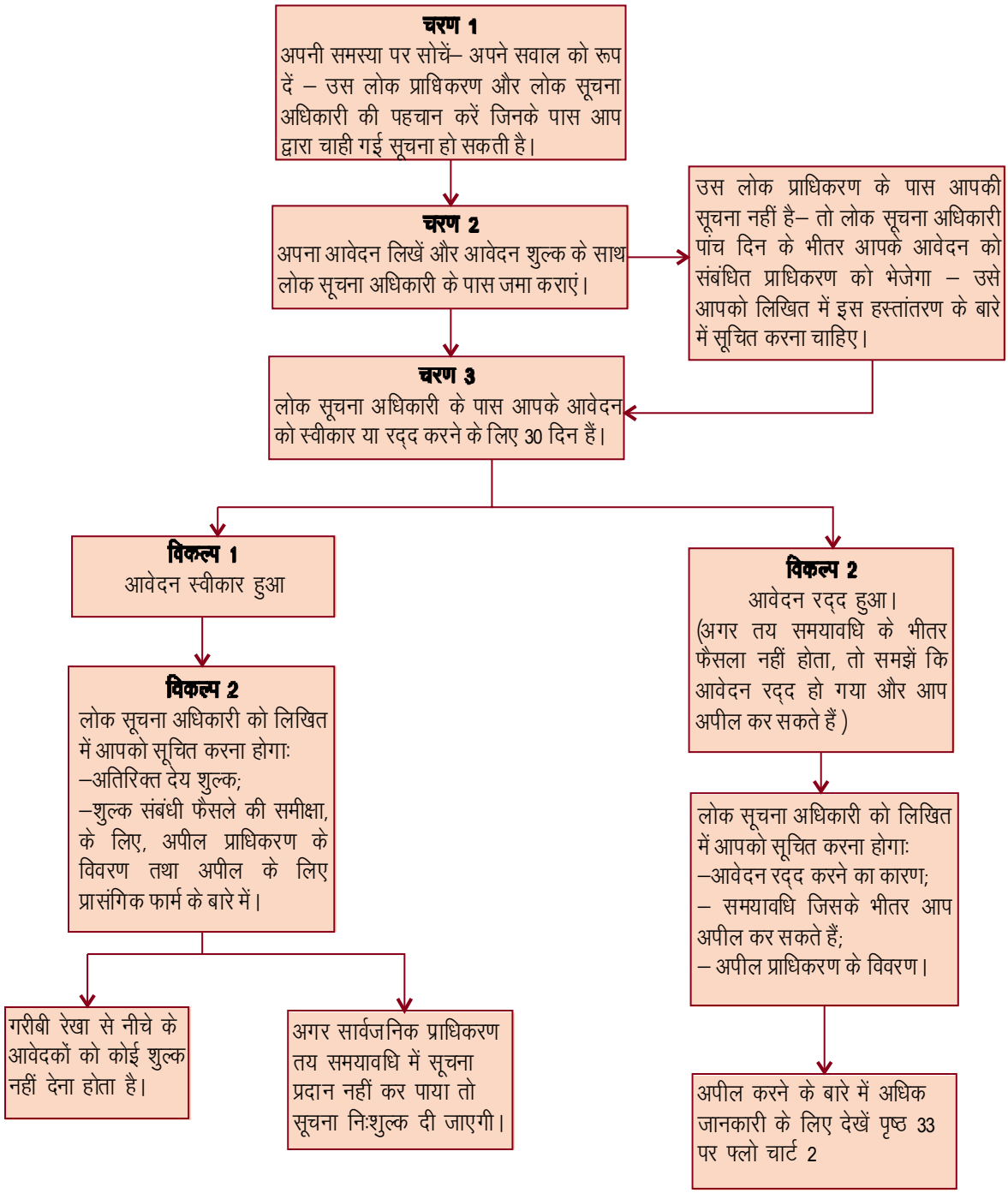

भाग 8 : अगर मुझे निवेदित सूचना नहीं मिलती तो क्या करूं?

दुर्भाग्यवश नौकरशाही में अभी भी गोपनीयता का बोलबाला है, और वर्तमान में लोक सूचना अधिकारी सारहीन आधारों पर अक्सर सूचना के अधिकार के तहत आए आवेदनों को रद्द कर देते हैं। उदाहरण के लिए, लोक सूचना अधिकारियों ने इसलिए आवेदनों को रद्द किया क्योंकि मांगी गई सूचनाएं उनके नियंत्रण में नहीं थीं; जबकि उनका कानूनी दायित्व बनता था कि वे ऐसे मामलों में आवेदन को संबंधित प्राधिकरण को हस्तांतरित करते। उन्होंने अक्सर गलत तरीके से छूट की श्रेणी को आधार बनाया है और कुछ प्राधिकरणों ने तो मात्र इसलिए आवेदनों को स्वीकार करने से इंकार कर दिया है कि लोक सूचना अधिकारी उपलब्ध नहीं है या छुट्टी पर गया है।

पालना न करने की स्थिति का पूर्वानुमान लगाते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम ने अपने तहत अपील तथा शिकायत की व्यवस्थाएं स्थापित की हैं जो नागरिकों को निर्णयों को चुनौती देने या लोक प्राधिकरणों और सरकारी अधिकारियों के खराब प्रदर्शन के विरुद्ध शिकायत करने के सस्ते और सरल विकल्प प्रदान करती हैं। आवेदक संबंधित विभाग के नामित वरिष्ठ अधिकारी (जिसे अपील प्राधिकरण कहा गया है) के यहां अपील कर सकते हें या वे संबंधित सूचना आयोग को शिकायत कर सकते हैं। इन आयोगों को केन्द्र और सभी राज्यों (जम्मू–कशमीर को छोड़) द्वारा स्थापित किया गया है।

विकल्प 1 : अपील करें

अपील की प्रक्रियाएं अधिनियम की धारा 19 के तहत आती हैं और उनकी परिकल्पना दो चरणों वाली प्रक्रिया के रूप में की गई है : पहले विभाग के अपील प्राधिकारी के पास अपील और दूसरे नए बनाए गए सूचना आयोगों में से संबंधित आयोग में अपील। अपील की प्रक्रिया को अदालतों के मुकाबले एक अपेक्षाकृत तीव्र और सस्ता तरीका माना गया है जिसके ज़रिए आवेदक फैसलों की समीक्षा करा सकते हैं।

अपील बनाम शिकायतें – अंतर क्या है?

किसी लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट आवेदक विभाग के अपील प्राधिकारी से अपील कर सकते हैं। यह प्राधिकारी उसी लोक प्राधिकरण में लोक सूचना अधिकारी का कोई वरिष्ठ अधिकारी होगा। आप और लोक सूचना अधिकारी का पक्ष सुनने के बाद अपील प्राधिकारी को फैसला करना होगा कि क्या लोक सूचना अधिकारी का निर्णय सही था या नहीं। अगर अपील प्राधिकारी के निर्णय से भी आप संतुष्ट नहीं होते, तो आप सूचना आयोग के यहां दूसरी अपील कर सकते हैं।

या फिर सूचना अधिकार अधिनियम के तहत किसी सूचना तक पहुंच बनाने से संबंधित किसी भी मामले में – जैसे तय समयावधि के भीतर सूचना न देना; अतर्कसंगत शुल्क मांगना; आप के गरीबी रेखा से नीचे होने के बावजूद आपसे शुल्क मांगना, आपने जिस अभिलेख के लिए निवेदन किया था, उसे नष्ट कर देना; या सूचना के खुलासे के बारे में गलत फैसला लेना – आप सीधे संबंधित सूचना आयोग को शिकायत कर सकते हैं। आप शिकायत के मामले में विभाग के अपील प्राधिकारी को दरकिनार कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए इस कार्रवाई को 'शिकायत' की संज्ञा देना ज़रूरी है क्यों कि अन्यथा सूचना आयोग आपके संप्रेषण को एक अपील मान सकता है और आपसे कह सकता है कि आप पहले विभाग के अपील प्राधिकारी के पास जाएं।

पहली अपील, अपील प्राधिकारी से

हर लोक प्राधिकरण में अपील सुनने के लिए लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ एक अधिकारी को मनोनीति किया गया है। उसे अपील प्राधिकारी कहा जाता है। आपको लोक सूचना अधिकारी से अपने आवेदन के स्वीकृत या रद्द होने के बारे में जो नोटिस मिलता है, उसमें संबंधित अपील प्राधिकारी के संपर्क विवरण शामिल होने चाहिएं ताकि आप जान सकें कि आपको निर्णय की समीक्षा कराने के लिए किसके पास जाना चाहिए। अगर नोटिस इस बात की सूचना नहीं देता, तो आप उस सार्वजनिक प्राधिकरण के वेबसाइट पर जा कर या सीधे लोक सूचना अधिकारी से संपर्क कर अपील प्राधिकारी के विवरण मांग सकते हैं:

आप निम्न स्थितियों में अपील प्राधिकारी से अपील कर सकते हैं:

(क) आप किए गए फैसले से असंतुष्ट हैं;

(ख) लोक सूचना अधिकारी द्वारा तय समयावधि के भीतर कोई फैसला नहीं लिया गया; और

(ग) आप तीसरा पक्ष हैं जिससे आवेदन पर कार्रवाई करने के दौरान विचार–विमर्श किया गया था, लेकिन आप लोक सूचना अधिकारी द्वारा किए गए निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं।

आपको लोक सूचना अधिकारी के फैसले का नोटिस मिलने की तिथि (या जिस तिथि को आपको यह नोटिस मिल जाना चाहिए था) के 30 दिनों के भीतर अपील प्राधिकारी के पास अपील करनी होगी। लेकिन, अगर आप इस समयावधि के भीतर अपील नहीं कर पाते और अपील प्राधिकारी को लगता है कि आप किन्हीं उचित कारणों से तय समयावधि के भीतर अपील नहीं कर पाए, तो वह आपको तीस दिन की अवधि के समाप्त हो जाने के बाद भी अपील करने की स्वीकृति दे सकती / सकता है।[54]

आपको अपनी अपील संबंधित अपील प्राधिकारी के पास लिखित में भेजनी होगी। कुछ राज्य सरकारों ने अपील के लिए खास फार्म निर्धारित किए हैं। आपको संबंधित अपील प्राधिकारी से पता करना चाहिए कि क्या आपके राज्य ने ऐसा कोई फार्म निर्धारित किया है। आप अपील को स्वयं सीधे दे सकते हैं या डाक / कूरियर से भिजवा सकते हैं। इसके अलावा, आप संबंधित प्राधिकरण के सहायक लोक सूचना अधिकारी को भी अपनी अपील भेज सकते हैं। आपकी अपील को संबंधित अपील प्राधिकारी को अधिकतम 5 दिनों के भीतर आगे भेजना उसका कर्तव्य है।[55]

सूचना का अधिकार अधिनियम किसी अपील प्राधिकारी के पास (या सूचना आयोग) में अपील करने के लिए आवेदक से कोई शुल्क लेने की इजाजत नहीं देता। दुर्भाग्यवश, महाराष्ट्र[56] और मध्य प्रदेश[57] जैसे कुछ राज्यों ने ऐसे नियम निर्धारित किए हैं जिनके तहत अपील शुल्क देना पड़ता है। अपील शुल्क लगाना या शुल्क न देने के कारण किसी अपील को रद्द कर देना कानूनी रूप से उचित नहीं है। अगर आपके राज्य ने अपील शुल्क लगा रखा है तो आप संबंधित सूचना आयोग या अपने उच्च न्यायालय से इस विषय पर विचार करने का निवेदन कर सकते हैं या इस मुद्दे को बहस के लिए अपनी राज्य विधान सभा में उठवाने के प्रयास कर सकते हैं।

---

[54] धारा 19 (1)

[55] धारा 5(2)

[56] धारा 5, महाराष्ट के सूचना अधिकार नियम 2005

[57] धारा 7 व 8, मध्य प्रदेश के सूचना अधिकार (शुल्क व लागत) नियम 2005

अपील/ शिकायत करते समय शामिल की जाने वाली सूचनाएँ *

भले ही आपके राज्य ने अपील करने के लिए कोई खास फार्म तय किया हो या नहीं, सभी अपीलों में कमसे कम निम्न सूचनाएँ शामिल होनी चाहिएं :

(क) आपका नाम और संपर्क विवरण, डाक पते, मकान नंबर तथा ई–मेल पते सहित;
(ख) लोक सूचना अधिकारी का नाम और पता जिसके फैसले के विरुद्ध अपील की जा रही है;
(ग) जिस आदेश के विरुद्ध आप अपील कर रहे हैं, उससे संबंधित ब्योरे (क्रम संख्या सहित);
(घ) अगर अपील आवेदन पर कोई जवाब न मिलने के कारण की जा रही है (या जिसे 'डीम्ड रेफ्यूज़ल' कहा जाता है), तो आवेदन की पावती संख्या, जमा कराने की तिथि, लोक सूचना अधिकारी के नाम और पते सहित आवेदन संबंधी ब्योरे;
(च) अपने मामले के संक्षिप्त तथ्य;
(छ) आपके द्वारा मांगी जाने वाली राहत और राहत के आधार; उदाहरण के लिए, आप निवेदित सूचना को जारी कराना चाहते हैं क्योंकि वह कानूनन छूट की श्रेणी में नहीं आती;
(ज) आपके द्वारा पुष्टि, जैसे यह वक्तव्य ''मैं प्रमाणित करता हूं कि इस आवेदन की सभी सूचनाएँ मेरी जानकारी के अनुसार सच और सही हैं''; और
(झ) कोई अन्य उपयोगी सूचना जो आपके अनुसार आपकी अपील के फैसले में मदद कर सकती है।

* यह अपील के नोटिस की सामान्य विषयवस्तु का एक बुनियादी संक्षिप्त रूप भर है। सीएचआरआई का सुझाव है कि कि आप संबंधित नियमों को देख लें या फिर अपील प्राधिकारी या सूचना आयोग से पुष्टि करें कि आपको अपनी अपील में किन विवरणों को शामिल करने की ज़रूरत है।

सामान्यतः अपील प्राधिकारी को आपकी अपील प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर अपना फैसला देना होता है। लेकिन इस सीमा को आगे बढ़ाया जा सका है, पर अपील प्राधिकारी के लिए फैसले की अधिकतम समय सीमा 45 दिन है। अगर फैसले में 30 दिन से ज़्यादा का समय लिया जाता है तो अपील प्राधिकारी को समय सीमा बढ़ाने के कारण लिखित में दर्ज करने होंगे और अपना अंतिम फैसला सुनाते वक्त आपको भी सूचित करने होंगे।[58]

अगर अपील प्राधिकारी आपकी अपील को स्वीकार कर लेता है और फैसला करता है कि आपको सूचना दी जानी चाहिए, तो उसे आप और संबंधित लोक प्राधिकरण को लिखित में इसकी सूचना देनी चाहिए। और अगर अपील प्राधिकारी आपकी अपील को अस्वीकार कर देता है, तो फैसले के नोटिस में केन्द्रीय या राज्य सूचना आयोग को अपील कर सकने के आपके अधिकार के विवरण होने चाहिएं।

आम तौर पर अपील प्राधिकारी अपीलों का निपटारा कैसे करते हैं?

सूचना अधिकार अधिनियम अपील प्राधिकारियों द्वारा अपीलों पर फैसला करने की कोई पद्धति निर्धारित नहीं करता। लेकिन सामान्यतः अपील की कार्रवाई को प्रतिद्वंद्वितापूर्ण होने की बजाय सच की खोज करने का एक प्रयास होना चाहिए। उसे बस इस बात को पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या अधिनियम को सही तरीके से लागू किया गया था या नहीं। किसी भी अपील में यह साबित करने का दायित्व लोक सूचना अधिकारी का है कि आवेदन को रद्द करने का उसका फैसला सही था। इसका अर्थ है कि हर सुनवाई में लोक सूचना अधिकारी से पहले अपना पक्ष रखने के लिए कहा जाना चाहिए। आपको अपना पक्ष रखने यानी लोक सूचना अधिकारी के फैसले को गलत साबित करने के लिए केवल तभी बुलाया जाना चाहिए, जब लोक सूचना अधिकारी अपने पक्ष को मजबूत तरीके से प्रस्तुत कर पाया हो। किसी भी मामले में अपील प्राधिकारी को यह तय करने के लिए कि क्या लोक सूचना अधिकारी का फैसला सही था, फिर से सभी तथ्यों पर स्वतंत्र रुप से विचार करने की ज़रूरत होगी। सभी संबंधित पक्षों – आप, लोक सूचना अधिकारी या वह तीसरा पक्ष जिससे सूचना के खुलासे के बारे में विचार–विमर्श किया गया – को फैसले से पहले सुनवाई का अधिकार है।

[58] धारा 19(6)

ध्यान देने योग्य बात यह है कि सूचना का अधिकार अधिनियम अपील प्राधिकारी को उस स्थिति में भी दंड देने की शक्ति प्रदान नहीं करता जब अधिकारियों के विरुद्ध अधिनियम की पालना न करने की बात साबित हो जाए। इसका अर्थ हुआ कि अगर अपील प्रधिकारी आपके पक्ष में फैसला दे भी दे, तब भी आप को अपील प्राधिकारी से यह निवेदन करना पड़ सकता है कि दंड के मुद्दे को तय कर के लिए वह आपके मामले को सूचना आयोग के पास भेज दे। या फिर आप केवल दंड के मुद्दे पर सूचना आयोग से शिकायत कर सकते हैं।

सूचना आयोग को दूसरी अपील

अगर आप अपील प्राधिकारी के फैसले से असंतुष्ट हैं, तो सूचना का अधिकार अधिनियम आपको केन्द्र व राज्यों में नव–स्थापित सूचना आयोगों के पास दूसरी अपील करने का विकल्प प्रदान करता है। दूसरी अपील अपील प्राधिकारी का फैसला आपको प्राप्त होने की तिथि या जिस तिथि को वह फैसला हो जाना चाहिए था, उसके 90 दिनों के भीतर की जानी चाहिए। लेकिन, सूचना आयोग को यह समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद भी अपील की स्वीकृत देने की शक्ति प्राप्त है।[59]

सूचना आयोग – खुलेपन के समर्थक

सूचना अधिकार अधिनियम के तहत केन्द्रीय और राज्य सरकारों के स्तर पर स्वतंत्र और स्वायत्त सूचना आयोग स्थापित करने की ज़रूरत है।[60] नवनियुक्त सूचना आयुक्तों की अध्यक्षता में काम करने वाले इन नए आयोगों को सभी राज्यों में स्थापित किया गया हैं। (अधिक जानकारी के लिए देखें परिशिष्ट 4)। आयोगों को यह सुनिश्चित करने में कई मुख्य भूमिकाएं अदा करनी हैं कि सूचना अधिकार अधिनियम जनता को सूचनाओं तक पहुंच प्रदान करने वाला एक प्रभावी औज़ार बने। विशिष्टि तौर पर हर आयोग ज़िम्मेदार है:

- **शिकायतों और अपीलों पर कार्रवाई करना:** अधिनियम के तहत अपनी सूचना की आवश्यकताओं के पूरा न होने की स्थिति में सभी नागरिकों को सूचना आयोग से अपील और शिकायत करने का अधिकार है। निर्णयों की समीक्षा करने में सूचना आयोगों को व्यापक जांच शक्तियां – किसी भी दस्तावेज़ का निरीक्षण करने सहित, भले ही वह छूट की श्रेणी में आता हो – प्राप्त हैं। उनके पास लोक प्राधिकरणों से अधिनियम की पालना कराने की भी सुदृढ़ और बाध्यकारी शक्तियां हैं। इनमें सूचना को जारी करने; लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति करने, अभिलेख व्यवस्थाओं में सुधार करने; आवेदकों को मुआवजा देने और जुर्माने के आदेश करने की शक्तियां शामिल हैं।[61]
- **कार्यान्वयन की निगरानी करना :** हर साल के अंत में केन्द्रीय और राज्य सूचना आयोगों को एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना होता है। केन्द्रीय आयोग की रिपोर्ट को संसद और राज्य आयोगों के रिपोर्टों को संबंधित राज्य की विधान मंडल के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है। हर रिपोर्ट में मूल आवेदनों तथा अपील संबंधी आंकड़ों के साथ कार्यान्वयन के प्रयासों पर टिप्पणी तथा सुधार के लिए सिफारिशें शामिल होती हैं। आयोग का वार्षिक रिपोर्ट आयोग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले हर प्राधिकरण द्वारा सौंपी गई सूचनाओं के निरीक्षण पर आधारित होता है।[62]
- **विशेष रूप से मानवाधिकार संबंधित सूचना पर निगरानी:** कुछ गुप्तचर और सुरक्षा एजेंसियों को अधिनियम के दायरे के बाहर रखा गया है। लेकिन जब मामला भ्रष्टाचार के आरोपों और मानवाधिकारों के उल्लंघन का हो, तो वे भी इस दायरे में आ जाती हैं। सूचना आयोगों को मानवाधिकारों के उल्लंघनों से संबंधित सभी निवेदनों पर कार्रवाई करनी चाहिए।

जो आयोग अभी तक स्थापित किए जा चुके हैं, वे अभी अपने आधिकारिक कार्यादेश को समझने में लगे हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करने में एक निर्णायक भूमिका अदा करनी है कि सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी तरीके से कार्यान्वित हो और जनता को यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहने की ज़रूरत है कि ये आयोग प्रभावी रूप से काम करें।

[59] धारा 19(3)

[60] अध्याय 3 व 4

[61] धारा 19(8) और धारा 20

[62] धारा 25

आपको अपनी लिखित अपील संबंधित सूचना आयोग को भेजनी होती है। केन्द्र सरकार के लोक प्राधिकरणों के मामले में, आप अपनी अपील केन्द्रीय सूचना आयोग को भेजें। राज्य सरकार के लोक प्राधिकरणों से संबंधित मामलों में आपको संबंधित राज्य सूचना आयोग को अपनी अपील भेजनी होगी। पंचायतों के विरुद्ध अपीलें संबंधित राज्य सूचना आयोगों को भेजी जानी चाहिए।

केन्द्र व राज्य सरकारों ने इस बारे में नियम जारी किए हैं कि सूचना आयोग को की जाने वाली अपील पत्र में कौन सी सूचनाएँ शामिल होनी चाहिएं। बुनियादी सूचनाओं के अलावा, आपको अपील के साथ अपने दावे को पुष्ट करने वाले दस्तावेजों सहित जिस आदेश/ फैसले की स्वयं–प्रमाणित प्रति, जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है, और जिन दस्तावेजों का अपील में आपने अपने समर्थन में उल्लेख किया है, उनकी प्रतियां संलग्न करनी चाहिए।

केन्द्र व राज्य सूचना आयोग प्रासंगिक अपील नियमों के तहत निर्धारित पद्धतियों से अपीलों पर कार्रवाई करते हैं। आयोगों के पास मौखिक और शपथ पत्र/ हलफनामे पर लिखित साक्ष्य लेने; दस्तावेज़ों या प्रतियों का निरीक्षण करने; जिस लोक सूचना अधिकारी और / या पहली अपील पर फैसला करने वाले अपील प्राधिकारी के विरुद्ध अपील की गई है, उसकी सुनवाई करने और उससे हलफनामा लेने; और आपका पक्ष सुनने की शक्तियां हैं।[63] अगर लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का फैसला किसी तीसरे पक्ष से भी संबंधित है तो तीसरे पक्ष को भी आयोग द्वारा फैसला लिए जाने से पहले सुनवाई का हक है।[64]

साबित करने की जिम्मेदारी[65]

किसी भी अपील पर कार्रवाई में निवेदन को अस्वीकार करने को उचित ठहराने का दायित्व उस व्यक्ति का है जो सूचना को गोपनीय रखना चाहता है यानी लोक सूचना अधिकारी या तीसरे पक्ष का। व्यवहार में, इसका अर्थ है कि आपको आयोग के सामने केवल तब आना होगा, जब सूचना को गुप्त रखना चाहने वाले व्यक्ति से सवाल–जवाब हो चुके हों, क्योंकि आयोग के सामने यह साबित करने का दायित्व उन्हीं का है कि वे सही हैं। अगर सुनवाई आयोजित होती है तो पहले सूचना को गोपनीय रखने के पक्ष में तर्क देने वाले लोक सूचना अधिकारी या तीसरे पक्ष को अपनी बात कहने के लिए बुलाया जाएगा। आपको अपना पक्ष केवल तभी रखना होगा जब आयोग को लगे कि लोक सूचना अधिकारी या तीसरा पक्ष जो कह रहे हैं, वह कुछ तर्कसंगत है। इस मोड़ पर, तब आपको सूचना का खुलासा करने के पक्ष में अपने तर्क देने की ज़रूरत होगी।

सूचना आयोगों में अपीलों पर होने वाली कार्यवाई को अदालतों जैसी औपचारिक कार्रवाई के रूप में परिकल्पित नहीं किया गया है। आयोग के सामने अपने मामले की पैरवी करने के लिए आपको किसी वकील की ज़रूरत नहीं है। यहां की कार्रवाई प्रतिद्वन्द्वितापूर्ण या गोपनीय नहीं है। हालांकि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना आयोग को एक दीवानी अदालत (सिविल न्यायालय) की शक्तियां प्राप्त हैं[66], लेकिन आयोग को एक अदालत की तरह अपना कामकाज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपील या शिकायत की कार्रवाई के दौरान असुविधा महसूस करते हैं, तो आपको सूचना आयोग को बता देना चाहिए और सुनवाई के दौरान किसी जानकार व्यक्ति की सहायता लेनी चाहिए। सूचना आयोग हर स्थिति में खुलेपन का समर्थक है और आयोग व उसके कर्मियों को इस बारे में सतर्क रहना चाहिए कि सूचना का खुलासा करने के पक्ष में दिए गए तर्कों की इसलिए अनदेखी नहीं कर देनी चाहिए कि आपने किसी वकील की सेवाएं नहीं ली हैं।

---

[63] धारा 18(3)
[64] धारा 19(4)
[65] धारा 19(5)
[66] धारा 18(3)

सूचना का अधिकार अधिनियम अपील पर आयोग द्वारा फैसला करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करता है। और किसी अपील नियम में भी अभी तक ऐसी कोई समय सीमा तय नही की गई है। लेकिन इस मामले में सर्वश्रेष्ठ तौर–तरीके को देखें तो सूचना आयोग को भी अपील प्राधिकारी की तरह ही किसी अपील पर 30–45 दिनों के भीतर फैसला कर देना चाहिए।

अगर सूचना आयोग आपकी अपील को उचित ठहराता है तो उसे आपको एक लिखित निर्णय देना होगा। सूचना आयोग को निम्न मामलों में व्यापक और बाध्यकारी शक्तियां प्राप्त हैं:

(क) लोक प्राधिकरण को आदेश देने की, कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए ठोस कदम उठाए, जैसे आप द्वारा निवेदित सूचना तक आपको पहुंच देकर या आपके द्वारा देय शुल्क की राशि को घटा कर;[67]

(ख) इस प्रकिया में अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा है तो लोक प्राधिकरण को उसका मुआवज़ा देने का आदेश देने की;[68]

(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहने वाले लोक सूचना अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को दंड देने की।[69]

अगर सूचना आयोग फैसला करता है कि आपका मामला निराधार है, तो वह आपकी अपील को रद्द कर देगा।[70] दोनों ही मामलों में आयोग को आप और संबंधित लोक प्राधिकरण को अपने फैसले का नोटिस देना चाहिए और उसमें अपील के अधिकार के विवरण भी होने चाहिएं।[71] भले ही सूचना का अधिकार अधिनियम कहता हो कि सूचना लेने या देने की प्रक्रियाओं में न्यायालयों की दखलन्दाज़ी नहीं होगी। आपको संविधान के तहत सूचना आयोग के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार है, क्योंकि सूचना के अधिकार को एक मौलिक संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है।

विकल्प 2 : शिकायत करें

अगर आप लोक सूचना अधिकारी के फैसले से असंतुष्ट हैं और आपको लगता है कि लोक प्राधिकरण सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों की पालना नहीं कर रहा है, तो पहले अपील प्राधिकारी और उसके बाद सूचना आयोग में अपील करने की बजाय, आपके पास अधिनियम की धारा 18(1) के तहत सीधे सूचना आयोग में शिकायत करने का विकल्प भी है। अगर आप लोक सूचना अधिकारी को फौरन दंडित कराना या अपने लिए मुआवज़ा पाना चाहते हैं, तो यह आपके लिए विशेष उपयोगी रास्ता है। अपील प्राधिकारी को न दंड देने का अधिकार है और न ही मुआवज़ा दिलवाने का। लेकिन सूचना आयोग को दोनों आदेश देने की शक्तियां प्राप्त हैं। सीधे सूचना आयोग जाने से आप अपील प्राधिकारी को दरकिनार कर सकेंगे, हालांकि इस पद्धति में कमी यह है कि सूचना आयोगों के फैसले के लिए कोई निश्चित समयावधि तय नहीं की गई है। अपील प्राधिकरण को अधिकतम 45 दिनों के भीतर अपना फैसला देना होता है। आप ही को सावधानी के साथ तय करना होगा कि आपके मामले में कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर है।

---

[67] धारा 19(8)(1)(2)(3)
[68] धारा 19(8)(बी)
[69] धारा 20
[70] धारा 19(8)(सी)
[71] धारा 19(9)
[72] धारा 18(1)

अगर आपको सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना तक पहुंच बनाने में कोई कठिनाई आ रही है तो आप शिकायत[72] दर्ज़ करा सकते हैं। कठिनाइयां निम्न हो सकती हैं:

(क) आप इसलिए अपना आवेदन जमा नहीं करा पाए हैं कि उस खास विभाग ने कोई लोक सूचना अधिकारी मनोनीत नहीं किया है या सहायक लोक सूचना अधिकारी ने आपका आवेदन स्वीकार करने से इंकार कर दिया है;
(ख) आपको निवेदित सूचना देने से इंकार कर दिया गया है;
(ग) आपको निर्धारित समयावधि के भीतर अपने आवेदन का जवाब या सूचना हासिल नहीं हुई है;
(घ) आपको जो शुल्क देने के लिए कहा गया है, वह आपको तर्कसंगत नहीं लग रहा;
(च) आपको लगता है कि आपको जो सूचना दी गई, वह अधूरी, भ्रामक या झूठ है; और
(छ) आपको सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना पाने में कोई अन्य कठिनाई आ रही है।

अंतिम प्रावधान को जानबूझ कर खुला रखा गया है ताकि आप सूचना तक प्रभावी पहुंच को बाधित करने वाली किसी भी समस्या – भले ही उनका उल्लेख अधिनियम में नहीं किया गया हो – के संबंध में सूचना आयोग से शिकायत कर सकें। उदाहरण के लिए, इनमें शामिल हैं : किसी लोक प्राधिकरण द्वारा सही तरीके से स्वैच्छिक रूप से सूचनाओं को सार्वजनिक करने के प्रावधान को कार्यान्वित न करना, लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति न करना, अधिकारियों को उपयुक्त प्रशिक्षण न देना, अधिनियम के तहत अनिवार्य उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका तैयार करने में सरकार का असफल रहना इत्यादि।

सूचना आयोग किसी अपील की सुनवाई कर रहे हों या किसी शिकायत की, उन्हें जांच और निर्णय करने की एक जैसी ही शक्तियां प्राप्त हैं। संक्षेप में, सूचना आयोगों को जांच करने की व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं, क्योंकि उन्हें एक दीवानी अदालत (सिविल न्यायालय) के समान शक्तियां हासिल हैं।[73] वर्तमान सूचना का अधिकार अधिनियम में फिलहाल सूचना आयोगों द्वारा शिकायतों को निपटाने की कोई समयावधि निर्धारित नहीं की गई है। अगर शिकायत की जांच के बाद सूचना आयोग पाता है कि आपकी शिकायत सही है, तो उसके पास संबंधित लोक प्राधिकरण या अन्य अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम की पालना करने के लिए सभी कदम उठाने के आदेश देने की व्यापक और बाध्यकारी शक्तियां हैं। उदाहरण के लिए, वह आपके द्वारा निवेदित सूचना को देने, आवेदनों को प्राप्त और उन पर कार्रवाई करने के लिए लोक सूचना अधिकारियों को मनोनीत करने या स्वयं अपनी पहल पर सूचनाओं को बेहतर तरीके से सार्वजनिक करने के आदेश दे सकता है। सूचना आयोग आप को पहुंचे किसी नुकसान के लिए लोक प्राधिकरण को मुआवज़ा देने का आदेश भी दे सकता है। वह अधिनियम की पालना न करने वाले अधिकारियों को दंडित कर सकता है।[74] या अगर सूचना आयोग पाता है कि आपकी शिकायत उचित नहीं थी, तो वह उसे रद्द कर सकता है। ऐसी स्थिति में आप राज्य के उच्च न्यायालय या दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं।

[73] धारा 18(3)
[74] धारा 19(8) व धारा 20

सूचना आयोगों को दंड देने की शक्ति प्राप्त है

केवल सूचना आयोगों को ही – अपील प्राधिकारियों को नहीं – निम्न कृत्यों के दोषी साबित हुए अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने[75] और 250 रु. प्रति दिन से लेकर अधिकतम 25,000 रु. का आर्थिक जुर्माना[76] लगाने का अधिकार है। अधिकारियों के दंडनीय कृत्य हैं:

– किसी आवेदन को स्वीकार करने से इंकार करना;
– अधिनियम के तहत तय की गई समयावधि में सूचना प्रदान करने में असफल रहना;
– दुर्भावनापूर्वक किसी सूचना के निवेदन को अस्वीकार करना;
– जानबूझ कर गलत, अधूरी या भ्रामक सूचना प्रदान करना;
– किसी निवेदित सूचना को नष्ट करना; और
– सूचना प्रदान करने में किसी भी प्रकार से बाधा डालना।

दंड दिए जाने से पहले संबंधित अधिकारी को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। अधिकारी को सूचना आयोग के सम्मुख साबित करना होगा कि उसने तर्कसंगत और परिश्रम के साथ कार्रवाई की थी।

विकल्प 3 : अदालत में अपील करें

अगर आप स्वयं को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप अपनी किसी अपील या शिकायत पर सूचना आयोग के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप राज्य के उच्च न्यायालय या दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं। हालांकि सूचना का अधिकार अधिनियम विशिष्ट रूप से अधिनियम के तहत अदालतों में कोई मुकदमा, आवेदन या कार्रवाई करने पर रोक लगाता है[77], लेकिन यह याद रखना चाहिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम हमारे मौलिक अधिकार को प्रभाव में लाता है। संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 224 के तहत) और सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32 के तहत) को नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित किसी भी मामले की जांच करने की शक्ति प्राप्त है। इसलिए तकनीकी रूप से केन्द्र सूचना आयोग या संबंधित राज्य सूचना आयोग के किसी फैसले से असंतुष्ट होने की स्थिति में आपको उच्च या सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार है।

[75] धारा 20(2)
[76] धारा 20(1)
[77] धारा 23

फ्लो चार्ट 2 : अपील प्रक्रिया

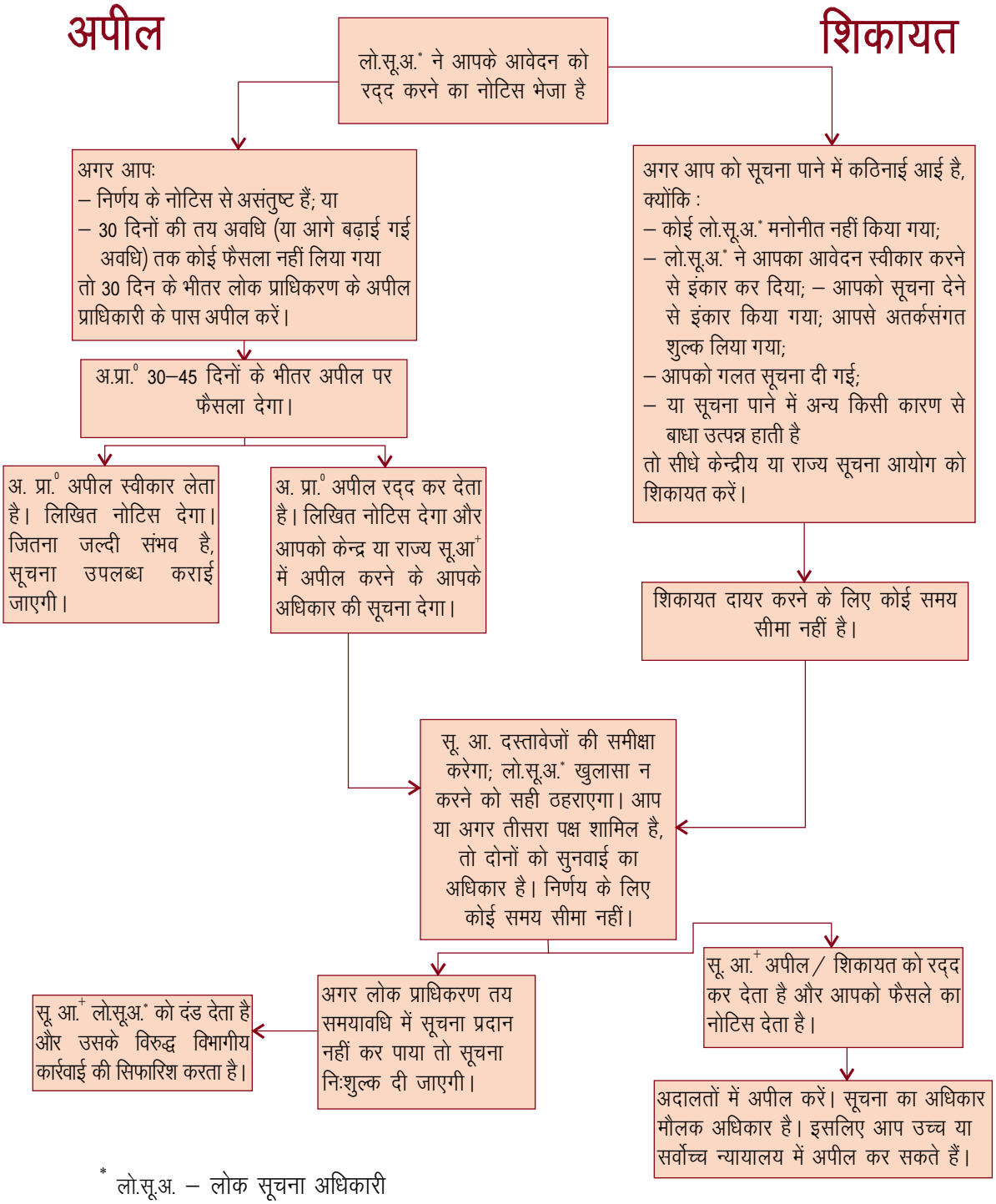

* लो.सू.अ. – लोक सूचना अधिकारी

° अ.प्रा. – अपील प्राधीकारी

\+ सू.आ. – सूचना आयोग

भाग 9 : मैं सूचना के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती/ सकता हूँ?

सूचना का अधिकार अधिनियम सूचनाओं तक पहुँचने का एक कानूनी ढांचा स्थापित करता है। लेकिन सुशासन के एक उपकरण के रूप में इसकी व्यावहारिक सफलता की कुंजी आपके हाथों में है। नागरिकों का यह बुनियादी दायित्व है कि इस अधिनियम का उपयोग कर यह सुनिश्चित करें कि देश भर में सभी लोक प्राधिकरण एक सुदृढ़ एवं नागरिकों के पक्षधर होकर सूचना प्राप्त कराने वाले ढ़ाँचे को स्थापित कर रहे हैं। आपकी मदद से सूचना का अधिकार एक शक्तिशाली और जीवंत अधिकार बन सकता है।

सूचनाओं के लिए निवेदन करना

सूचना का अधिकार अधिनियम भ्रष्टाचार को मिटाने और सरकार की सेवा प्रदाता व्यवस्था को सुधारने में कामयाब हो, यह सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों को अधिक से अधिक संख्या में इस कानून का उपयोग कर सरकार से सूचना माँगना होगा। यह सरकार को लोगों के प्रति जवाबदेह बनाने का सबसे विश्वस्त तरीका है।

सरकार में व्यापक भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को उजागर करने, सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं का उपयुक्त कार्यान्वयन सुनिश्चित करने, सरकार से जवाबदेही की मांग करने और सबसे बढ़ कर देश में नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में भागीदारी की मांग करने के लिए व्यक्तियों और नागरिक समाज के समूहों ने सूचना का अधिकार अधिनियम को पहले ही इस्तेमाल करना शुरु कर दिया है।

सरकार की निगरानी करना

आप जो सूचना चाहते हैं उसके लिए आवेदन करना और उसे हासिल करना केवल पहला कदम भर है। उतनी ही महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने द्वारा हासिल की गई सूचना का क्या करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप द्वारा हासिल सूचना दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार या कुप्रशासन उजागर करती है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप मामले को उच्चाधिकारियों तक ले जाएं – भले ही वह मानवाधिकार आयोग हो, पुलिस, अदालतें या भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी हीं क्यों न हो – और सुनिश्चित करें कि वह मामला सार्वजनिक जानकारी का विषय बन जाए। हकीकत में तो स्वयं सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन पर इसी तरह निगरानी करने की ज़रूरत है। आप इस बात का आकलन कर सकते हैं कि क्या लोक प्राधिकरणों में अधिकारी कानून की पालना करने का प्रयास कर रहे हैं और क्या सरकार सूचनाओं को प्रकाशित करने, लोक सूचना अधिकारियों को मनोनीत करने, और समय पर सूचनाओं तक पहुंच प्रदान करने के अपने दायित्वों को पूरा कर रहे हैं और इस तरह आप इसके कार्यान्वयन की निगरानी कर सकते हैं। अपने निष्कर्षों के आधार पर आप सरकार के साथ इसके कार्यान्वयन के प्रयासों में सुधार करने के लिए पैरवी कर सकते हैं और दबाव बना सकते हैं।

अधिनियम का उपयोग : सूचना का अधिकार कार्यकर्ता ने किया सरकार में भ्रष्टाचार को उजागर[78]

जनवरी 2004 से मध्य प्रदेश सरकार पांच जिलों में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा वित्तपोषित इंडस बाल श्रम परियोजना चला रही है। इंडस परियोजना का उद्देश्य बाल श्रमिकों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। यह एक पंजीकृत सोसाइटी द्वारा राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना (एनसीएलपी) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है जिसे राज्य सरकार के जरिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से पैसा मिलता है। जिला आयुक्त राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना का अध्यक्ष और जिला श्रम अधिकारी इसका सचिव है। इसके अलावा, परियोजना के कार्यान्वयन पर निगाह रखने के लिए पांच परियोजना निदेशकों की नियुक्ति की गई है। परियोजना में बड़ा पैसा दाव पर लगा है – अकेले कटनी जिले में इंडस परियोजना को लागू करने के लिए 31,80,750 रु. की राशि आवंटित की गई है।

अपनी शुरुआत से ही यह परियोजना भ्रष्टाचार की अफवाहों में घिरी रही है। दिसंबर 2005 में कटनी के एक सूचना अधिकार कार्यकर्ता ने इंडस परियोजना के लोक सूचना अधिकारी के पास एक आवेदन दायर कर पूछा : कटनी में परियोजना के अंतर्गत चलाए जा रहे शिक्षण केन्द्रों के लिए खरीदी गई प्राथमिक चिकित्सा किटों की संख्या; किट किस दर पर खरीदी गईं; किट में मौजूद चीजों की सूची; और परियोजना द्वारा स्वैच्छिक रूप से सार्वजनिक की गई सूचनाओं की एक प्रति भी मांगी।

लोक सूचना अधिकारी ने जवाब दिया कि 3,500 रु. प्रति किट की दर पर 40 प्राथमिक चिकित्सा किटें खरीदी गईं। निवेदक ने इसी तरह की किट बनाने वाली कंपनियों के स्थानीय वितरकों से चल रहे बाज़ार भाव के बारे में पता किया और पाया कि उनकी कीमत 760 और सर्वाधिक 970 रु. थी। निवेदक को लगा कि परियोजना ने सबसे ऊंचे बाज़ार भाव से भी बहुत ज़्यादा मूल्य पर किट खरीदी गई हैं। कार्यान्वयन एजेंसी ने 3,500 रु. प्रति किट की दर से 40 किट खरीदने में 1,40,000 रु. खर्च किए थे। अगर एजेंसी ने खुले बाज़ार से सबसे ज्यादा ऊंचे दामों यानी 970 रु. प्रति किट पर भी किट खरीदी होतीं, तो भी केवल 38,800 रु. खर्च हुए होते।

कार्यकर्ता ने किटों की जांच करने के लिए दस शिक्षण केन्द्रों का दौरा भी किया और पाया कि किसी भी किट पर निर्माता कंपनी का चिन्ह नहीं बना था। तीन केन्द्रों में, किट खाली पाई गईं और अन्य केन्द्रों में सात किटों के भीतर की सामग्री दिए गए गुणवत्ता विवरणों के मुकाबले घटिया थी। यह घोटाला स्थानीय समाचार पत्रों में उछाला गया और इस मामले के बारे में सारे सबूतों के साथ एक शिकायत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को भी भेजी गई। संगठन ने कटनी ज़िलाधिकारी से इस मामले की छानबीन करने की गुज़ारिश की। जाँच प्रक्रिया संपन्न होने पर किटों को सप्लाई करने वाली कंपनी से 80,000 रु. वसूला गया। अब श्रम संगठन इन कार्यकर्ताओं के साथ पूरी योजना की समीक्षा करने पर विचार कर रही है।

दूसरों को शिक्षित करना और सलाह देना

आज समूचे देश में बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि नागरिकों का सशक्तिकरण करने वाला एक ऐसा कानून लागू हो चुका है और उन्हें सुलभ है। जनता में सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में जागरुकता और शिक्षा का प्रसार करना केन्द्र व राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारी है, लेकिन उनके प्रयास धीमे रहे हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम का संदेश देश में दूर–दूर तक और अनेकों भाषाओं तथा माध्यमों के साथ पहुंचे, यह सुनिश्चित करना भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है। अगर आपने सूचना का अधिकार अधिनियम का इस्तेमाल किया है, तो भले ही आपका प्रयास सफल रहा हो या असफल, अखबार में लेख लिख कर, या इंटरनेट पर एक केस स्टडी

[78] म. प्र. सूचना का अधिकार अभियान

देखो! क्या हो रहा है मुंबई की जेलों में [79]

महाराष्ट्र में मीडिया में नियमित रूप से खबरें आती रहती थीं कि मुंबई की आर्थर जेल के कैदियों को जबरन पैसा वसूलने और गैर–कानूनी तथा खतरनाक गतिविधियों चलाने के लिए मोबाइल फोनों का इस्तेमाल करने दिया जाता है। अक्टूबर 2001 में जेल महानिरीक्षक ने जेल में मोबाइल फोनों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए 6,01,736 रु. की लागत से जैमर मशीन लगाने का प्रस्ताव रखा। अगले चार वर्षों तक इस प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं की गई ओर मोबाइलों का इस्तेमाल जारी रहा।

20 दिसंबर 2005 को शैलेश गांधी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक आवेदन के ज़रिए पूछा कि इस मामले में कार्रवाई के कागज़ात किस–किस अधिकारी के पास गए और क्या प्रगति हुई। उनके आवेदन के छह दिनों बाद ही 26 दिसंबर 2005 को पुलिस महीनिरीक्षक को जैमरों का आदेश देने के लिए कहा गया। 10 जनवरी 2006 को यानी शैलेश गांधी के शुरुआती निवेदन के बाद एक महीने से भी कम समय में अंततः 7 लाख रु. की लागत से जेल में जैमर लगा दिए गए।

जो सरकार चार साल में नहीं कर सकी या उसने करना नहीं चाहा, उसी को सूचना का अधिकार अधिनियम ने चंद दिनों में कर दिखाया। अधिनियम के ज़रिए सरकार की निगरानी करना और उसके खराब कार्य–प्रदर्शन को उजागर करना नौकरशाही द्वारा कहे गए शब्दों को आधिकारिक कार्रवाई में बदलने में बहुत प्रभावी हो सकता है।

इंडियन एक्सप्रेस ने किया रोज़गार गारंटी योजना घोटाले का पर्दाफाश [80]

महाराष्ट्र के थाने जिले में राज्य के कुछ सबसे गरीब और पिछड़े तालुके स्थित हैं। जवाहर और मोखादा तालुकों में 75 प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीते हैं। महाराष्ट्र रोज़गार गारंटी योजना ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों को लाभकारी रोज़गार प्रदान करने के लक्ष्य से विकसित की गई थी। हाल ही में इस योजना के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में जानने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम का उपयोग किया गया और यह बात सामने आई कि व्यवस्था में भ्रष्टाचार की भरमार है।

इंडियन एक्सपेस ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत थाने ज़िले के लोक निर्माण विभाग से मस्टर रोल की प्रतियों के लिए आवेदन किया। इंडियन एक्सपेस की विशेष दिलचस्पी ज़िले में बोपदारी–चंदोशी एप्रोच रोड़ के निर्माण में किए गए कामों के मस्टर रोल में थी। यह सड़क महाराष्ट्र रोज़गार गारंटी योजना के तहत इसलिए बनाई गई थी कि यह इलाके के सबसे गरीब गांवों के लिए एक जीवन रेखा का काम करे। मस्टर रोल से पता लगा कि बोपदारी गांव के एक ग्रामीण गंगा घटाल को 11 दिनों तक सड़क खोदने के लिए 961 रु. दिए गए थे। इसे मस्टर रोल पर उसके अंगूठे के निशान से प्रमाणित भी किया गया था। मस्टर रोल लेकर समाचार पत्र बोपदारी गया तो उसे पता लगा कि गंगा घटाल तो 2004 में ही आत्महत्या कर चुका और न उसे, न ही उसके परिवार को कोई पैसा मिला था। गंगा घटाल उन अनेकों मृतकों में से महज एक था जिसे रोज़गार गारंटी योजना के तहत पैसे लेते हुए दिखाया गया था। मस्टर रोल में ऐसी अनेकों फर्ज़ी नाम थे, बल्कि कुछ सरकारी अधिकारियों तक को योजना के हितग्राहियों के रूप में दिखाया गया था। इन सबूतों को देख राज्य के रोज़गार गारंटी योजना मंत्री को मामले की जांच करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

---

[79] शैलेश गांधी (2006)।

[80] चित्रांगद चौधरी (2006), ''इन मॉडल महाराष्ट्र द डैड आर पेड टू साइफन ऑफ जॉब फंड्स'', द इंडियन एक्सप्रेस, 12 जनवरी: http://www.indianexpress.com/full_story.php?content_id=85784, 20 मार्च 2006।

प्रकाशित कर या इस बारे में अपने मित्रों और सहकर्मियों से बात कर अपने अनुभव को सार्वजनिक बनाएं। आप लोगों को सूचना के आवेदन लिखने और जमा करने का तरीका सिखा कर उन्हें सूचना के लिए ऐसे ही निवेदन भेजने में मदद दे सकते है। सूचना का अधिकार अधिनियम को इस्तेमाल करने का आपका अनुभव अन्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकता है और इस अनुभव को दूसरों के साथ बांटना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी तरह सूचना का अधिकार अधिनियम लोगों के दिलो–दिमाग में गहरी जड़ें जमाएगा।

सूचना का अधिकार आंदोलन में शामिल होना

देश भर में अनेकों कार्यकर्ता और नागरिक समाज के समूह सूचना के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। ये समूह सक्रिय रूप से ऐसे तरीके तलाश रहे हैं जिनसे इस अधिकार को भारत भर में महिलाओं, पुरुषों और सीमांत समुदायों की पहुंच के दायरे में लाया जा सके। उन्हें उल्लेखनीय नतीजे हासिल हो रहे हैं। सफलताओं की अदभुत कहानियां सामने आ रही हैं। इसके अलावा बहुत से ऑनलाइन चर्चा मंच तथा स्थानीय समूह भी हैं जो सूचना का अधिकार अधिनियम के उपयोग और कार्यान्वयन की निकटता से निगरानी करने में संलग्न हैं। आप इन समूहों और/ या सूचना के अधिकार पर अपने राज्य में काम कर रहे किसी संगठन के सदस्य बनने की बात सोच सकते हैं। बल्कि आप स्वयं अपना चर्चा समूह भी स्थापित कर सकते हैं (सूचना के अधिकार पर काम कर रहे कुछ समूहों के विवरणों के लिए देखें परिशिष्ट 5)।

सूचना अधिकार कार्यान्वयन अभियान में शामिल होना

पहले हासिल की जा चुकी उपलब्धियों को सुदृढ़ करने और सरकार पर सूचना का अधिकार अधिनियम को सही तरीके से कार्यान्वित करने के लिए दबाव बनाए रखने के लिए देश भर में बहुत से समूह एक–दूसरे से जुड़ कर काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय जन सूचना अधिकार अभियान (एनसीपीआरआई) की स्थापना 1996 में राष्ट्रीय स्तर पर सूचना के अधिकार पर पैरवी कर्म करने के मुख्य उद्देश्य से की गई थी। अभियान ने सूचना का अधिकार अधिनियम पारित करने के लिए दबाव बनाया और अब यह अधिनियम के कार्यान्वयन में सुधार करने पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रहा है। इसके अलावा, अनेकों ऑनलाइन चर्चा समूह हैं जहां देश भर के कार्यकर्ता चर्चा और अपने अनुभवों का आदान–प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, देश भर में सूचना अधिकार समर्थकों ने 'हम जानेंगे' नाम से एक वैब आधारित चर्चा समूह स्थापित किया है जो अनुभवों का आदान–प्रदान करने, समस्याओं पर चर्चा करने और कानून तथा इसके कार्यान्वयन में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए रणनीतियां बनाने और सूचना के अधिकार को आगे बढ़ाने के लिए समन्वय करने के मंच का काम करता है। इसी तरह, कर्नाटक में अधिकार के पैरोकारों ने 'क्रिया कट्टे' नाम से डिस्कशन बोर्ड स्थापित किया हे। ये ऑनलाइन मंच एक संगठित अभियान चलाने के लिए विभिन्न पृष्ठभूमियों और स्थानों के लोगों को साथ लाने का एक बहुत उपयोगी तरीका साबित हुए हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

धाराओं का क्रम

धाराएं

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।
2. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं

3. सूचना का अधिकार ।
4. लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं ।
5. लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम ।
6. सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध ।
7. अनुरोध का निपटान ।
8. सूचना के प्रकट किए जाने से छूट ।
9. कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार ।
10. पृथक्करणीयता ।
11. पर व्यक्ति सूचना ।

अध्याय 3

केन्द्रीय सूचना आयोग

12. केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन ।
13. पदावधि और सेवा शर्तें ।
14. सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना ।

अध्याय 4

राज्य सूचना आयोग

15. राज्य सूचना आयोग का गठन ।
16. पदावधि और सेवा की शर्तें ।
17. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना ।

धाराएं

अध्याय 5

सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्य, अपील तथा शास्तियां

18. सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्य ।

19. अपील ।

20. शास्ति ।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

21. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

22. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना ।

23. न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन ।

24. अधिनियम का कतिपय संगठनों को लागू न होना ।

25. मानीटर करना और रिपोर्ट करना ।

26. समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाना ।

27. नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति ।

28. नियम बनाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति ।

29. नियमों का रखा जाना ।

30. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

31. निरसन ।

पहली अनुसूची ।

दूसरी अनुसूची ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 22)

[15 जून, 2005]

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, एक केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे संबंधित या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत के संविधान ने लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है ;

और लोकतंत्र शिक्षित नागरिक वर्ग तथा ऐसी सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है, जो उसके कार्यकरण तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी और सरकारों तथा उनके परिकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए अनिवार्य है ;

और वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटन से संभवतः अन्य लोक हितों, जिनके अंतर्गत सरकारों के दक्ष प्रचालन, सीमित राज्य वित्तीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग और संवेदनशील सूचना की गोपनीयता को बनाए रखना भी है, के साथ विरोध हो सकता है ;

और लोकतंत्रात्मक आदर्श की प्रभुता को बनाए रखते हुए इन विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बनाना आवश्यक है ;

2

अतः, अब यह समीचीन है कि ऐसे नागरिकों को, कतिपय सूचना देने के लिए, जो उसे पाने के इच्छुक हैं, उपबंध किया जाए ;

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) धारा 4 की उपधारा (1), धारा 5 की उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 12, धारा 13, धारा 15, धारा 16, धारा 24, धारा 27 और धारा 28 के उपबंध तुरंत प्रभावी होंगे और इस अधिनियम के शेष उपबंध इसके अधिनियमन के एक सौ बीसवें दिन को प्रवृत्त होंगे ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "समुचित सरकार" से किसी ऐसे लोक प्राधिकरण के संबंध में जो —

(i) केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित किया जाता है, केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है ;

(ii) राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित किया जाता है, राज्य सरकार अभिप्रेत है ;

(ख) "केन्द्रीय सूचना आयोग" से धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय सूचना आयोग अभिप्रेत है ;

(ग) "केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी" से उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रकार पदाभिहित कोई केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है ;

(घ) "मुख्य सूचना आयुक्त" और "सूचना आयुक्त" से धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त अभिप्रेत है ;

(ङ) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है—

(i) लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा की या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र की, जिसमें ऐसी सभा है, दशा में अध्यक्ष और राज्य सभा या किसी राज्य की विधान परिषद् की दशा में सभापति ;

(ii) उच्चतम न्यायालय की दशा में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति ;

(iii) किसी उच्च न्यायालय की दशा में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति ;

(iv) संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित अन्य प्राधिकरणों की दशा में, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल ;

(v) संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक ;

(च) "सूचना" से किसी इलैक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, माडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री, अभिप्रेत है;

(छ) "विहित" से, यथास्थिति, समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ज) "लोक प्राधिकारी" से,--

(क) संविधान द्वारा या उसके अधीन ;

(ख) संसद् द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा ;

(ग) राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा ;

(घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा, स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है,

और इसके अन्तर्गत,--

(i) कोई ऐसा निकाय है जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है ;

(ii) कोई ऐसा गैर-सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है ।

(झ) "अभिलेख" में निम्नलिखित सम्मिलित हैं--

(क) कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपि और फाइल ;

(ख) किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश या प्रतिकृति प्रति ;

(ग) ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिबिम्ब या प्रतिबिम्बों का पुनरुत्पादन (चाहे वर्धित रूप में हो या न हो) ; और

(घ) किसी कम्प्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री ;

(ञ) "सूचना का अधिकार" से इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है--

(i) कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण ;

(ii) दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना ;

(iii) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना ;

(iv) डिस्केट, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक रीति में या प्रिंटआउट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है, अभिप्राप्त करना ;

(ट) "राज्य सूचना आयोग" से धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है ;

(ठ) "राज्य मुख्य सूचना आयुक्त" और "राज्य सूचना आयुक्त" से धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त अभिप्रेत है ;

(ड) "राज्य लोक सूचना अधिकारी" से उपधारा (1) के अधीन यथाभिहित राज्य लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन उस रूप में यथाभिहित राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है ;

(ढ) "पर व्यक्ति" से सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक के भिन्न कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत कोई लोक प्राधिकारी भी है ।

अध्याय 2

सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं

सूचना का अधिकार

3. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा ।

लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं ।

4. (1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी—

(क) अपने सभी अभिलेखों को सम्यक् रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कम्प्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित हैं, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कम्प्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध हैं जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुकर बनाया जा सके ;

(ख) इस अधिनियम के अधिनियमन से एक सौ बीस दिन के भीतर,—

(i) अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य ;

(ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य ;

(iii) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में चालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं ;

(iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानक ;

(v) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन सारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख ;

(vi) ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण ;

(vii) किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं ;

(viii) ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके मामलों में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण ;

(ix) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका ;

(x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथाउपबंधित हो ;

(xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट ;

(xii) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं ;

(xiii) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां ;

(xiv) किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों ;

(xv) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं ;

(xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां ;

(xvii) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए,

प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा ;

(ग) महत्वपूर्ण नीतियों की विरचना करते समय या ऐसे विनिश्चयों की घोषणा करते समय, जो जनता को प्रभावित करते हों, सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकाशित करेगा ;

(घ) प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या न्यायिकल्प विनिश्चयों के लिए कारण उपलब्ध कराएगा ;

(2) प्रत्येक लोक अधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार, स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अन्तरालों पर संसूचना के

विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अन्तर्गत इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करें जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पड़े ।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से और ऐसे प्ररूप और रीति में प्रसारित किया जाएगा, जो जनता के लिए सहज रूप से पहुंच योग्य हो ।

(4) सभी सामग्री को, लागत प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और उस क्षेत्र में संसाधन की अत्यंत प्रभावी पद्धति को ध्यान में रखते हुए, प्रसारित किया जाएगा तथा सूचना, यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी के पास इलैक्ट्रानिक रूप में संभव सीमा तक निःशुल्क या माध्यम की ऐसी लागत पर या ऐसी मुद्रण लागत कीमत पर, जो विहित की जाए, सहज रूप से पहुंच योग्य होनी चाहिए ।

स्पष्टीकरण—उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए, "प्रसारित" से सूचना पट्टों, समाचारपत्रों, लोक उद्घोषणाओं, श्रव्य प्रसारणों, इंटरनेट या किसी अन्य माध्यम से, जिसमें किसी लोक प्राधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण सम्मिलित है, जनता को सूचना की जानकारी देना या संसूचित कराना अभिप्रेत है ।

लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम ।

5. (1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर सभी प्रशासनिक एककों या उसके अधीन कार्यालयों में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य सूचना अधिकारियों के रूप में उतने अधिकारियों को अभिहित करेगा, जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक हों ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर किसी अधिकारी को प्रत्येक उपमंडल स्तर या अन्य उप जिला स्तर पर, यथास्थिति, केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए आवेदन या अपील प्राप्त करने और उसे तत्काल, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केंद्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग को भेजने के लिए, पदाभिहित करेगा :

परंतु यह कि जहां सूचना या अपील के लिए कोई आवेदन यथास्थिति, किसी केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है, वहां धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उत्तर के लिए अवधि की संगणना करने में पांच दिन की अवधि जोड़ दी जाएगी ।

(3) यथास्थिति, प्रत्येक, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्रवाई करेगा और ऐसी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों को युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा ।

(4) यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, ऐसे किसी अन्य अधिकारी की सहायता की मांग कर सकेगा, जिसे वह अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझे ।

(5) कोई अधिकारी, जिसकी उपधारा (4) के अधीन सहायता चाही गई है, उसकी सहायता चाहने वाले यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना

अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी समझा जाएगा ।

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध ।

6. (1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है, लिखित में या इलैक्ट्रानिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी में या उस क्षेत्र की जिसमें आवेदन किया जा रहा है, राजभाषा में ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए,—

(क) संबंधित लोक प्राधिकरण के यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ;

(ख) यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी,

को, उसके द्वारा मांगी गई सूचना की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए अनुरोध करेगा :

परन्तु जहां ऐसा अनुरोध लिखित में नहीं किया जा सकता है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी युक्तियुक्त सहायता मौखिक रूप से देगा, जिससे कि उसे लेखबद्ध किया जा सके ।

(2) सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को, सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हैं, देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

(3) जहां, कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हुए किया जाता है,—

(i) जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है ; या

(ii) जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित है,

वह, वह लोक प्राधिकारी, जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है, ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को, जो समुचित हो, उस अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित करेगा और ऐसे अंतरण के बारे में आवेदक को तुरंत सूचना देगा :

परन्तु यह कि इस उपधारा के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किंतु किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पांच दिनों के पश्चात नहीं किया जाएगा ।

अनुरोध का निपटान ।

7. (1) धारा 5 की उपधारा (2) के परंतुक या धारा 6 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, यथासंभवशीघ्रता से, और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा ;

परंतु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी ;

(2) यदि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के लिए अनुरोध पर विनिश्चय करने में असफल रहता है तो, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अनुरोध को नामंजूर

कर दिया है ।

(3) जहां, सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में किसी और फीस के संदाय पर सूचना उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया जाता है, वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को,—

(क) सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में उसके द्वारा यथाअवधारित और फीस के ब्यौरे जिसके साथ उपधारा (1) के अधीन विहित फीस के अनुसार रकम निकालने के लिए की गई संगणनाएं होंगी, देते हुए उससे उस फीस को जमा करने का अनुरोध करते हुए कोई संसूचना भेजेगा और उक्त संसूचना के प्रेषण और फीस के संदाय के बीच मध्यवर्ती अवधि को उस धारा में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा ;

(ख) प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराई गई पहुंच के प्ररूप के बारे में, जिसके अंतर्गत अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां, समय-सीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य प्ररूप भी है, विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने के संबंध में उसके अधिकार से संबंधित सूचना देते हुए, कोई संसूचना भेजेगा ।

(4) जहां, इस अधिनियम के अधीन अभिलेख या उसके किसी भाग तक पहुंच अपेक्षित है और ऐसा व्यक्ति, जिसको पहुंच उपलब्ध कराई जानी है, संवेदनात्मक रूप से निःशक्त है, वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए सहायता उपलब्ध कराएगा जिसमें निरीक्षण के लिए ऐसी सहायता कराना भी सम्मिलित है, जो समुचित हो ।

(5) जहां, सूचना तक पहुंच मुद्रित या किसी इलैक्ट्रानिक रूपविधान में उपलब्ध कराई जानी है, वहां आवेदक, उपधारा (6) के अधीन रहते हुए, ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो विहित की जाए :

परन्तु धारा 6 की उपधारा (1) और धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अधीन विहित फीस युक्तियुक्त होगी और ऐसे व्यक्तियों से, जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, जैसा समुचित सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी ।

(6) उपधारा (5) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई लोक प्राधिकारी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को प्रभार के बिना सूचना उपलब्ध कराई जाएगी ।

(7) उपधारा (1) के अधीन कोई विनिश्चय करने से पूर्व, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 11 के अधीन पर व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन को ध्यान में रखेगा ।

(8) जहां, किसी अनुरोध को उपधारा (1) के अधीन अस्वीकृत किया गया है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को,—

(i) ऐसी अस्वीकृति के लिए कारण ;

(ii) वह अवधि, जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील की जा सकेगी ; और

(iii) अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां,

संसूचित करेगा ।

(ग) किसी सूचना को साधारणतया उसी प्रपत्र में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें उसे मांगा गया है, जब तक कि वह लोक प्राधिकारी के स्रोतों को अनुपातहीन रूप से विचलित न करता हो या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो ।

8. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी— सूचना जो प्रकट किए जाने से छूट ।

(क) सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध के करने का उद्दीपन होता हो;

(ख) सूचना, जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है;

(ग) सूचना, जिसके प्रकटन से संसद् या किसी राज्य के विधान-मंडल के विशेषाधिकार का भंग व्यक्ति होगा ;

(घ) सूचना, जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सन्निहित है, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति को प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है ;

(ङ) किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है ;

(च) किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना ;

(छ) सूचना जिसका प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा ;

(ज) सूचना, जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी ;

(झ) मंत्रिमंडल के कागजपत्र, जिसमें मंत्रिपरिषद् सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं ;

परन्तु यह कि मंत्रिपरिषद् के विनिश्चय, उनके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किए गए थे, विनिश्चय किए जाने और विषय के पूरा या समाप्त होने के पश्चात् जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे ;

परन्तु यह और कि ये विषय जो इस धारा में विनिर्दिष्ट छूटों के अंतर्गत आते हैं, प्रकट नहीं किए जाएंगे ;

(ञ) सूचना, जो अधिनियम सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है ;

परन्तु ऐसी सूचना के लिए, जिसकी, यथास्थिति, संसद् या किसी विधान-मंडल को

बिना से इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जा सकेगा ।

(2) शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 में, उपधारा (1) के अनुसार अनुज्ञेय किसी छूट में किसी बात के होते हुए भी, किसी लोक प्राधिकारी को सूचना तक पहुंच अनुज्ञात की जा सकेगी, यदि सूचना के प्रकटन में लोक हित, संरक्षित हितों के नुकसान से अधिक है । 1923 का 19

(3) उपधारा (1) के खण्ड (क), खंड (ग) और खण्ड (घ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसी घटना, वृत्तांत या विषय से संबंधित कोई सूचना, जो उस तारीख से, जिसको धारा 6 के अधीन कोई अनुरोध किया जाता है, बीस वर्ष पूर्व घटित हुई थी या हुआ था, उस धारा के अधीन अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी :

परन्तु यह कि जहां उस तारीख के बारे में, जिससे बीस वर्ष की उक्त अवधि को संगणित किया जाता है, कोई प्रश्न उद्भूत होता है, वहां इस अधिनियम में उसके लिए उपबंधित प्रक्रिया अपीलों के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अनुज्ञप्ति के मामले ।

9. धारा 8 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, कोई केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या कोई राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना के किसी अनुरोध को वहां अस्वीकार कर सकेगा जहां पहुंच उपलब्ध कराने के लिए ऐसा अनुरोध राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के अस्तित्ववान प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन अन्तर्वलित करेगा ।

पृथक्करणीयता ।

10. (1) जहां सूचना तक पहुंच के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार किया जाता है कि वह ऐसी सूचना के संबंध में है जो प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है वहां इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, पहुंच अभिलेख के उस भाग तक उपलब्ध कराई जा सकेगी जिसमें कोई ऐसी सूचना अन्तर्विष्ट नहीं है, जो इस अधिनियम के अधीन प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है और जो किसी ऐसे भाग से, जिसमें छूट प्राप्त सूचना अन्तर्विष्ट है, युक्तियुक्त रूप से पृथक् की जा सकती है ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन अभिलेख के किसी भाग तक पहुंच अनुज्ञात की जाती है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी निम्नलिखित सूचना देते हुए, आवेदक को एक सूचना देगा कि–

(क) अनुरोध किए गए अभिलेख का केवल एक भाग ही, इस अभिलेख से उस सूचना को जो प्रकटन से छूट प्राप्त है पृथक् करने के पश्चात्, उपलब्ध कराया जा रहा है ;

(ख) विनिश्चय के लिए कारण, जिनके अंतर्गत तथ्य के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर उस सामग्री के प्रति, जिस पर वे निष्कर्ष आधारित थे, निर्देश करते हुए कोई निष्कर्ष भी है ;

(ग) विनिश्चय करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम ;

(घ) उसके द्वारा संगणित फीस के ब्यौरे और फीस की वह रकम जिसकी आवेदक से निक्षेप करने की अपेक्षा की जाती है ; और

(ङ) सूचना के भाग को प्रकट न किए जाने के संबंध में विनिश्चय के पुनर्विलोकन के बारे में उसके अधिकार, प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराया गया पहुंच का प्रपत्र, जिसके अन्तर्गत, यथास्थिति, धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी की विशिष्टियां, समय-सीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य पहुंच का प्रपत्र भी है ।

11. (1) जहां, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर कोई ऐसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है, जो किसी पर व्यक्ति से संबंधित है या उसके द्वारा इसका प्रदान किया गया है और उस पर व्यक्ति द्वारा उसे गोपनीय माना गया है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने से पांच दिन के भीतर, ऐसे पर व्यक्ति को अनुरोध की और इस तथ्य की लिखित रूप में सूचना देगा कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का उक्त सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है, और इस बारे में कि सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं, लिखित में या मौखिक रूप से निवेदन करने के लिए पर व्यक्ति को आमंत्रित करेगा तथा सूचना के प्रकटन के बारे में कोई विनिश्चय करते समय पर व्यक्ति के ऐसे निवेदन को ध्यान में रखा जाएगा :

पर व्यक्ति सूचना ।

परन्तु विधि द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक गुप्त बातों की दशा में के सिवाय, यदि ऐसे प्रकटन में लोकहित, ऐसे पर व्यक्ति के हितों की किसी संभावित अवहानि या क्षति से अधिक महत्वपूर्ण है तो प्रकटन अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति पर किसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग के बारे में किसी सूचना की तामील की जाती है, वहां ऐसे पर व्यक्ति को, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर, प्रस्तावित प्रकटन के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा ।

(3) धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 6 के अधीन अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात् चालीस दिन के भीतर, यदि पर व्यक्ति को उपधारा (2) के अधीन अभ्यावेदन करने का अवसर दे दिया गया है, तो इस बारे में विनिश्चय करेगा कि उक्त सूचना या अभिलेख या उसके भाग का प्रकटन किया जाए या नहीं और अपने विनिश्चय की सूचना लिखित में पर व्यक्ति को देगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन दी गई सूचना में यह कथन भी सम्मिलित होगा कि वह पर व्यक्ति, जिसे सूचना दी गई है, धारा 19 के अधीन उक्त विनिश्चय के विरुद्ध अपील करने का हकदार है ।

अध्याय 3

केन्द्रीय सूचना आयोग

12. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं ।

केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन ।

(2) केन्द्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा :

(क) केन्द्रीय सूचना आयुक्त ; और

(ख) दस से अनधिक उतनी संख्या में केन्द्रीय सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएं ।

(3) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी—

(i) प्रधानमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा ;

(ii) लोकसभा में विपक्ष का नेता ; और

(iii) प्रधानमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट राष्ट्र मंत्रिमण्डल का एक मंत्री ।

स्पष्टीकरण- शंकाओं के निवारण के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां लोक सभा में विपक्ष के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वहां लोक सभा में सरकार के विपक्षी दलों सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्ष का नेता समझा जाएगा ।

(4) केन्द्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन, मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी सहायता सूचना आयुक्तों द्वारा की जाएगी और वह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कार्य और बातें कर सकेगा, जिनका केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निदेशों के अधीन रहे बिना प्रयोग किया जा सकता है या जो की जा सकती है ।

(5) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होंगे ।

(6) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, संसद् का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारित नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से संबद्ध नहीं होगा अथवा कोई कारबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा ।

(7) केन्द्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय, दिल्ली में होगा और केन्द्रीय सूचना आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा ।

पदावधि और वेतन आदि ।

13. (1) सूचना आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह कि कोई मुख्य सूचना आयुक्त पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा ।

(2) प्रत्येक सूचना आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और ऐसे सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु प्रत्येक सूचना आयुक्त, इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर, धारा 12 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परन्तु यह और कि जहां सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है वहां उसकी पदावधि सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(3) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष, पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपदर्शित प्ररूप के अनुसार एक शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा ।

(4) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, किसी भी समय, राष्ट्रपति को

संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ;

परन्तु मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को धारा 14 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा ।

(5) संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें—

(क) मुख्य सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की हैं ;

(ख) सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो निर्वाचन आयुक्त की हैं ;

परन्तु यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेंशन, अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न प्राप्त कर रहा है तो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से, उस पेंशन की, जिसके अंतर्गत पेंशन का ऐसा कोई भाग, जिसे संराशित किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर, सेवानिवृत्ति फायदों के अन्य रूपों की समतुल्य पेंशन भी है, रकम को कम कर दिया जाएगा ;

परन्तु यह और कि यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम में या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है तो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से, सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य मूल्य की रकम कम कर दी जाएगी ;

परन्तु यह भी कि मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके अलाभकर रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

(6) केन्द्रीय सरकार, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं ।

सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना ।

14. (1) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा साबित दुराचार या असामर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा, जब उच्चतम न्यायालय ने, राष्ट्रपति द्वारा उसे किए गए किसी निदेश पर जांच के पश्चात् यह रिपोर्ट दी हो कि, यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए ।

(2) राष्ट्रपति, उस मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निदेश किया गया है, ऐसे निदेश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा आदेश पारित किए जाने तक पद से निलंबित कर सकेगा और यदि आवश्यक समझे तो, जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से भी प्रतिषिद्ध कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति, मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा, यदि, यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त,—

(घ) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है; या

(ङ) वह ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें राष्ट्रपति की राय में, नैतिक अधमता अन्तर्वलित है ; या

(च) अपनी पदावधि के दौरान, अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है ; या

(छ) राष्ट्रपति की राय में, मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है ; या

(ज) उसने ऐसे वित्तीय और अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनसे मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

(4) यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, किसी प्रकार भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबद्ध या उसमें हितबद्ध है या किसी निगमित कंपनी के किसी सदस्य के रूप में से अन्यथा और उसके अन्य सदस्यों के साथ सामान्यतः उसके लाभ में या उससे प्रादुभूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है तो वह, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, कदाचार का दोषी समझा जाएगा ।

अध्याय 4

राज्य सूचना आयोग

राज्य सूचना आयोग का गठन ।

15. (1) प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा..... (राज्य का नाम) सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं ।

(2) राज्य सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—

(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ; और

(ख) दस से अनधिक उतनी संख्या में राज्य सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएं ।

(3) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी किसी समिति की सिफारिश पर की जाएगी,—

(i) मुख्यमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा ;

(ii) विधान सभा में विपक्ष का नेता ; और

(iii) मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला मंत्रिमंडल का सदस्य ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के प्रयोजनों के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां विधान सभा में विपक्षी दल के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वहां विधान सभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्षी दल का नेता समझा जाएगा ।

(4) राज्य सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंध राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा सहायता की जाएगी और वह सभी ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और सभी ऐसे कार्य और बातें कर सकेगा जो राज्य सूचना आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी

के निर्देशों के अध्यधीन रहे बिना स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जा सकती है या की जा सकती है ।

(5) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाजसेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होंगे ।

(6) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, यथास्थिति, संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होगा या कोई कारबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा ।

(7) राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय राज्य में ऐसे स्थान पर होगा, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और राज्य सूचना आयोग, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राज्य में अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगा ।

16. (1) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा : पदावधि और सेवा की शर्तें ।

परन्तु कोई राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा ।

(2) प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त, इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर, धारा 15 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परन्तु यह और कि जहां राज्य सूचना आयुक्त की राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति की जाती है, वहां उसकी पदावधि राज्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(3) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपबंधित रूप के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा ।

(4) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त, किसी भी समय, राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा :

परन्तु राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को धारा 17 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा ।

(5) वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें—

(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो किसी निर्वाचन आयुक्त की हैं ;

(ख) राज्य सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो राज्य सरकार के मुख्य सचिव

की हैं :

परन्तु यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेंशन, अशक्तता या क्षति पेंशन से भिन्न, प्राप्त कर रहा है तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से उस पेंशन की रकम को, जिसके अंतर्गत पेंशन का ऐसा भाग जिसे संपरिवर्तित किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन भी है, रकम को कम कर दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि जहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है वहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगी :

परन्तु यह और कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके लिए अलाभकारी रूप में परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

(6) राज्य सरकार, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के सम्यक् पालन के लिए आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं ।

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना ।

17. (1) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा, जब उच्चतम न्यायालय ने, राज्यपाल द्वारा उसे लिए गए किसी निदेश पर जांच के पश्चात् यह रिपोर्ट दी हो कि, यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए ।

(2) राज्यपाल, उस राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निदेश किया गया है, ऐसे निदेश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्यपाल द्वारा आदेश पारित किए जाने तक, पद से निलंबित कर सकेगा और यदि आवश्यक समझे तो ऐसी जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से प्रतिषिद्ध भी कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्यपाल, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को, आदेश द्वारा, पद से हटा सकेगा, यदि, यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त—

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है ; या

(ख) वह ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें राज्यपाल की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है ; या

(ग) वह अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक

नियोजन में लगा हुआ है ; या

(घ) राज्यपाल की राय में, मानसिक या शारीरिक उक्षमता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है ; या

(ङ) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिससे, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

(4) यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त, किसी प्रकार, राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबद्ध या उसमें हितबद्ध है या किसी निगमित कंपनी के किसी सदस्य पर किसी रूप में वो अन्यथा और उसके अन्य सदस्यों के साथ सामान्यतः उसके लाभ में या उससे प्रादुर्भूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है तो वह उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा ।

अध्याय 5

सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्य, अपील तथा शास्तियां

सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्य ।

18. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जांच करे,—

(क) जो, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को, इस कारण से अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है कि इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है या, यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी ने इस अधिनियम के अधीन सूचना या अपील के लिए धारा 19 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अथवा ज्येष्ठ अधिकारी या, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उसके आवेदन को भेजने के लिए स्वीकार करने से इंकार कर दिया है ;

(ख) जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई कोई जानकारी तक पहुंच के लिए इंकार कर दिया गया है ;

(ग) जिसे इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर सूचना के लिए या सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया है ;

(घ) जिससे ऐसी फीस की रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गई है, जो वह अनुचित समझता है ;

(ङ) जो यह विश्वास करता है कि उसे इस अधिनियम के अधीन अपूर्ण, भ्रम में डालने वाली या मिथ्या सूचना दी गई है ; और

(च) इस अधिनियम के अधीन अभिलेखों के लिए अनुरोध करने या उन तक पहुंच प्राप्त करने से संबंधित किसी अन्य विषय के संबंध में ।

(2) जहां, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का यह समाधान हो जाता है कि उस विषय में जांच करने के लिए युक्तियुक्त आधार है, वहां वह उसके संबंध में जांच आरंभ कर सकेगा ।

(3) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य आयोग को, इस धारा के अधीन किसी मामले में जांच करते समय वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो निम्नलिखित मामलों के

संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :— 1908 का 5

(क) किन्हीं व्यक्तियों को समन करना और उन्हें उपस्थित कराना तथा शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए उनको विवश करना ;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य को अभिग्रहण करना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मंगाना ;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना ; और

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए ।

(4) यथास्थिति, संसद् या राज्य विधान-मंडल के किसी अन्य अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग इस अधिनियम के अधीन किसी शिकायत की जांच करने के दौरान, ऐसे किसी अभिलेख की परीक्षा कर सकेगा, जिसे यह अधिनियम लागू होता है और जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है और उसके द्वारा ऐसे किसी अभिलेख को किन्हीं भी आधारों पर रोका नहीं जाएगा ।

19. (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे धारा 7 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विनिश्चय प्राप्त नहीं हुआ है या जो, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय से व्यथित है, उस अवधि की समाप्ति से या ऐसे किसी विनिश्चय की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा, जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या लोक सूचना अधिकारी की पंक्ति से ज्येष्ठ पंक्ति का है :

परन्तु ऐसा अधिकारी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने में पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था ।

(2) जहां अपील धारा 11 के अधीन, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति की सूचना प्रकट करने के लिए दिए गए किसी आदेश के विरुद्ध की जाती है वहां संबंधित पर व्यक्ति द्वारा अपील, उस आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर की जाएगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन विनिश्चय के विरुद्ध दूसरी अपील उस तारीख से, जिसको विनिश्चय किया जाना चाहिए था या वास्तव में प्राप्त किया गया था, नब्बे दिन के भीतर केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को होगी :

परन्तु, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था ।

(4) यदि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का विनिश्चय, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पर व्यक्ति की सूचना से संबंधित है तो

यथास्थिति केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग उस पर व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

(5) अपील संबंधी किन्हीं कार्यवाहियों में यह साबित करने का भार कि अनुरोध को अस्वीकार करना न्यायोचित था, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर जिसने अनुरोध से इंकार किया था, होगा ।

(6) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी अपील का निपटारा, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अपील की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो उसके फाइल किए जाने की तारीख से कुल पैंतालीस दिन से अधिक न हो, किया जाएगा ।

(7) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय आबद्धकर होगा ।

(8) अपने विनिश्चय में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को निम्नलिखित की शक्ति है--

(क) लोक प्राधिकरण से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना, जो इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं :—

(i) सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना, यदि विशिष्ट प्ररूप में ऐसा अनुरोध किया गया है ;

(ii) यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त करना ;

(iii) कतिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करना ;

(iv) अभिलेखों के अनुरक्षण, प्रबंध और विनाश से संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना ;

(v) अपने अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण के उपबंध को बढ़ाना ;

(vi) धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराना ;

(ख) लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्ता को, उसके द्वारा सहन की गई किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूरित करने की अपेक्षा करना ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन उपबंधित शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करना ;

(घ) आवेदन को नामंजूर करना ।

(9) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग शिकायतकर्ता और लोक प्राधिकारी को, अपने विनिश्चय की, जिसके अंतर्गत अपील का कोई अधिकार भी है, सूचना देगा ।

(10) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, अपील का विनिश्चय ऐसी प्रक्रिया के अनुसार करेगा, जो विहित की जाए ।

20. (1) जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि, यथास्थिति, केंद्रीय लोक शास्ति ।

सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ने, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिए, कोई आवेदन प्राप्त करने से इंकार किया है या धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन सूचना के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या उस सूचना को नष्ट कर दिया है, जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है, दो सौ पचास रुपए की शास्ति अधिरोपित करेगा, तथापि, ऐसी शास्ति की कुल रकम पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी :

परंतु यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को, उस पर कोई शास्ति अधिरोपित किए जाने के पूर्व, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा :

परंतु यह और कि यह साबित करने का भार कि उसने युक्तियुक्त रूप से और तत्परतापूर्वक कार्य किया है, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर होगा ।

(2) जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना और लगातार सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा है या उसने धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या अवैधानिकतापूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या ऐसी सूचना को नष्ट कर दिया है, जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है वहां वह, यथास्थिति, ऐसे केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध उसी लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगा ।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

21. कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या की जाने के लिए आशयित है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी ।

अधिनियम का अध्यध्यीभाव प्रभाव होना ।

22. इस अधिनियम के उपबंध, शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे । 1923 का 19

न्यायालयों की अधिकारिता का अपवर्जन ।

23. कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के संबंध में कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा और ऐसी किसी आदेश को, इस अधिनियम के अधीन किसी अपील के रूप में के सिवाए किसी रूप में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

अधिनियम का अधिकृत संगठनों का लागू न होना ।

24. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठनों को, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है या ऐसे संगठनों द्वारा उस सरकार को दी गई किसी सूचना को लागू नहीं होगी :

परन्तु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना

इस सम्पठन के अधीन अवर्जित नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि मांगी गई सूचना मानवाधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित है तो सूचना केन्द्रीय सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात् ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना अनुरोध की प्राप्ति के पैंतालीस दिन के भीतर दी जाएगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में किसी अधिसूचना द्वारा, अनुसूची का उस सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य अभिसूचना या गुप्तचर संगठन को उसमें सम्मिलित करके या उसमें पहले से विनिर्दिष्ट किसी संगठन का उससे लोप करके, संशोधन कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर ऐसे संगठन को अनुसूची में, यथास्थिति, सम्मिलित किया गया या उसका उससे लोप किया गया समझा जाएगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

(4) इस अधिनियम की कोई बात ऐसी अभिसूचना और गुप्तचर संगठनों को लागू नहीं होगी जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित ऐसे संगठन हैं, जिन्हें वह सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे :

परन्तु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस सम्पठन के अधीन अवर्जित नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि मांगी गई सूचना मानव अधिकारों के अतिक्रमण अभिकथनों से संबंधित है तो सूचना राज्य सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात् ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना अनुरोध की प्राप्ति के पैंतालीस दिनों के भीतर दी जाएगी ।

(5) उपधारा (4) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखी जाएगी ।

25. (1) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात्, यथासाध्यशीघ्रता से उससे वर्ष के दौरान इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति समुचित सरकार को भेजेगा । [illegible] करना और रिपोर्ट करना ।

(2) प्रत्येक मंत्रालय या विभाग, अपनी अधिकारिता के भीतर लोक प्राधिकारियों के संबंध में, ऐसी सूचना एकत्रित करेगा और उसे, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उपलब्ध कराएगा, जो इस धारा के अधीन रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपेक्षित है और इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उस सूचना को देने तथा अभिलेख रखने से संबंधित अपेक्षाओं का पालन करेगा ।

(3) प्रत्येक रिपोर्ट में, उस वर्ष के संबंध में, जिसकी रिपोर्ट संबंधित है निम्नलिखित के बारे में कथन होगा,—

(क) प्रत्येक लोक प्राधिकारी से किए गए अनुरोधों की संख्या ;

(ख) ऐसे विनिश्चयों की संख्या, जहां आवेदक अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों तक पहुंच के लिए हकदार नहीं थे, इस अधिनियम के ये उपबंध, जिनके अधीन ये विनिश्चय लिए गए थे और ऐसे मामलों की संख्या, जब ऐसे उपबंधों का अवलंब लिया गया था ;

(ग) पुनर्विलोकन के लिए यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य

सूचना आयोग को निर्दिष्ट की गई अपीलों की संख्या, अपीलों की प्रकृति और अपीलों के निष्कर्ष ;

(घ) इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में किसी अधिकारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई की विशिष्टियां ;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा एकत्रित की गई प्रभारों की रकम ;

(च) कोई ऐसे तथ्य, जो इस अधिनियम की भावना और आशय को प्रशासित और कार्यान्वित करने के लिए लोक प्राधिकारियों के लिए प्रयास को उपदर्शित करते हैं ;

(छ) सुधार के लिए सिफारिशें, जिनके अंतर्गत इस अधिनियम या अन्य विधान या सामान्य विधि के विकास, समुन्नति, आधुनिकीकरण, सुधार या संशोधन के लिए विशिष्ट लोक प्राधिकारियों के संबंध में सिफारिशें या सूचना तक पहुंच के अधिकार को प्रवर्तनशील बनाने से सुसंगत कोई अन्य विषय भी हैं ।

(4) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष के बाद के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्रतः से, उपधारा (1) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां राज्य विधान-मंडल के दो सदन हैं वहां प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां राज्य विधान-मंडल का एक सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखवाएगी ।

(5) यदि केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग करने के संबंध में किसी लोक प्राधिकारी की पद्धति इस अधिनियम के उपबंधों या भावना के अनुकूल नहीं है तो वह प्राधिकारी को ऐसे समय विनिर्दिष्ट करते हुए, जो उसकी राय में ऐसी अनुरूपता को बढ़ाने के लिए दिए जाने चाहिएं, सिफारिश कर सकेगा ।

समुचित सरकार द्वारा उपबंधन किया जाना ।

26. (1) केन्द्रीय सरकार, वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टि में रखकर –

(क) जनता को, विशेष रूप से, उपेक्षित समुदायों को इस बारे में समझ की वृद्धि करने के लिए कि इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञात अधिकारों का प्रयोग कैसे किया जाए शैक्षिक कार्यक्रम बना सकेगी और आयोजित कर सकेगी ;

(ख) लोक प्राधिकारियों को, खंड (क) में निर्दिष्ट कार्यक्रमों को बनाने और उनके आयोजन में भाग लेने और ऐसे कार्यक्रमों का स्वयं जिम्मा लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकेगी ;

(ग) लोक प्राधिकारियों द्वारा उनके क्रियाकलापों के बारे में सही जानकारी का समय से और प्रभावी रूप में प्रसारित किए जाने को बढ़ावा दे सकेगी ;

(घ) लोक प्राधिकरणों को, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित कर सकेगी और लोक प्राधिकरणों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए सुसंगत प्रशिक्षण सामग्रियों का उत्पादन कर सकेगी ।

(2) समुचित सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ से अठारह मास के भीतर, अपनी राजभाषा में, सरल जनप्रिय रूप और शैली से ऐसी सूचना वाली एक मार्गदर्शिका संकलित करेगी, जिसकी ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा युक्तियुक्त रूप में अपेक्षा की जाए, जो अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी अधिकार का प्रयोग करना चाहता है ।

(3) समुचित सरकार यदि आवश्यक हो तो, उपधारा (2) में निर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों को नियमित अंतरालों पर अद्यतन और प्रकाशित करेगी, जिनमें विशिष्टता और उपधारा (2) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित सम्मिलित होगा–

(क) इस अधिनियम के उद्देश्य ;

(ख) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक लोक प्राधिकरण के, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का डाक और गली का पता, फोन और फैक्स नंबर और यदि उपलब्ध हो तो उसका इलैक्ट्रोनिक डाक पता ;

(ग) वह रीति और प्रक्रम, जिसमें, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से किसी सूचना तक पहुंच का अनुरोध किया जाएगा ;

(घ) इस अधिनियम के अधीन लोक प्राधिकरण के, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से उपलब्ध सहायता और उसके कर्तव्य ;

(ङ) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग से उपलब्ध सहायता ;

(च) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किसी अधिकार या कर्तव्य के संबंध में कोई कार्य करने या करने में असफल रहने के बारे में विधि में उपलब्ध सभी उपचार, जिनके अंतर्गत आयोग को अपील फाइल करने की रीति भी है ;

(छ) धारा 4 के अनुसार अभिलेखों के प्रवर्गों के स्वैच्छिक प्रकटन के लिए उपबंध करने वाले उपबंध ;

(ज) किसी सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोधों के संबंध में संदत्त की जाने वाली फीसों से संबंधित सूचनाएं ; और

(झ) इस अधिनियम के अनुसार किसी सूचना तक पहुंच प्राप्त करने के संबंध में बनाए गए या लागू किए गए कोई अतिरिक्त विनियम या परिपत्र ।

(4) समुचित सरकार को, यदि आवश्यक हो, नियमित अंतरालों पर मार्गदर्शी सिद्धांतों को अद्यतन और प्रकाशित करना चाहिए ।

27. (1) समुचित सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(क) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की लागत या प्रिन्ट लागत मूल्य ;

(ख) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन संदेय फीस ;

(ग) धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अधीन संदेय फीस ;

(घ) धारा 13 की उपधारा (6) और धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें ;

(ङ) धारा 19 की उपधारा (10) के अधीन अपीलों का विनिश्चय करने की समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ;

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित है या विहित किया जाए ।

नियम बनाने की केन्द्रीय प्राधिकारी की शक्ति ।

28. (1) सक्षम प्राधिकारी, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगा ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(i) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रदाहित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की लागत या छिन्न-लागत मूल्य ;

(ii) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन देय फीस ;

(iii) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन देय फीस ; और

(iv) कोई अन्य विषय, जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए ।

नियमों का रखा जाना ।

29. (1) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम तत्पश्चात्, यथास्थिति, केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रवृत्त होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा । तथापि, उस नियम के ऐसे उपांतरित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम अधिसूचित किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

30. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध बना सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत होते हों :

परन्तु कोई ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

निरसन ।

31. सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम, 2002 इसके द्वारा निरसित किया जाता है । 2002 का 5

पहली अनुसूची

[धारा 13(3) और धारा 16(3) देखिए]

मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्ररूप

"मैं, जो _____ मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्त/राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक् प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा।"।

दूसरी अनुसूची

(धारा 24 देखिए)

केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठन

1. आसूचना ब्यूरो ।
2. मंत्रिमंडल सचिवालय के अनुसंधान और विश्लेषण संगठन ।
3. राजस्व आसूचना निदेशालय ।
4. केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो ।
5. प्रवर्तन निदेशालय ।
6. नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो ।
7. वैमानिक अनुसंधान केन्द्र ।
8. विशेष सीमान्त बल ।
9. सीमा सुरक्षा बल ।
10. केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल ।
11. भारत-तिब्बत सीमा बल ।
12. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ।
13. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ।
14. असम राइफल्स ।
15. विशेष सेवा ब्यूरो ।
16. विशेष शाखा (सीआईडी), अंदमान और निकोबार ।
17. अनुसूचित शाखा-सीआईडी सीबी, दादरा और नगर हवेली
18. विशेष शाखा, लक्षद्वीप पुलिस ।

राष्ट्रपति ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपरोक्त हिन्दी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है ।

The above translation in Hindi of the Right to Information Act, 2005 has been authorised by the President to be published in the Official Gazette under clause (*b*) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963.

सचिव, भारत सरकार ।
Secretary to the Government of India.

MGIPMRND—3123GOLW—23-09-2005.

परिशिष्ट 2: शुल्क नियम – तुलनात्मक तालिका

(30 सितम्बर 2006 की स्थिति के अनुसार)*

सरकार	आवेदन शुल्क	अतिरिक्त शुल्क	भुगतान पद्धति
केन्द्र/ केन्द्र शासित प्रदेश	10 रु.	✍ ए4/ ए3 पेपर – 2 रु. प्रति पृष्ठ; ✍ इससे बड़ा पेपर – वास्तविक लागत; ✍ मुद्रित प्रकाशन – निर्धारित मूल्य; ✍ फोटोकॉपी/ अंश – 2 रु. प्रति पृष्ठ; ✍ फ्लॉपी/ डिस्क – 50 रु.; ✍ नमूने/ मॉडल – वास्तविक लागत; ✍ अभिलेख निरीक्षण – पहला घंटा निःशुल्क और उसके बाद 5 रु. प्रति घंटा।	पावती पर नकद भुगतान/ डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर चैक।
अरुणांचल प्रदेश	50 रु. (इलेक्ट्रॉनिक आवेदन– शुल्क सात दिनों के भीतर जमा कराना होगा।) टेंडर संबंधी दस्तावेजों/ नीलामी की बोलियों/ निवेदित भाव/ व्यावसायिक अनुबंधों पर सूचनाओं के लिए 500 रु.।	✍ निर्धारित मूल्य वाले प्रकाशनों के अतिरिक्त अन्यों के लिए– 5 रु. प्रति पृष्ठ; ✍ निर्धारित मूल्य वाले प्रकाशन – तय मूल्य; <u>अपील शुल्क :</u> ✍ अपील प्राधिकरण/ प्राधिकारी के यहां पहली अपील – 50 रु.।	ट्रेज़री चालान।
असम	10 रु.	✍ ए4/ ए3 पेपर – 2 रु. प्रति पृष्ठ; ✍ इससे बड़ा पेपर – वास्तविक लागत; ✍ मूल्य निर्धारित प्रकाशन – तय मूल्य, फोटोकॉपी/ अंश – 2 रु. प्रति पृष्ठ; ✍ नमूने/ मॉडल – वास्तविक लागत;	पावती पर नकद भुगतान।/ डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर चैक।

- जम्मू–कश्मीर अपने विशेष संवैधानिक दर्ज़े के कारण सूचना अधिकार अधिनियम के दायरे में नहीं आता और इसलिए उसने कोई नियम जारी नहीं किए हैं।
- ये शुल्क साधारण दिशानिर्देश के रूप में हैं। सीएचआरआई यह दावा नहीं करता है कि इन सूचनाओं के संपूर्ण विवरण सही हैं। अगर आपको इस तालिका में कोई कठिनाई आए को कृपया अपने राज्य के नियमों को देखें।

सरकार	आवेदन शुल्क	अतिरिक्त शुल्क	भुगतान पद्धति
असम क्रमशः		✍ फ्लॉपी / डिस्क – 50 रु. ✍ अभिलेख निरीक्षण – पहला घंटा निःशुल्क और उसके बाद प्रति 15 मिनट 5 रु.।	
आंध्र प्रदेश	✍ ग्राम स्तर पर कोई शुल्क नहीं; ✍ मंडल स्तर पर 5 रु.; ✍ अन्य सभी लोक प्राधिकरणों के लिए 10 रु.।	✍ ए4 / ए3 पेपर – 2 रु. प्रति पृष्ठ; ✍ इससे बड़ा पेपर – वास्तविक लागत; ✍ मूल्य निर्धारित प्रकाशन, मुद्रित सामग्री, फ्लॉपी, सीडी, मॉडल या सामग्री – बिक्री मूल्य; ✍ मानचित्र / योजनाएं – वास्तविक लागत; ✍ 1.44 एमबी फ्लॉपी – 50 रु., 700 एमबी की सीडी – 100 रु., डीवीडी – 200 रु.; ✍ नमूने और मॉडल – वास्तविक लागत; ✍ डाक शुल्क अतिरिक्त; ✍ अभिलेख निरीक्षण – पहला घंटा निःशुल्क और उसके बाद प्रति 15 मिनट 5 रु.।	पावती पर नकद भुगतान / डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर चैक।
उड़ीसा	10 रु.	✍ ए4 पेपर – प्रति पृष्ठ 2 रु.; ✍ इससे बड़ा पेपर – वास्तविक लागत; ✍ मानचित्र / योजनाएं – श्रम, सामग्री, उपकरणों या अन्य संबंधित व्ययों के आधार पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित लागत; ✍ वीडियो कैसेट / माइक्रोफिल्म / माइक्रोफीश – श्रम, सामग्री, उपकरणों या अन्य संबंधित व्ययों के आधार पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित तर्कसंगत लागत; ✍ फ्लॉपी डिस्क (1.44 एमबी) / कवर सहित सीडी– 100 रु.; ✍ अभिलेख निरीक्षण – पहला घंटा निःशुल्क उसके बाद 5रु. प्रति 15 मिनट ✍ मुद्रित प्रकाशन – निर्धारित मूल्य <u>अपील शुल्कः</u> ✍ अपील प्राधिकरण / प्राधिकारी को पहली अपील – 20 रु.; ✍ राज्य सूचना आयोग को दूसरी अपील – 20 रु.।	आवेदन शुल्कः नकद / ट्रेज़री चालान। अतिरिक्त शुल्कः नकद। <u>अपील शुल्क</u> कोर्ट फी स्टैंप

सरकार	आवेदन शुल्क	अतिरिक्त शुल्क	भुगतान पद्धति
उत्तर प्रदेश	10 रु., बी.पी.एल. से नीचे मुफ्त	✍ ए4/ ए3 पेपर – प्रति पृष्ठ 2 रु.; ✍ इससे बड़ा पेपर – वास्तविक लागत; ✍ मुद्रित प्रकाशन – निर्धारित मूल्य; फोटो कॉपी–प्रति पृष्ठ 2 रु.; ✍ फ्लॉपी/ डिस्क – 50 रु.; ✍ नमूने/ मॉडल – वास्तविक लागत; ✍ अभिलेख निरीक्षण – पहला घंटा 10 रु. और उसके बाद हर 15 मिनट के लिए 5 रु.।	नकद/ डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर चैक।
उत्तरान्चल	10 रु.	ए4/ ए3 पेपर – प्रति पृष्ठ 2 रु.; इससे बड़ा पेपर – वास्तविक लागत; मुद्रित प्रकाशन – निर्धारित मूल्य; फ्लॉपी/ डिस्क – 50 रु.; नमूने/ मॉडल – वास्तविक लागत; अभिलेख निरीक्षण – पहला घंटा निःशुल्क और उसके बाद हर 15 मिनट के लिए 5 रु.।	नकद/ डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर चैक/पोस्टल ऑर्डर/ट्रेजरी चालान या नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर
कर्नाटक	10 रु.	✍ ए4 आकार की प्रतियां – 2 रु. प्रति पृष्ठ; ✍ मानचित्र, योजनाएं, प्रतिवेदन, आंशिक अभिलेख, तकनीकी डाटा, नमूना या मॉडल – लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित शुल्क; ✍ अभिलेखों का निरीक्षण – पहला घंटा निःशुल्क और उसके बाद हर आधे घंटे के लिए 20 रु.; ✍ कार्यों का निरीक्षण – लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित शुल्क।	भारतीय पोस्टल आर्डर/ डिमांड ड्राफ्ट/ बैंक का चेक/कर्नाटक वित्तीय संहिता के अनुसार सरकारी खजाने में भुगतान।
केरल	10 रु.	✍ ए4 आकार की प्रतियां – 2 रु. प्रति पृष्ठ; ✍ इससे बड़े आकार का पेपर – प्रति की वास्तविक लागत; ✍ फ्लॉपी/ सीडी – 50 रु.। मुद्रित प्रतियां – 2 रु. प्रति प्रति; ✍ नमूने/ मॉडल – वास्तविक लागत; ✍ अभिलेख निरीक्षण – पहला घंटा निःशुल्क, उसके बाद प्रति आधे घंटे के लिए 10 रु.।	नकद, कोर्ट फी स्टांप, ट्रेज़री चालान, डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चैक।

सरकार	आवेदन शुल्क	अतिरिक्त शुल्क	भुगतान पद्धति
गुजरात	20 रु. (इलेक्ट्रॉनिक आवेदन शुल्क सात दिन के भीतर जमा कराया ज चाहिए)।	4 / ए3 पेपर – 2 रु. प्रति पृष्ठ; ससे बड़ा पेपर – वास्तविक लागत; काशन – वास्तविक मूल्य; लॉपी / डिस्क – 50 रु.; मूने / मॉडल / फोटोग्राफ – वास्तविक लागत; भिलेखों का निरीक्षण – पहला आधा घंटा निःशुल्क; उसके बाद प्रति आधे घंटे के लिए 20 रु.। जहां ऐसी व्यवस्था या पद्धति ले से मौजूद है, वहां उपरोक्त शुल्क नहीं, बल्कि चली आ रही दरें और शुल्क लागू होंगे।	नकद / डिमांड ड्राफ्ट / पे–आर्डर / नॉन ज्युडिशीयल स्टांप।
गोवा	10 रु.	4 / ए3 पेपर – प्रति पृष्ठ 2 रु.; ससे बड़ा पेपर – वास्तविक लागत; द्रित प्रकाशन – निर्धारित मूल्य; लॉपी / डिस्क – 50 रु.; मूने / मॉडल – वास्तविक लागत; भिलेख निरीक्षण – पहला घंटा निःशुल्क और उसके बाद 15 मिनट के लिए 5 रु.।	नकद / डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर चैक
छत्तीसगढ़	10 रु.	4 / ए3 पेपर – 2 रु. प्रति पृष्ठ; ससे बड़ा पेपर – वास्तविक लागत; ल्य निर्धारित प्रकाशन – तय मूल्य, फोटोकॉपी / – 2 रु. प्रति पृष्ठ; मूने / मॉडल – वास्तविक लागत; लॉपी / डिस्क – 50 रु. भिलेख निरीक्षण – एक घंटे के लिए 50 रु.। <u>बीपीएल आवेदकों के लिए:</u> गर सूचना अपने जीवन से संबंध रखती है – उसे निवेदित रूप प्रदान किया जाना चाहिए।	पावती पर नकद / ट्रेज़री चालान।

सरकार	आवेदन शुल्क	अतिरिक्त शुल्क	भुगतान पद्धति
छत्तीसगढ़ क्रमशः		✍ अगर स्वयं से संबंधित नही है और 50 फोटोकॉपि किए हुए पृष्ठों में दी जा सकती है या जिसे उपलब्ध कराने की लागत 100 रु. है तो सूचना वांछित प्रारूप में दी जाएगी। ✍ अगर माँगी गई जानकारी 50 फोटोकॉपी किए हुए पृष्ठों से अधिक है या जिसे उपलब्ध कराने की लागत 100 रु. से अधिक है तो सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा संख्या 7(9) के तहत कारण बताते हुए आवेदक को फाईलों / दस्तावेज़ों का निरिक्षण करने के लिए कार्यालय में आमंत्रित किया जाएगा।	
झारखण्ड	10 रु.	✍ ए4/ ए3 पेपर – 2 रु. प्रति पृष्ठ; ✍ इससे बड़ा पेपर – वास्तविक लागत; ✍ मुद्रित प्रकाशन– निर्धारित मूल्य; ✍ फोटोकॉपी/अंश–2रु. प्रति पृष्ठ; ✍ फ्लॉपी/ डिस्क : 50 रु.; ✍ नमूने/ मॉडल – वास्तविक लागत; ✍ अभिलेखों का निरीक्षण – पहला घंटा निःशुल्क, उसके बाद हर आधे घंटे के लिए 5 रु.।	पावती पर नकद भुगतान/ डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर चैक।
तमिलनाडु	10 रु.	✍ ए4/ ए3 पेपर – प्रति पृष्ठ 2 रु.; ✍ इससे बड़ा पेपर – वास्तविक लागत; ✍ मुद्रित प्रकाशन – निर्धारित मूल्य; ✍ फ्लॉपी/ डिस्क – 50 रु.; ✍ नमूने/ मॉडल – वास्तविक लागत; ✍ अभिलेख निरीक्षण – पहला घंटा निशुल्क और उसके बाद हर 15 मिनट के लिए 5 रु.।	नकद / डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर चैक।
त्रिपुरा	10 रु.	✍ ए4/ ए3 पेपर – प्रति पृष्ठ (प्रति छाप) 2रु.; ✍ इससे बड़ा पेपर – वास्तविक लागत; ✍ मुद्रित प्रकाशन – निर्धारित मूल्य, ✍ फोटोकॉपी/ अंश – 2 रु प्रति पृष्ठ;	पावती पर नकद।

सरकार	आवेदन शुल्क	अतिरिक्त शुल्क	भुगतान पद्धति
त्रिपुरा क्रमशः		✍ फ्लॉपी / डिस्क – 50 रु. (बशर्ते कंप्यूटरीकृत रूप में सूचनाएं उपलब्ध हों); ✍ नमूने / मॉडल – वास्तविक लागत; ✍ अभिलेख निरीक्षण – पहला घंटा निःशुल्क, उसके बाद हर 15 मिनट के लिए 5 रु.।	
दमन व दिऊ / दादरा व नगर हवेली	25 रु.	✍ ए4 / ए3 पेपर – 2 रु. प्रति पृष्ठ; ✍ इससे बड़ा पेपर – वास्तविक लागत; ✍ फ्लॉपी – 50 रु.; सीडी – 100 रु.; ✍ नमूने / मॉडल – वास्तविक लागत; ✍ अभिलेखों का निरीक्षण – आवेदन की तिथि से 10 साल पुराने अभिलेखों कर निरीक्षण शुल्क –– 100 रु. प्रति दिन। आवेदन की तिथि से 20 साल पुराने अभिलेखों का निरीक्षण शुल्क – 25 रु. प्रति दिन। एक दिन में 3 घंटे से अधिक समय तक निरीक्षण करने की स्वीकृति नहीं।	ट्रेज़री चालान (यानी भारतीय स्टेट बैंक, दमन और सौराष्ट्र स्टेट बैंक, दिऊ) में संदेय।
दिल्ली / अंदमान व निकोबार द्वीप / चंडीगढ़ केन्द्र शासित प्रदेश	10 रु.	✍ ए4 / ए3 पेपर – 2 रु. प्रति पृष्ठ; ✍ इससे बड़ा पेपर – वास्तविक लागत; ✍ फ्लॉपी / डिस्क– 50 रु.; ✍ नमूने / मॉडल – वास्तविक लागत; ✍ मुद्रित प्रकाशन – निर्धारित मूल्य; ✍ अभिलेख निरीक्षण – पहला घंटा निःशुल्क और उसके बाद हर 15 मिनट के लिए 5 रु.।	पावती पर नगद, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर चैक के रूप में।
नागालैंड	10 रु.	✍ ए4 / ए3 पेपर – 2 रु. प्रति पृष्ठ; ✍ इससे बड़ा पेपर – वास्तकि लागत; ✍ मुद्रित प्रकाशन– निर्धारित मूल्य, ✍ फोटोकॉपी / अंश – 2 रु. प्रति पृष्ठ; ✍ फ्लॉपी / डिस्क – 50 रु.; ✍ नमूने / मॉडल – वास्तविक लागत; ✍ अभिलेख निरीक्षण – पहला घंटा निःशुल्क, उसके बाद 5 रु. प्र.घं.	पावती पर नकद / डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर चैक।

सरकार	आवेदन शुल्क	अतिरिक्त शुल्क	भुगतान पद्धति
पंजाब	10 रु.	✍ ए4/ ए3 पेपर – 2 रु. प्रति पृष्ठ; ✍ इससे बड़ा पेपर – वास्तविक लागत; ✍ मुद्रित प्रकाशन – निर्धारित मूल्य, ✍ फोटोकॉपी/ अंश – 10 रु. प्रति पृष्ठ; ✍ फ्लॉपी / डिस्क – 50 रु.; ✍ अभिलेख निरीक्षण – पहला घंटा निःशुल्क, उसके बाद हर 15 मिनट के लिए 5 रु.।	नकद/ बैंक ड्राफ्ट/ चैक/ ट्रेज़री चालान /भारतीय पोस्टल ऑर्डर
पश्चिम बंगाल	10 रु.	✍ ए4/ ए3 पेपर – प्रति पृष्ठ (प्रति छाप) 2रु.; ✍ इससे बड़ा पेपर – वास्तविक लागत; ✍ मुद्रित प्रकाशन – निर्धारित मूल्य, फोटोकॉपी/अंश – 2रु प्रति पृष्ठ; ✍ फ्लॉपी/ डिस्क – 50 रु. (बशर्ते कंप्यूटरीकृत रूप में सूचनाएं उपलब्ध हों); ✍ नमूने/ मॉडल – वास्तविक लागत; ✍ अभिलेख निरीक्षण – पहला घंटा 10 रु., उसके बाद हर 15 मिनट के लिए 5 रु.।	कोर्ट फीस
पाँडिचेरी	10 रु.	✍ ए4/ ए3 पेपर – प्रति पृष्ठ (प्रति छाप) 2रु.; ✍ इससे बड़ा पेपर – वास्तविक लागत; ✍ मुद्रित प्रकाशन – निर्धारित मूल्य, फोटोकॉपी/अंश – 2रु प्रति पृष्ठ; ✍ फ्लॉपी/ डिस्क – 50 रु. (बशर्ते कंप्यूटरीकृत रूप में सूचनाएं उपलब्ध हों); ✍ नमूने/ मॉडल – वास्तविक लागत; ✍ अभिलेख निरीक्षण – पहला घंटा 10 रु., उसके बाद हर 15 मिनट के लिए 5 रु.।	कोर्ट फीस
बिहार	10 रु.	✍ ए4/ ए3 पेपर – 2 रु. प्रति पृष्ठ; ✍ इससे बड़ा पेपर – 3 रु. प्रति पृष्ठ; ✍ फोटो – 10 रु. प्रति फोटो; ✍ फ्लॉपी / डिस्क – 50 रु.	पावती पर नकद भुगतान।/ डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर चैक।

सरकार	आवेदन शुल्क	अतिरिक्त शुल्क	भुगतान पद्धति
बिहार क्रमशः		✍ ाभिलेख निरीक्षण – पहला घंटा निःशुल्क और उसके बाद ़. प्रति घंटा। <u>अपील शुल्क :</u> ापील प्राधिकरण/ प्राधिकारी के यहां पहली अपील – 50 रु.।	
मणिपुर	10 रु.	़4/ ए3 पेपर – प्रति पृष्ठ 2 रु.; ससे बड़ा पेपर – वास्तविक लागत; ुद्रित प्रकाशन – निर्धारित मूल्य; फ्लॉपी/ डिस्क – 50 रु.; ामूने/ मॉडल – वास्तविक लागत; ✍ ाभिलेख निरीक्षण – पहला घंटा निशुल्क और उसके बाद हर मिनट के लिए 5 रु.। ुद्रित प्रकाशन – निर्धारित मूल्य, फोटोकॉपी/अंश – 2रु प्रति पृ	नकद/ डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर चैक।
मध्यप्रदेश	10 रु.	़4/ ए3 पेपर – प्रति पृष्ठ 2 रु.; बड़ा पेपर – वास्तविक लागत; ुद्रित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रतियां – वास्तवीक लागत; ✍ ्लॉपी/ डिस्क / वीडियो कैसेट – राज्य लोक सूचना अधिकारी सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित ✍ ामूने – राज्य लोक सूचना अधिकारी या सहायक राज्य लोक ना अधिकारी द्वारा निर्धारित ✍ ाभिलेख निरीक्षण – पहले एक घंटे या उससे कम के लिए 50 रु. र उसके बाद हर 15 मिनट के लिए 25 रु. <u>अपील शुल्क :</u> ापील प्राधिकीण/प्राधिकारी को पहली अपील – 50 रु. ाज्य सूचना आयोग को दूसरी अपील – 100 रु.	पावती पर नकद/नॉन ज्युडिशियल स्टांप
महाराष्ट्र	10 रु.	़4/ ए3 पेपर – 2 रु.; ससे बड़ा पेपर – वास्तविक लागत; ानचित्र/ दस्तावेज इत्यादि – निर्धारित शुल्क; ुद्रित प्रकाशन– निर्धारित शुल्क, ✍ ोटोकॉपी/ अंश – 2 रु. प्रति पृष्ठ;	<u>आवेदन शुल्क:</u> पावती पर नकद/ डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर चैक/ कोर्ट फी स्टैंप।

सरकार	आवेदन शुल्क	अतिरिक्त शुल्क	भुगतान पद्धति
महाराष्ट्र क्रमशः		✍ अतिरिक्त डाक शुल्क – अगर आवेदक स्वयं सूचना प्राप्त करने आता है तो कोई शुल्क नहीं; फ्लॉपी/ डिस्क – 50 रु.; ✍ अभिलेख निरीक्षण – पहला घंटा निःशुल्क, उसके बाद प्रति 15 मिनट के लिए 5 रु.। अपील शुल्कः ✍ अपील प्राधिकरण/ प्राधिकारी को पहली अपील – 20 रु.; ✍ राज्य सूचना आयोग को दूसरी अपील– 20 रु.।	अतिरिक्त शुल्कः पावती पर नकद/ डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर चैक/ मनी आर्डर अपील शुल्कः पावती पर नकद/ डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर चैक / कोर्ट फी स्टांप।
मिज़ोरम	10 रु.	✍ ए4/ ए3 पेपर – 2 रु. प्रति पृष्ठ; बड़ा पेपर – वास्तविक लागत; ✍ प्रिन्टआउट – 5 रु. प्रति पृ. मुद्रित प्रकाशन – निर्धारित शुल्क, ✍ फोटोकापी/ अंश – 2 रु. प्रति पृष्ठ; फ्लॉपी/ डिस्क – 50 रु.; ✍ नमूने, मॉडल, विडियो कैसेट, माईक्रो फिल्म – उचित मूल्य, पारिश्रमिक संसाधन तथा अन्य प्रासंगिक खर्चे जिनहें लो.सू.अ. तय करेगा ✍ अभिलेख निरीक्षण – पहला घंटा निःशुल्क और उसके बाद प्रति घंटे 5 रु.। अपील शुल्कः ✍ अपील प्राधिकरण/ प्राधिकारी को पहली अपील – 40 रु.; दूसरी अपील 50 रु.	पावती पर नकद/ ट्रेज़री चालान। अतिरिक्त शुल्कः नकद अपील शुल्कः कोर्ट फी स्टांप।
मेघालय	10 रु.	✍ ए4/ ए3 पेपर – 2 रु. प्रति पृष्ठ/बड़ा पेपर – वास्तविक लागत; ✍ मुद्रित प्रकाशन – निर्धारित शुल्क, ✍ फोटोकापी/ अंश – 2 रु. प्रति पृष्ठ; फ्लॉपी/ डिस्क – 50 रु.; ✍ नमूने/ मॉडल – वास्तविक लागत; ✍ अभिलेख निरीक्षण – पहला घंटा निःशुल्क, उसके बाद हर 15 मिनट के लिए 5 रु.।	पावती पर नकद/ डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर चैक।
राजस्थान	50 रु.	✍ ए4/ ए3 पेपर – 2 रु. प्रति पृष्ठ; बड़ा पेपर – वास्तविक लागत; ✍ मुद्रित प्रकाशन — निर्धारित मूल्य, फ्लॉपी/ डिस्क – 50 रु.; ✍ फोटोकॉपी/अंश–2 रु. प्रति पृ.; नमूने/ मॉडल–वास्तविक लागत; ✍ अभिलेख निरीक्षण – पहला घंटा निःशुल्क और उसके बाद हर 15 मिनट के लिए 5 रु.।	पावती पर नकद/ डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर चैक।

सरकार	आवेदन शुल्क	अतिरिक्त शुल्क	भुगतान पद्धति
सिक्किम	100 रु.	✍ ए4 / ए3 पेपर – प्रति पृष्ठ (प्रति छाप) 2रु.; ✍ इससे बड़ा पेपर – वास्तविक लागत साथ में डाक व्यय; ✍ मुद्रित प्रकाशन – निर्धारित मूल्य,फोटोकॉपी / अंश – 5 रु प्रति पृष्ठ; ✍ फ्लॉपी / डिस्क – 50 रु. (बशर्ते कंप्यूटरीकृत रुप में सूचनाएं उपलब्ध हों); ✍ नमूने / मॉडल – वास्तविक लागत साथ में डाक व्यय; ✍ अभिलेख निरीक्षण – पहला घंटा निःशुल्क, उसके बाद हर 15 मिनट के लिए 5 रु.। अपील शुल्क: ✍ अपील प्राधिकरण / प्राधिकारी को पहली अपील – 100 रु.;	कोर्ट फीस
हिमाचल प्रदेश	10 रु.	✍ मुद्रित प्रकाशन – मुद्रित मूल्य; ✍ ए4 / छोटा पेपर – 10 रु. प्रति पृष्ठ; ✍ इससे बड़ा पेपर – न्यूनतम 20 रु. प्रति पृष्ठ की दर से वास्ताविक लागत; ✍ फ्लॉपी : 50 रु.; ✍ सीडी– 100 रु.; ✍ अभिलेखों का निरीक्षण – 10 रु. प्रति 15 मिनट।	ट्रेज़री चालान / डिमांड ड्राफ्ट
हरियाणा	10 रु.	✍ मुद्रित प्रकाशन – मुद्रित मूल्य या 10रु. प्रति पृष्ठ; ✍ ए4 / ए3 पेपर – 10 रु. प्रति पृष्ठ; ✍ बड़ा पेपर, सैम्पल, मॉडल – वास्ताविक लागत; ✍ फ्लॉपी : 50 रु.; ✍ सीडी– 100 रु.; ✍ अभिलेखों का निरीक्षण – पहला घंटा निःशुल्क तत्पश्चात् हर 15 मिनट के लिए 10 रु. ।	ट्रेज़री चालान / डिमांड ड्राफ्ट

परिशिष्ट 3 : अपील के नियम

(30 सितम्बर 2006 की स्थिति के अनुसार)

केन्द्र व कुछ राज्य सरकारों ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपील के नियम निर्धारित किए हैं। सीएचआरआई ने यहां सभी नियमों को प्रस्तुत नहीं किया है, क्योंकि वे काफी विस्तृत हैं और उनका सार–संक्षेप प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण सूचनाओं के छूट जाने का खतरा है।

सामान्य रूप से अपील के नियम उन प्रक्रियाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं जो नागरिकों को किसी विभागीय अपील प्राधिकारी या सूचना आयोग के पास अपील करने के लिए अपनानी चाहिएं। केन्द्र सरकार के अपील नियमों की प्रति के लिए कार्मिक, जन शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सूचना अधिकार वेबसाइट : http://rti.gov.in/ पर लॉग ऑन करें। आपकी राज्य सरकार के अपील संबंधी नियम को देखने के लिए आप राज्य सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग ऑन कर सकते हैं।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि सूचना अधिकार का अधिनियम अपील के लिए कोई शुल्क अदा करने की मांग नहीं करता, लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने अपने नियमों में अपील शुल्क का प्रावधान किया है। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत इस तरह का शुल्क वैध नहीं है। आप अपने राज्य सूचना आयोग के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि आयोग इन शुल्कों को गैर–कानूनी घोषित करे और सार्वजनिक प्राधिकरणों को आदेश दे कि अपील शुल्क न लें। जिन राज्यों ने अपने नियमों में अपील शुल्क का प्रावधान किया है, उनकी सूची नीचे दी गई है:

सरकार	अपील प्राधिकारी के यहां अपील करने का शुल्क	सूचना आयोग के यहां अपील करने का शुल्क	शुल्क अदायगी का तरीका
अरुणाचल प्रदेश	शून्य	50 रु.	ट्रेज़री चालान
मध्य प्रदेश	50 रु.	100 रु.	नकद / गैर–न्यायिक स्टांप
महाराष्ट्र	20 रु.	20 रु.	पावती पर नकद / डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर चैक / कोर्ट फी स्टांप
उड़ीसा	20 रु.	20 रु.	कोर्ट फी स्टांप
बिहार	50 रु.	शून्य	कोर्ट फी स्टांप

परिशिष्ट 4 : सूचना आयोग – संपर्क विवरण*

केन्द्रीय सूचना आयोग+ श्री वजाहत हबीबुल्लाह मुख्य सूचना आयुक्त ब्लॉक–4, 5वां तल, पुराना जेएनयू परिसर, नई दिल्ली–110067 फोनः 011–26717352 / 55, फैक्सः 011–26717354 ई–मेलः whabibullah@nic.in http://www.cic.gov.in	**अरुणाचल प्रदेश सूचना आयोग** श्री. न. योगन मुख्य सूचना आयुक्त (पता उपलब्ध नहीं है)
असम सूचना आयोग श्री आर. एस. मुशहरी मुख्य सूचना आयुक्त गुवाहाटी दिसपुर, जनता भवन गुवाहाटी फोनः 0361–2262704 ईमेलः scic-as@nic.in	**आंध्र प्रदेश सूचना आयोग** श्री सी. डी. अरहा मुख्य सूचना आयुक्त दूसरा तल, हाका भवन, विधान सभा भवन के सामने हैदराबाद – 500022 फोनः 040–23452620 / 55405566 मोबाइलः 0–9949099801
उड़ीसा सूचना आयोग श्री धीरेंद्र नाथ पाधी, मुख्य सूचना आयुक्त उड़ीसा सूचना आयोग राज्य अतिथि गृह सौध, कक्ष–44, यूनिट 5, भुवनेश्वर–751001 फोनः 0674–2539007, फैक्सः 0674–2535404 ई–मेलः secy_ic@ori.nic.in वेबसाइटः http://orissasoochnacommission.nic.in	**उत्तर प्रदेश सूचना आयोग** जस्टिस एम. ए. खान, मुख्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग 6ठी मंजिल, इन्दिरा भवन, लखनऊ – 751001 फोनः 0522–2288599 / 2288598
उत्तरांचल राज्य सूचना आयोग डॉ. आर. एस. तोलीया, मुख्य सूचना आयुक्त सी–10, सेक्टर–1, डिफेंस कॉलोनी देहरादून – 248001 फोनः 0135–2666778 / 79 फैक्सः 0135–2666778	**कर्नाटक सूचना आयोग** श्री के. के. मिश्र, आईएएस मुख्य सूचना आयुक्त कक्ष–302, तीसरा तल, विधान सौध बंगलौर–560001 फोनः 080–22253651 / 22252442 फैक्सः 080–22256003 ईमेलः scic@karnataka.gov.in, kk.scic@nic.in

* जम्मू–कश्मीर सूचना अधिकार अधिनियम के दायरे में नहीं आता, इसलिए वहां सूचना आयोग स्थपित नहीं किया गया है।
+ सभी केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित व वित्तपोषित लोक प्राधिकरणों तथा सभी केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए।

केरल सूचना आयोग श्री पालाट मोहनदास मुख्य सूचना अधिकारी राज्य सूचना आयोग, पुन्नन रोड़, तिरुवनंतपुरम– 695039 फोनः 0471–2320920, फैक्सः 0471–2330920	**गुजरात सूचना आयोग** श्री आर. एन. दास, मुख्य सूचना आयुक्त प्रथम तल, इकोनोमिक्स व स्टेटिस्टिक्स ब्यूरो भवन, सेक्टर–18, गांधीनगर – 382018 फोनः 079–23252701 / 23252966 ई–मेलः gscic@gujarat.gov.in
गोवा सूचना आयोग श्री ए. वेंकट रत्नम, मुख्य सूचना आयुक्त शर्मा शक्ति भवन ग्राउण्ड फ्लोर, पत्तो पानाजी,गोवा – 403 401 फोनः 0832.2437880, मो.: 09860287282 ई–मेलः avr@nic.in	**छत्तीसगढ़ सूचना आयोग** श्री ए. के. विजयवर्गीय मुख्य सूचना आयुक्त निर्मल छाया भवन, बोटल हाउस के निकट, मीरा दातार रोड़ शंकर नगर, राजपुर– 492007, फोनः 0771 –4024406 ई–मेलः akvijayvariga@nic.in
झारखण्ड सूचना आयोग श्री हरिशंकर प्रसाद, मुख्य सूचना आयुक्त इंजिनियरिंग होस्टल नं. 2, धुरवां, राँची – 834004 फोनः 09431364947	**तमिलनाडु सूचना आयोग** एस. रामाकृष्णन् मुख्स सूचना आयुक्त 89, डॉ. अलागप्पा मार्ग, कृष्णा विला, पुरुसवक्कम, चेन्नई फोनः 044–26403355
त्रिपुरा सूचना आयोग श्री बी. के. चक्रवर्ती मुख्स सूचना आयुक्त सचिवालय भवन, गोरखा बस्ती, पं. नेहरु कॉम्प्लेक्स, अगरतला, त्रिपुरा (पश्चिन) – 799006 फोनः 0381–2218021	**दमन व दिऊ/दादर व नगर हवेली** केन्द्र सूचना आयोग ब्लॉक–4, 5वां तल, पुराना जेएनयू परिसर, नई दिल्ली–110067 फोनः 011–26717352 / 55, फैक्सः 011–26717354 ई–मेलः whabibullah@nic.in
नागालैंड सूचना आयोग श्री पी. तालितेमजेनाओ, मुख्य सूचना आयुक्त कोहिमा–797001, नागालैंड फोनः 0370–2270076 / 2270082	**दिल्ली / अंडमान व निकोबार द्वीप** केन्द्र सूचना आयोग, ब्लॉक–4, 5वां तल, पुराना जेएनयू परिसर,नई दिल्ली–110067 फोनः 011–26717352 / 55, फैक्सः 011–26717354 ई–मेलः whabibullah@nic.in
पंजाब सूचना आयोग श्री राजन कश्यप, मुख्य सूचना आयुक्त एससीओ न.: 84–85, सेक्टर–17 सी, चंडीगढ़–160017 फोनः 0172–4630050, फैक्सः 0172–4630052 ई–मेलः scic@punjabmail.gov.in	**पश्चिम बंगाल सूचना आयोग** श्री अरुण भट्टाचार्य, मुख्य सूचना आयुक्त भवानी भवन, द्वीतिय तल कोलकाता – 700027 फोन.: 033 – 2225858

पाँडिचेरी सूचना आयोग
श्री सी. एस. खैरवाल,
मुख्य सूचना आयुक्त
मुख्य सचिवालय, सी ब्लॉक, तीसरा तल, बीच रोड़
पांडिचेरी –605001,
फोनः 0413–2233327, फैक्सः 0413–2337575
ई–मेलः cs@pon.nic.in

मणिपुर सूचना आयोग
श्री सुंदर लाल सिंह,
मुख्य सूचना आयुक्त
पुराना सचिवालय, इंफाल–795001
फोनः 0385–2220981
फैक्सः 0385–2220981
ई–मेलः sunderlal@nic.in

महाराष्ट्र सूचना आयोग
डॉ. सुरेश वी. जोशी
मुख्य सूचना आयुक्त
13वां तल, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग
मंत्रालय के सामने, मादाम कामा रोड़, मुंबई –400032
फोनः 022–22856078,
मोबाइलः 09821525427
ई–मेलः sureshjosh@gmail.com

मेघालय सूचना आयोग
श्री जी. पी. वाहलांग
मुख्य सूचना आयुक्त
मेघालय सचिवालय, कक्ष– 226, शिलांग–793001
फोनः 0364–2229345
ई–मेलः gpw@shillong.meg.nic.in

सिक्किम सूचना आयोग
श्री डी. के. गज़मेर
मुख्य सूचना आयुक्त
ताशीलिंग सचिवालय
गंगटोक – 737101
सिक्किम

बिहार सूचना आयोग
श्री. शशांक कुमार सिंह,
मुख्य सूचना आयुक्त,
चौथा तल, सूचना भवन
बेली रोड, (नए सचिवालय के सामने), पटना – 800 001
मोबाइल. 09430007500

मध्यप्रदेश सूचना आयोग
मुख्य सूचना आयुक्त
निर्वाचन भवन, दूसरा तल, जेल रोड़
एमपी नगर, मध्य प्रदेश– 462016
फोनः 0755–2761366 / 67 / 68
फैक्सः 0755–2761368

मिज़ोरम सूचना आयोग
श्री रॉबर्ट रंगट्वाला
मुख्य सूचना आयुक्त
खतला, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, आईजॉलः 796001
फोनः 0389–2334826,33, मोबाइलः 09436140247

राजस्थान सूचना आयोग
श्री एम. डी. कॉरानी, मुख्य सूचना आयुक्त
योजना भवन, द्वीतिय तल, सचिवालय के पिछे
तिलक मार्ग, जयपुर
फोन.: 0141–2220299

हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग
श्री पी. एस. राणा
मुख्य सूचना आयुक्त
हिमाचल प्रदेश सरकार सचिवालय
शिमला– 171002
ई–मेलः scic-hp@nic.in

हरियाणा सूचना आयोग
श्री जी. माधवन,
मुख्य सूचना आयुक्त
केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय–70–71, प्रथम तल, सेक्टर 8 सी
मध्य मार्ग, चंडीगढ़,
फोनः 0172–2726568, फैक्सः 0172–2726568
ई–मेलः madhavang@hry.nic.in

परिशिष्ट 5: संसाधन व संपर्क–सूत्र

भारत सरकार का सूचना के अधिकार पर वेबसाइट

कार्मिक, सार्वजनिक शिकायत व पेंशन मंत्रालय का सूचना के अधिकार पर आधिकारिक वेबसाइट जो सूचना अधिकार अधिनियम और केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के संपूर्ण पाठ तक लिंक प्रदान करता है : http://righttoinformationti.gov.in

सूचना का अधिकार – अ सिटिजन गेटवे

भारत सरकार द्वारा नागरिकों को वेब पर सरकारी विभागों द्वारा प्रकाशित सूचनाओं तक पहुंच उपलबध कराने के लिए विकसित किया गया एक सूचना अधिकार पोर्टल : http://rti.gov.in/

केन्द्र का सूचना आयोग

केन्द्रीय सूचना आयोग का आधिकारिक वेबसाइट जो नागरिकों को आयोग के कार्य–संचालन, इसकी निर्णय प्रकिया, अपीलों व शिकायतों पर फैसलों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है : http://www.cic.gov.in

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनीशिएटिव

भारत में सूचना अधिकार आंदोलन की व्यापक पृष्ठभूमि सहित केन्द्र व राज्यों सरकारों में इस संदर्भ में हुई प्रगति व घटनाक्रम के विवरण: ईमेल : chriall@nda.vsnl.net.in

वेबसाइट: http://www.humanrightsinitiative.org/progrms/ai/rti/india.htm

राष्ट्रीय जन सूचना अधिकार अभियान

यह अभियान राष्ट्रीय स्तर पर सूचना के अधिकार की पैरवी करने के लिए आयोजित किया गया था। यह एक ऐसा राष्ट्रीय मंच है जिस पर देश भर के नागरिक समाज के समूह, कार्यकर्ता और व्यक्ति सूचना के अधिकार पर अपने अनुभवों को बांट सकते हैं। साथ ही यह सरकार तथा व्यक्तियों के बीच चर्चा, बहस और पैरवी का भी मंच है।

ईमेल : ncprimailinglist@yahoogoups.com, वेबसाइट: www.righttoinformation.info

इंडिया राइट टू इंफोर्मेशन ब्लॉगस्पॉट

एक ऑनलाइन ब्लॉग जिस पर देश भर में सूचना के अधिकार पर होती बहसों, उससे संबंधित समाचारों और सूचनाओं के अद्यतन विवरण मौजूद हैं : http://www.indiarti.blogspot.com

परिवर्तन (नई दिल्ली)

दिल्ली में सूचना के अधिकार पर काम करने वाला एक मुख्य नागरिक समूह जिसने सूचनाओं तक पहुंच बनाने के लिए दिल्ली सरकार से किए गए अपने संघर्षों की नियमित रुप से रपटें दी है और सफलतापूर्वक सूचना के अधिकार का उपयोग किया है : http://www.parivartan.com/

हम जानेंगे (ऑनलाइन डिस्कशन बोर्ड, महाराष्ट्र)

एक ऐसा ऑनलाइन डिस्कशन बोर्ड जो भारत में सूचना के अधिकार के उपयोग और कार्यान्वयन की निगरानी पर केन्द्रित है और जो इस अधिकार से संबंधित मुद्दों / समस्याओं तथा सफलताओं में साझा करने का एक मंच प्रदान करता है। 'हम जानेंगे' की नेटवर्किंग का प्रमुख तरीका उनकी लिस्टसर्व है जहां जनता के सभी सदस्य सूची में अपना नाम दर्ज कर भागीदारी कर सकते हैं : humjanenge@yahoogroups.co.in

किया कट्टे (**KRIA Katte**) (ऑनलाइन डिस्कशन बोर्ड, कर्नाटक)

कर्नाटक में सूचना के अधिकार में दिलचस्पी रखने वाले सभी समूहों और व्यक्तियों के लिए मिलने, अनुभवों में साझा करने और सूचना के अधिकार के बारे में जागरुकता का प्रसार करने वाला एक ऑनलाइन मंच। यह समूह कर्नाटक और समूचे देश में सूचना अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की निकटता से निगरानी करता है।

ई–मेल: kria@yahoogroups.com, वेबसाइट: http://groups.yahoo.com/group/kria

सीएचआरआई के कार्यक्रम

सीएचआरआई का आधार यह मान्यता है कि मानवाधिकार, सच्चा लोकतंत्र और विकास लोगों के जीवन में तभी चरितार्थ होंगे जब कॉमनवेल्थ और इसके सदस्य देशों में जवाबदेही और भागीदारी के ऊंचे मानदंड और सक्रिय व्यवस्थाएं होंगी। इसलिए और साथ ही एक व्यापक मानवाधिकार पैरवी कार्यक्रम के रूप में सीएचआरआई शोध, प्रकाशनों, कार्यशालाओं, सूचना प्रसार तथा पैरवी कर्म के ज़रिए सूचना तक पहुंच और न्याय तक पहुंच की पैरवी करता है।

मानवाधिकारों की पैरवी : सीएचआरआई मानवाधिकारों की पैरवी के लिए आधिकारिक कॉमनवेल्थ संस्थाओं और सदस्य सरकारों को नियमित रूप से अपने दस्तावेज़ सौंपता है। सीएचआरआई समय–समय पर तथ्यान्वेषी मिशन गठित करता है और 1995 के बाद नाइज़ीरिया, ज़ांबिया, फिज़ी द्वीप समूह और सियरा लियोन में मिशन भेज चुका है। सीएचआरआई कॉमनवेल्थ मानवाधिकार नेटवर्क में समन्वय बनाने का काम भी करता है। यह नेटवर्क मानवाधिकारों की पैरवी के लिए सामूहिक शक्ति निर्मित करने हेतु विविध समूहों को एक मंच पर लाता है। सीएचआरआई की मीडिया यूनिट सुनिश्चित करती है कि मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दे जन चेतना का अंग बनें।

सूचना तक पहुंच

सूचना का अधिकारः सीएचआरआई नागरिक समाज और सरकारों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है, एक मजबूत कानून के समर्थन में तकनीकी विशेषज्ञता के केन्द्र के रूप में काम करता है और भागीदारों को अच्छे व्यवहारों को कार्यान्वित करने में सहयोग देता है। सीएचआरआई सरकार और नागरिक समाज का क्षमता निर्माण और साथ ही नीति निर्माताओं के साथ पैरवी करता हुआ स्थानीय समूहों और अधिकारियों के साथ सहभागिता में काम करता है। सीएचआरआई दक्षिण एशिया में सक्रिय है। हाल ही में इसने भारत में एक राष्ट्रीय कानून के लिए चलाए गए सफल अभियान को समर्थन दिया है। सीएचआरआई अफ्रीका में कानूनी प्रारूप लेखन में समर्थन और अन्य सहयोग देता है; प्रशांत क्षेत्र में यह सूचनाओं तक पहुंच प्रदान करने वाले कानून में दिलचस्पी पैदा करने के लिए क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संगठनों के साथ काम करता है।

संविधानवादः सीएचआरआई की मान्यता है कि संविधान लोगों द्वारा बनाए और अपनाए जाने चाहिएं और उसने एक परामर्शपरक प्रक्रिया के जरिए संविधान बनाने और उनकी समीक्षा करने के लिए दिशानिर्देश विकसित किए हैं। सीएचआरआई जन शिक्षण के जरिए संवैधानिक अधिकारों के ज्ञान को बढ़ावा देता है और इसने कॉमनवेल्थ संसदीय एसोसिएशन के लिए वेब–आधारित मानवाधिकार मॉड्यूल विकसित किया है। चुनावों से पहले सीएचआरआई ने चुनावों की निगरानी करने, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को उम्मीदवार बनाने का विरोध करने, मतदाताओं को शिक्षित करने और प्रतिनिधियों के कार्य–प्रदर्शन की निगरानी करने के लिए नागरिक समूहों के नेटवर्क निर्मित किए हैं।

न्याय तक पहुंच

पुलिस सुधारः बहुत सारे देशों में पुलिस को नागरिकों के अधिकारों के रखवालों की बजाय राज्य के एक आक्रामक औजार के रूप में देखा जाता है और इसके परिणामस्वरूप व्यापक पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तथा लोगों को न्याय से वंचित रखा जाता है। सीएचआरआई व्यवस्था में सुधारों को बढ़ावा देता है ताकि पुलिस वर्तमान शासन व्यवस्था के उपकरण की बजाय कानून के शासन को बरकरार रखने वाली संस्था के रूप में काम करे। भारत में सीएचआरआई के कार्यक्रमों का लक्ष्य पुलिस सुधारों के लिए जन समर्थन जुटाना है। पूर्वी अफ्रीका औरा घाना में सीएचआरआई पुलिस की जवाबदेही से संबंधित मुद्दों और राजनीतिक हस्तक्षेप की जांच–पड़ताल कर रहा है।

जेल सुधारः जेलों की बंद प्रकृति उन्हें मानवाधिकारों के उल्लंघनों का मुख्य केन्द्र बना देती है। सीएचआरआई का उद्देश्य है कि लगभग निष्क्रिय पड़ी दौरा व्यवस्था को फिर से सक्रिय बना कर जेलों को सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खोला जाए।

न्यायिक संगोष्ठियांः इंटरराइट्स (INTERRIGHTS) की सहभागिता में सीएचआरआई ने न्याय तक पहुंच, विशेषकर समुदाय के सीमांत वर्गों के लिए, से संबंधित मुद्दों पर दक्षिण एशिया में न्यायाधीशों के लिए संगोष्ठियों की एक श्रृंखला आयोजित की है।

सूचना का अधिकार एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको सरकार और इसके अधिकारियों के कामकाज के तौर–तरीकों को बदलने का एक अवसर देता है। सरकार से सूचना की मांग कर आप दरअसल उससे मांग करते हैं कि वह पारदर्शी और आपके प्रति जवाबदेह हो। आज यह शक्तिशाली उपकरण आपके हाथों में है।

मैदान की मुंडेर पर मत बैठे रहिए।
मैदान में आइए।
आज ही अपने सूचना के अधिकार का
इस्तेमाल कीजिए।

अगर आप अपने सूचना के अधिकार के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं, तो कृपया सीएचआरआई के आरटीआई इंडिया वेबसाइट पर लॉगऑन कीजिए: http://www.humanrightsinitiative.org/programs/ai/rti/india/india.htm

इस वेबसाइट (http://www.humanrightsinitiative.org/programs/ai/rti/india/national.htm) का राष्ट्रीय खंड आपको भारत में सूचना के अधिकार पर अभियान की व्यापक पृष्ठभूमि, गतिविधियों तथा पैरवी कर्म के विवरण, सरकार व नागरिक समाज के संसाधनों और राष्ट्रीय स्तर पर सूचना के अधिकार के लिए काम कर रहे विभिन्न संगठनों के संपर्क विवरण प्रदान करता है।

कृपया 28 राज्यों और 7 केन्द्र शासित क्षेत्रों पर अलग वेब पृष्ठों के लिए लॉग ऑन करें: http://www.humanrightsinitiative.org/programs/ai/rti/india/states/default.htm यहां आप हर राज्य सरकार के सूचना अधिकार अधिनियम से संबंधित नियमों, विनियमों, सूचनाओं तथा कार्यान्वयन के अद्यतन प्रयासों के बारे में जानकारी और सूचना के अधिकार पर काम कर रहे संगठनों के संपर्क विवरण हासिल कर सकते हैं।

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशिएटिव
बी–117, प्रथम तल
सर्वोदय एन्क्लेव
नई दिल्ली – 110 017, भारत
फोन: +91–11–2685–0523, 2686–4678
फैक्स: +91–11–2686–4688
ईमेल: chriall@nda.vsnl.net.in
वैबसाइट: www.humanrightsinitiative.org